खण्ड-331, अंक-7
शुक्रवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1900
(14 अप्रैल, 1978 ई0)

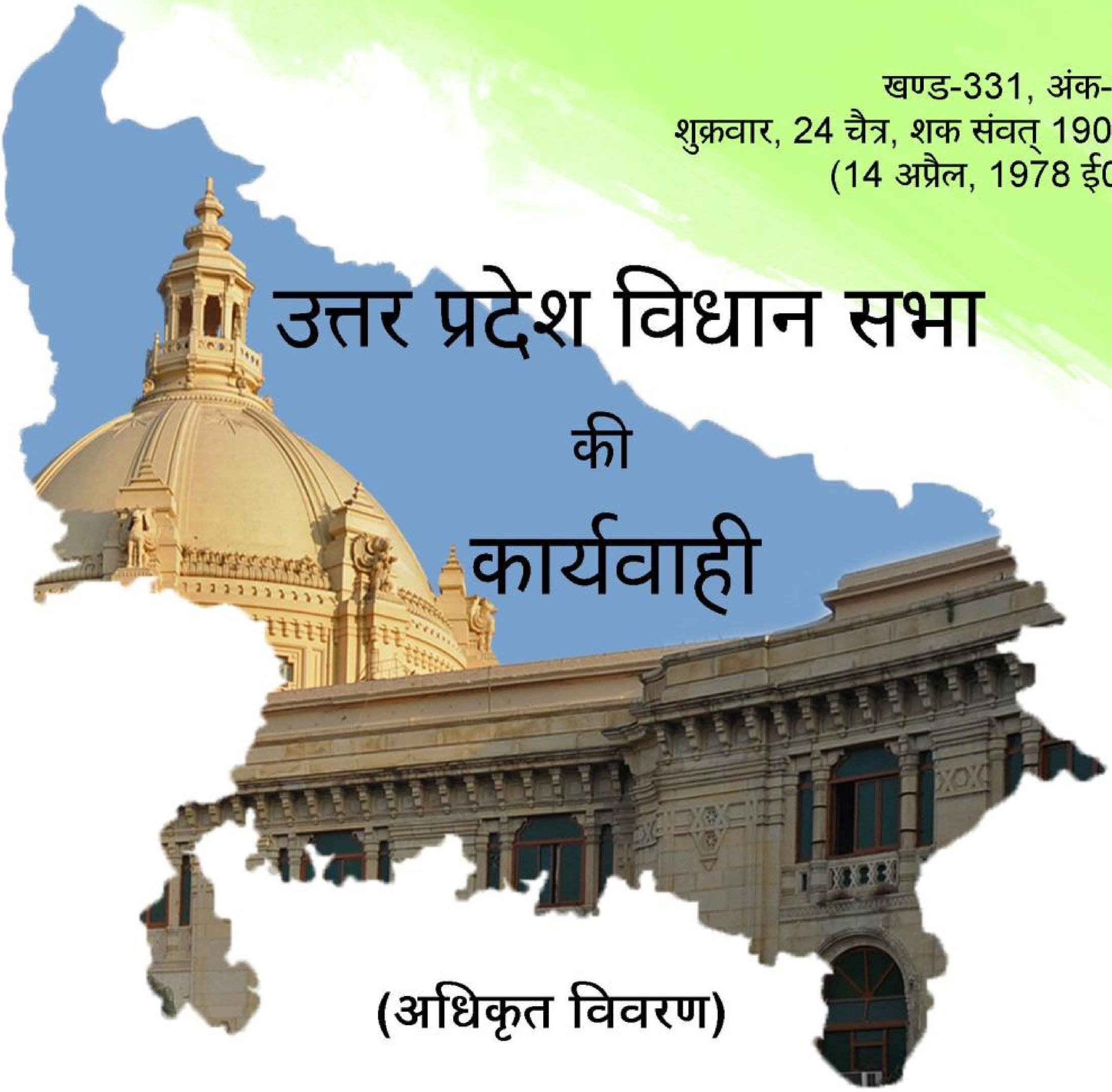

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	879–882
प्रश्नोत्तर	883–921
भतपूर्व सदस्य, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्गार ..	921–923
देवरिया जिले की पडरौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	923–924
प्रतापपुर तथा भटनी चीनी मिल गन्ने के अभाव में बन्द होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	924
बदायूं के गन्ना किसानों की समस्या तथा किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	924–925
थाना टूंडला, जिला आगरा के अन्तर्गत हो रहे विभिन्न अपराधों तथा पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	925–926
आजमगढ़ की कलेक्टरी कचेहरी में नामांकन-पत्र दाखिल होने के समय आयोजित सभा में लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	926–927
के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग में भ्रष्टाचार तथा दीपक सेल्स सिन्डीकेट नामक बोगस फर्म से सामान की आपूर्ति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	927–928
व्यवस्था के प्रश्न	928–931
विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति विश्वास प्रकट किया जाना ..	932–940
'रविवार' नामक साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक तथा टिप्पणी कारक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	940–941
दिसम्बर, 1977 के अंक में मनोहर कहानियां में छपे खटिक जाति के स्त्री–पुरुषों के खिलाफ बातों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	941
लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	942
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	942
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के परिसर में मजदूरों पर गोली काण्ड से अनेक मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	943–952

विषय	पृष्ठ संख्या
अमेरिकन गुप्तचर एजेन्सी द्वारा गंगोत्री क्षेत्र में शक्तिशाली परमाणु उपकरण के गुम हो जाने से विक्रियाशीलता उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	952–955
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	955–956
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1978 (स्थगित)	956
1978–79 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 30––वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या 52––खाद्य तथा अनुदान संख्या 82––खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	956–979
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों तथा पुलिस में मारपीट की घटना के सम्बन्ध में जानकारी	980–984
1978–79 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 42––अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं, अनुदान संख्या 56––वन तथा अनुदान संख्या 84––वनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	984–998
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	968–999
नत्थियां	1000–1016

अवध पत्रिका

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 321

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसेन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्नेबाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

मोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरीशंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री

बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री

राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोटः—विद्युत मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा प्रदेश उत्तर

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आपात स्थिति में हुयी ज्यादतियों की जांच हेतु श्री गंगेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में गठित अधिकरण

**1—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या 25 जून, 1975 से 18 मार्च, 1977 तक आपातस्थिति में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा दमन व ज्यादतियों के सम्बन्ध में कोई समिति अथवा आयोग केन्द्रीय सरकार के परामर्श से या स्वत: किसी संस्था द्वारा जांच कराने का निश्चय सरकार ने किया है ? अगर हां, तो किससे और किन अधिकारियों से ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

25 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 तक आपात स्थिति में हुई ज्यादतियों की शिकायतों की जांच के लिये भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश श्री जे0 सी0 शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग की सहायतार्थ आयोग के सुझाव एवं भारत सरकार की स्वीकृति से एक आपादतिरेक जांच अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है । इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट, इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री गंगेश्वर प्रसाद हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंगेश्वर प्रसाद आयोग में कितने और कौन-कौन से अधिकारी शामिल किये गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमान्, एक उप-महानिरीक्षक, पुलिस इसके सचिव हैं और 5 जांच करने वाली टीमें अब तक कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं । 6 टीमें बनायी गयी हैं । एक ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया । हर टीम में एक पुलिस अधीक्षक, 3 उप-पुलिस अधीक्षक, 9 इन्सपेक्टर और 14 कांस्टेबिल होंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैंने नाम पूछे थे कि वह कौन-कौन अधिकारी हैं,जो उसमें शामिल किये गये हैं । क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रख करके यह सवाल कर रहा हूं, इसलिये नाम बता दें ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मेरे पास पांच पुलिस अधीक्षकों के नाम हैं—

(1) श्री के0 डी0 दीक्षित, (2) श्री महेश सिंह, (3) श्री पी0 सी0 सिंह, (4) श्री जगदीश चन्द्र और (5) श्री डी0 पी0 सिन्हा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपात स्थिति में जो ज्यादतियां पिछली सरकार ने कीं, जिसके लिये गंगेश्वर प्रसाद आयोग का गठन किया गया है, क्या उसमें कोई ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध आपात स्थिति में ज्यादती करने के आरोप हैं । क्योंकि मेरी जानकारी है कि श्री पी० सी० सिंह के खिलाफ इमरजेन्सी में एक्सेसेज करने के आरोप हैं और यही जांच करने के अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । तो मेरी सूचना के आधार पर कि श्री पी० सी० सिंह ने ज्यादतियां की हैं, जांच करायेंगे और क्या इस मामले में ऐसी नीति तय करेंगे कि जिन लोगों ने ज्यादती की है, उनको इस जांच आयोग से निकलवा दिया जाय, जांच के बाद उसमें शामिल नहीं करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है कि श्री पी० सी० सिंह के विरुद्ध आपात स्थिति के कोई आरोप हैं । इस जानकारी की जांच करायी जायगी । अगर उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप हैं, तो जिनके भी विरुद्ध आरोप होंगे, उनको इस आयोग में नहीं रखा जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपातकालीन स्थिति के दौरान जो गम्भीर अत्याचार हुए हैं, उनकी जांच अत्यन्त आवश्यक है । इस जांच के सम्बन्ध में, मैंने पिछले एक उपवेशन में इस आयोग के गठन होने के 5 महीने पूर्व मैंने एक प्रश्न सदन में उठाया था कि पहले जांच आयोग के अध्यक्ष एक आई० ए० एस० आफिसर को बना दिया गया, अब गंगेश्वर प्रसाद हैं। मेरी जानकारी है कि गंगेश्वर प्रसाद ने इस आयोग में किन्हीं कारणों से भाग लेने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है । तो इतने महीने के बाद भी उसका काम प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं, यदि नहीं, तो क्या कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सही नहीं है कि श्री गंगेश्वर प्रसाद ने कार्य करने से अनिच्छा प्रकट की है, बल्कि 9 फरवरी से उन्होंने चार्ज ले लिया है और काम चालू है । यह जो 5 टीमें बनी हैं, इनके पास शाह आयोग से 22 हजार शिकायतें आयी हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । काम आरम्भ होने में यह सही है कि कुछ देर हुई क्योंकि नवम्बर, 1977 में जो आयोग गठित हुआ था, उसकी जगह बाद में यह तय हुआ कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उसे गठित किया जाये, अतः जनवरी, 1978 में उसकी जगह दूसरा आयोग हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित हुआ । इसमें कुछ समय लग गया ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

एक शिकायत श्री संजय गांधी के विरुद्ध भी थी, जिसमें उन पर 20 लाख 49 हजार रुपये खर्च करने की सूचना दी गयी थी, क्या यह आयोग उसकी भी जांच करेगा ?

श्री अध्यक्ष--

20 हजार शिकायतें हैं, इसके लिये तो आप नोटिस दे सकते हैं, तब पूछिये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

सारी शिकायतें आयोग के सामने हैं और शाह आयोग से जो शिकायतें आयी हैं, उनमें यह भी है । शाह आयोग को यह शिकायत गयी थी कि संजय गांधी पर 20 लाख 49 हजार रुपया खर्चा किया गया है, क्या उस पर भी विचार होगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैंने निवेदन किया कि 22 हजार शिकायतें हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनम यह भी है या नहीं। अगर होगी तो जरूर जांच की जायेगी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

इस सरकार मे इस तरह की कोई शिकायत भेजी है ?

श्री अध्यक्ष--

जब तक आप लिख कर न दें वे कैसे बतला सकते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह जो श्री गंगेश्वर प्रसाद जी की अध्यक्षता में आयोग गठित है वह क्या शाह आयोग के सहायतार्थ है और क्या इसकी बैठकें दिल्ली में होती हैं ? अगर यह सहायतार्थ है, सब कमेटी है, तो क्या यह प्रदेश में भी कुछ कार्य करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसका दफ्तर मान्यवर, लखनऊ में है। माननीय गंगेश्वर प्रसाद जी ने यह सूचना दी है कि वे अपनी बैठकें, इलाहाबाद में करेंगे और सहायतार्थ का जहां तक प्रश्न है, यह केवल शाह कमीशन के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है, उसी के अनुसार अपनी जांच करेगा और जिनमें कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, उन मामलों को शाह कमीशन को भेजेगा। यह शाह कमीशन के सहायतार्थ ही गठित हुआ है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, पी0सी0 सिंह, वाराणसी में एस0पी0 रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सी ज्यादतियां की हैं और शाह आयोग को इनके बारे में शिकायतें भी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में 22 हजार शिकायतें हैं, अब कौन कौन हैं ? यह मंत्री जी इस समय कैसे बतला सकेंगे ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, बनारस में वह शहर एस0पी0 थे। उन्होंने ज्यादतियां की हैं और उनके खिलाफ भी शिकायतें भेजी गयीं है। उनको इसमें रखा गया है, तो मंत्री जी क्या इन तथ्यों की जांच तुरंत करवायेंगे और उनको इसमें से हटा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यही प्रश्न शतरुद्र प्रकाश जी ने पूछा था।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 22 हजार शिकायतें आयी उनको निपटाने में कितना वक्त लगेगा। क्या कोई वक्त रखा गया है कि इतने समय के बीच में इन शिकायतों का निपटारा हो जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, 7 जनवरी, 1978 से इस आयोग की अवधि को गिनती की जायगी और इस आयोग को 6 महीने का समय दिया गया है।

भू-राजस्व की दरों का अभिनवीकरण एवं भू-राजस्व में वृद्धि

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार ने राज्य के किसानों से वित्तीय वर्ष 1974—75 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 1977—78 में अधिक लगान वसूल करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो किस प्रतिशत में और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जी हां।

वर्ष 1974—75 में भू-राजस्व की मांग लगभग 20 करोड़ रु0 थी। जुलाई 1976 से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से भू-राजस्व की दरों के अभिनवीकरण के फल-स्वरूप चालू मांग लगभग 45 करोड़ रु0 की हो गई। शासन के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1978 के अनुसार 1384 फसली तक के बकाया भू-राजस्व की वसूली 2 किस्तों में की जानी है। पहली किस्त की वसूली मार्च, 1978 तक तथा दूसरी किस्त की वसूली रबी 1385 फसली की वसूली के साथ होनी है। इस प्रकार वर्ष 1977—78 में बकाया सहित लगभग 25 करोड़ रु0 की मांग हुई जो 1974—75 की मांग से 25 प्रतिशत अधिक है, जिसका कारण भू-राजस्व के दरों का अभिनवीकरण है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान जो लगान का अभिनवीकरण हुआ है वह जमींदारी उन्मूलन की धारा 17 का संशोधन करके, मौरूसी दर का दोगुना लगान किया गया है। यदि हां, तो जो वसूली होगी क्या वह दोगुने दर पर की जायगी या जैसा आपने 25 सैकड़ा की बात की, उस दर पर की जायगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि मौरुसी दर का दोगुना लगान निर्धारित किया गया है और जो पिछला बकाया लगान है, वह उसी दर पर वसूल किये जाने का प्रस्ताव है। जहां तक और जो परिवर्तन हुए हैं, वह माननीय सदस्यों को मालूम हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी ने जो यह दोगुनी वृद्धि लगान में की गयी है, उसका विरोध किया है। ऐसी स्थिति में क्या मौजूदा सरकार पुनः 1974—75 का जो लगान था उसकी दर का निश्चित करने पर विचार करेगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह बताया गया है कि जो पिछली दर कांग्रेसी शासन के वक्त में बनी थीं, तो जो रुपया बकाया है, वह पूरे का पूरा उसी दर पर वसूल किया जायगा। इधर विकास कर छोड़ दिया गया है और $3\frac{1}{8}$ एकड़ पर लगान मुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या 1974—75 का लगान फिर से जारी करेंगे ? प्रश्न यह है कि जो 1974—75 में लगान की दरें थीं, वही करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो अभिनवीकरण की दरें हैं, वह तो उसी प्रकार से रखी गयीं हैं। उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, यह अभी साफ नहीं हुआ है, । मान्यवर, सन् 1974-75 में 20 करोड़ रुपये आते थे। सन् 1976 में यह 45 करोड़ रुपये हो गये। तो क्या आप भविष्य में, जो 20 करोड़ रुपये, जो लगान था वह ही उसी दर पर वसूल करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने इसका उत्तर नहीं में दिया है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लगान की जो संशोधित दरें सरकार ने तय किया है, जमीन की किस्म के अनुसार इसमें किसान पर, 25 करोड़ रुपये जो बढ़ा है, उसका अधिक भार पड़ रहा है कि नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जो दरें निश्चित किया है वह पिछले शासन ने निश्चित किया है और मैंने जैसा बताया कि जो विषमतायें दरों में थी उसको समाप्त करके समान करने का कार्य किया है।

श्री बदन सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना लगान 31 मार्च, 1978 तक वसूला जा सका है और कितनी वसूली रबी 1385 फसली के लिये बाकी रह गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछली सरकार के जमाने में जो बढ़ा हुआ लगान था, उसको समाप्त करने के लिये पिछली सरकार ने अध्यादेश जारी किया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, अध्यादेश तो समाप्त हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी का ध्यान जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के उस अंश की ओर गया है जिसमें कमेटी ने संस्तुति किया था कि एक रुपये वाले किसान को 6 आने और एक आने कमी करने का सुझाव था ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की बातों को ध्यान में रखकर, और पिछली सरकार की किसान विरोधी नीति को देखते हुए, क्या मौजूदा सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप तर्क दे रहे हैं। यह नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो मान्यवर, दूसरा प्रश्न कर लेने दें। क्या सरकार ने इस बात को देखा है कि किसानों से अधिक लगान वसूल करना मुनासिब नहीं है ? अगर है, तो किन कारणों से मुनासिब समझा है कि इस बढ़े हुए लगान को कायम रखें ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी इसका जवाब दें कि बढ़ा हुआ लगान आप क्यों वसूल कर रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि 3 1/8 एकड़ तक लगान माफ हो गया है, उसके ऊपर विकास कर लगा हुआ है। 3 1/8 एकड़ के उपर लगान और विकास कर दोनों था, तो विकास कर छोड़ दिया है।

अब उसका लाभ देकर जो लगान में विषमताएं थीं उनको दूर किया है। अभिनवीकरण से लगान बढ़ा हुआ है यह सत्य नहीं है बल्कि अब लगान में अभिनवीकरण से समानता लाई गई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने लगान के जो अभिनवीकरण के मापदन्ड बना रखा था उससे क्या वर्तमान सरकार सहमत है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जहां तक मापदन्ड उनका था तो भूमिहीन गरीब जो लोग थे जिनको भूमि आबंटित की गयी थी 8–10 साल से सर्किल रेट का दुगुना रेट उन पर लगाया गया। इसलिये समाज के निर्बल लोगों को जो दूना सर्किल रेट का दे रहे हैं और बाकी जो सक्षम हैं, उनके कम रेट को पिछले से बढ़ा कर उतना ही कर दिया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया कि क्या वर्तमान सरकार उस मापदन्ड से सहमत है, जो पिछली सरकार ने रखा था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है मैं तो इस राय का हूं कि जब सरकार लगान वसूल कर रही है.....

श्री अध्यक्ष—

वे सहमत हैं।

स्थानीय निकायों के चुनाव में मताधिकार की आयु 18 वर्ष किये जाने पर विचार

**3—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासन इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी जाय? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जी हां।

इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की संभावना है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा। अब तक इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस संबंध में जो प्रक्रिया है अपने प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में मतदान की, उसमें जो विशेष मतदाता सूची होती है, उसको ही एडाप्ट करना पड़ता है और इसी संबंध में सारी जानकारी कराई जा रही है। इस प्रश्न को शासन बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा है। लोकनायक जय प्रकाश ने जब आन्दोलन प्रारम्भ किया था, तो लोकतंत्र के लिये यूथ फार डेमोक्रेसी का नारा दिया था और डा0 लोहिया भी बराबर इसी मत के थे कि न्यूनतम आयु मतदाताओं की 18 वर्ष की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी इतनी दलील में क्यों जा रहे हैं। आपको तो निर्णय करना है। जय प्रकाश और डा0 लोहिया से आप प्रकाश लीजिए लेकिन यहां पर उत्तर आप दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जैसा पूछा गया है क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं और इस संबंध में कार्यान्वयन क्या हुआ, कार्यान्वयन और जो भी प्रक्रिया है सारे प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री रवीन्द्र सिंह—

सरकार का 'शीघ्र' शब्द बड़ा अनिश्चित सा लगता है। क्या माननीय मंत्री जी किसी निश्चित तिथि तक निर्णय लिये जाने का स्पष्ट आश्वासन इस सदन में देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो विचार हो रहा है उसकी प्रक्रिया में यह निर्णय किस स्तर पर अभी है ? दूसरी बात यह है कि क्या नागर क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्रीय नगरपालिकाओं के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनके पूर्व निर्णय ले लिया जायगा या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस संबंध में भारत सरकार भी विचार कर रही है और राज्य सभा में भी इस संबंध में प्रश्न उठाया गया था और भारत सरकार इस संबंध में भी सक्रियता से बिचार कर रही है। निश्चित रूप से मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि चुनाव के पहले मतदाता सूची बनेगी या नहीं। निश्चित तिथि नहीं बता सकता क्योंकि शासन का इरादा बहुत शीघ्र चुनाव कराने का है।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सही है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि 18 वर्ष की आयु मतदाताओं की कर दी जाय। मतदाताओं की सूची तैयार करने में, घर-घर लोगों की जांच करने में उसकी छपाई में संशोधन कर के छपाई में कम से कम एक वर्ष का समय लग जायगा। यदि हां, तो सरकार इस चुनाव को कितने दिनों में करना चाहती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यदि सदन सर्वसम्मत से सहमत हो, तो मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, लेकिन ऊदल जी ने जो एक वर्ष के समय के लिये कहा है उस पर आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव करायें जायं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

18 वर्ष की आयु करने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार प्रान्तीय सरकार ने किया है, तो वहां से किस प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पत्र व्यवहार मंत्री जी ने अपनी मदद के लिये किया है। इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या सरकार इस निर्णय के पहले या इस निर्णय के बाद चुनाव कराना चाहती है?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

हरिजन छात्रों की छात्र-वृत्ति के आवेदन-पत्रों पर विचार

**4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष हरिजन समाज कल्याण छात्रों के उन्हीं छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्रों पर विचार कर रहा है जो 31 अगस्त, 1977 तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि इस वर्ष परीक्षाफल जनवरी तक घोषित हुए हैं और उनके आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री राम सिंह)—

नहीं, यह बात सही नहीं है कि वर्ष 1977-78 में हरिजन छात्रों के छात्रवृत्ति के केवल उन्हीं आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया जो 31 अगस्त, 1977 तक प्राप्त हुए थे। उनके छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्रों पर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक विचार किया गया है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि फार्म 31 अगस्त, 1977 के उपरान्त नहीं लिए जायंगे, इसी आधार पर प्रत्येक जिले कार्यालय में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या सरकार आदेश देगी कि 31 अगस्त, 1977 के बाद भी आने वाले प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार कर लिया जाय ?

श्री राम सिंह—

पहले आदेश 31 अगस्त, 1977 तक के लिए था और वह 22 जुलाई, 1977 को डायरेक्टोरेट से गया था। उसके पश्चात् दूसरा आदेश 12 सितम्बर, 1977 को गया जिसमें यह आदेश था कि समस्त छात्रवृत्ति के फार्म 15 अक्तूबर, 1977 तक आ जायं। तत्पश्चात् अन्तिम आदेश 25 जनवरी, 1978 को गया कि आवेदन-पत्र 31 मार्च, 1978 तक आ जायं उन पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

अब भी बहुत से ऐसे छात्र रह गए हैं, जिनके आवेदन-पत्र नहीं लिए गए। क्या सरकार दुबारा कोई ऐसा सर्कुलर निकालेगी ताकि उनके आवेदन-पत्र पर विचार कर लिया जाय ?

श्री राम सिंह—

यह आदेश तो समय से सभी जिलों में भेजा गया है। यदि इस तरह के कुछ केसेज होंगे, जो 31 मार्च, 1978 तक आ चुके होंगे और उन पर विचार नहीं हो सका होगा, तो मुझे लिख कर दे दिया जाय मैं उनको स्वीकार करा दूंगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

बहुत से प्रार्थना-पत्र 31 मार्च, 1978 तक नहीं आ सके तो क्या सरकार कोई नया आदेश भेजने की कृपा करेगी कि नए प्रार्थना-पत्र अप्रैल की किसी तारीख तक भी लिए जा सकते हैं ?

श्री राम सिंह—

मैंने 25 जनवरी, 1978 को आदेश यहां से भेजा था और उसमें कहा था कि 31 मार्च, 1978 तक यदि प्रार्थना-पत्र आ जायं तो उनको स्वीकार कर लिया जाय। यदि कोई विशेष ऐसी परिस्थिति हुई किसी छात्र के सामने तो वह केसेज मुझे बतला दिए जायं मैं उनको स्वीकार करा दूंगा।

तारांकित प्रश्न

*1-2—श्री सोहनबीर सिंह तोमर—

[उरे मंगलवार (11 अप्रैल, 1978) को तारांकित प्रश्न संख्या 33-34 के अन्तर्गत उत्तरित]

सीतापुर जिले के ग्राम रण्डा कोडर में निर्बल वर्ग को दी गई भूमि का पट्टा व अभिलेख किया तथा बन्दोबस्त में नम्बर दर्ज न किये जाने के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*3—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम रण्डा कोडर, परगना उत्तरी कोड़री, तहसील बिसवां के लगभग 500 समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को पट्टा दिया गया था, जिस पर वर्ष 1973-74 में मौका निरीक्षण कर मौके के अनुसार किसानों को परताल का पर्चा दिया गया और नक्शा बना दिया गया किन्तु जिल्द बन्दोबस्त में किसानों को पर्ची के मुताबिक नम्बरान नहीं दिया गया है ? इस आशय का लगभग 500 किसानों का हस्ताक्षर-युक्त आवेदन-पत्र कि पुनः बन्दोबस्त करा दिया जाय, किसी जन प्रतिनिधि के पत्र के साथ शासन को नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम रण्डा कोंडर, परगना उत्तरी कोड़री, तहसील बिसवां, जिला सीतापुर में वर्ष 1971–72 में 125 व्यक्तियों को 317.37 एकड़ भूमि के सीरदारी पट्टे किए गए थे। इसके अतिरिक्त 1,367 फ0 से 1378 फ0 तक की अवधि में 73 आसामी पट्टे 218.30 एकड़ भूमि के किए गए। यह पट्टे दहावर नदी से लगे बड़े भू–खण्ड में मिनजुमला नम्बरान बनाकर किए गए थे। वर्ष 1973–74 में अभिलेख क्रियाओं में जो जिल्द बनी उसमें कई पट्टेदारों के खातों में अंकित नए नम्बरान मौके पर उनके कब्जे से मेल नहीं खाते।

प्रश्न में उल्लिखित आवेदन–पत्र शासन को मिला था। जिले में जांच करने पर यह पाया गया कि रिकार्ड आपरेशन में बनी जिल्द में कई त्रुटियां हैं। अतः जिलाधिकारी ने इस गांव में पुनः रिकार्ड आपरेशन कराने का प्रस्ताव राजस्व परिषद् को भेजा है। अग्रिम जांच कराने के उपरान्त त्रुटियों के निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस गांव से जितने पट्टेदारों को पट्टे मिले थे और उस समय वे जिस तरह से मौके पर काबिज थे, उसके आधार पर उनको पट्टा दिया गया था और इस समय उसकी शक्ल तबदील कर दी गई है और कागज में बदल दिया गया है। तो इस समय जो मौके पर काबिज पट्टेदार हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है क्या मंत्री जी जब तक उनका नया बन्दोबस्त नहीं हो जाता है, तब तक उनको काबिज रहने देंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जिन पट्टों को नया नम्बर दिया गया है अगर उनको गलती से किसी दूसरी जगह दिखा दिया गया है, तो ऐसे आदेश कर दिए गए हैं, उन्हें ठीक कर दिया जाय।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पट्टेदार इस समय मौजूद हैं और वे बसे हुए हैं, जिसे वे जोतते–बोते हैं और उन्हें वहां से जबरदस्ती हटाने का काम जारी है। क्या मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि उन्हें वहां से हटाया नहीं जायगा?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया त्रुटियां नक्शे में रिकार्ड आपरेशन के दौरान पाई गयीं। उसको देखते हुए इस तरह से जो लोग काबिज हैं, उनको बेदखल नहीं किया जायगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह रिकार्ड आपरेशन का काम कब तक पूरा हो जायगा?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, अभी तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास से आया है और जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है अग्रिम जांच कराने के उपरान्त जब काम पूरा हो जायगा तो फौरन आदेश हो जायेंगे।

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि वितरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट में जोत हदबन्दी नियम का उल्लंघन किये जाने से सम्बन्धित जिन मामलों का उल्लेख किया गया है उन पर निर्णय लेने अर्थात् सीमा से अधिक भूमि वापस लेकर भूमिहीनों में वितरित किये जाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के परिशिष्ट 18 में 20 बड़े खातेदारों के मामलों का विवरण दिया गया है । इन मामलों के सम्बन्ध में जिलों में कानून एवं नियम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । इन मामलों की प्रगति पर पूरी निगाह रखी जा रही है । प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति संलग्न टिप्पणी में दिखा दी गई है । इन मामलों में कार्यवाहियों की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से शासन ने वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल गठित कर दिया है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1000 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भूमिहीनों और सर्वहारा वर्ग के हित में जो मंगलदेव विशारद कमेटी बनी थी, उसने एक प्रशस्तिपूर्ण रिपोर्ट दी थी उसने बहुत से लोगों को उजागर कर दिया जिन्होंने भूमि हड़प रखी थी । उस रिपोर्ट के आने के बाद इस सरकार ने लोगों से जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटने का प्रयास नहीं किया और श्री मंगलदेव जी को भी मीसा में डाल दिया । अब इस वर्तमान सरकार के सामने जो प्रश्न है कि वह जमीन कैसे ली जाय । इस सम्बन्ध में मान्यवर, नत्थी की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उसको देखने से पता लगता है कि जितने फार्म थे, उनकी जमीन लेना अभी संभव नहीं हुआ है । मजीठिया परिवार का मामला जिला स्तर के न्यायालय में विचाराधीन है, गणेश शुगर मिल्स का मामला भी जिला स्तर के न्यायालय में है, बहेड़ी शुगर वर्क्स का मामला हाई कोर्ट में है, अपर गैंजेस, शुगर मिल का मामला भी हाईकोर्ट में है, रामगढ़ फार्म एण्ड इंडस्ट्री के मामले में कुछ हो गया है और जमीन शासन के कब्जे में आई है । लेकिन अभी उसका वितरण नहीं हुआ । इसी तरह से सब के विवरण दिये हुये हैं । इसमें व्यवहारिकता में कुछ कानूनी कठिनाई आ रही है । लेकिन समाज इस बात के लिये तत्पर है कि गरीबों को हक प्राप्त होना चाहिये और जमीन उन लोगों में बांट दी जाय । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि कानून कहीं बाधक हो रहा है, तो कानून में भी इस तरह का संशोधन करने का निर्णय करेंगे कि जिससे जमीन उन गरीब और भूमिहीनों को बांटी जा सके ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने अभी बताया कि एक कार्यकारी दल इसकी गति तीव्र करने के लिये बना दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों का । जो भी इस सम्बन्ध में आवश्यकता होगी उस पर कार्यवाही की जायेगी । इसीलिये वह दल गठित किया गया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मंगल देव कमेटी का प्रतिवेदन पिछली सरकार के समय आ गया था । तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके प्रतिवेदन पर उस सरकार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, कुछ मामलों में तो कार्यवाही प्रारम्भ की थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्यकारी दल के सदस्य कौन-कौन हैं, इसका गठन कब हुआ, इस दल ने स्वयं में क्या प्रगति की है ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, इस कार्यकारी दल में राजस्व परिषद् के अध्यक्ष, सचिव, राजस्व विभाग और सचिव विधि विभाग तीन आदमी हैं । उनकी दो बैठकें हो चुकी हैं । जैसा माननीय सदस्य ने कहा उसमें कानूनी अड़चन हो रही है और उसमें परिवर्तन किया जाय । इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो संलग्नक के पृष्ठ 5, क्रम संख्या 13 में बहराइच में 2128 एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित हुई थी । यह कब घोषित हुई और कब सरकार के कब्जे में आई । इसमें से अभी तक 133 एकड़ जमीन खेती के अनुपयुक्त पाई गई और 501 एकड़ जमीन अनधिकृत कब्जे में पाई गई । मैं जानना चाहता हूं कि यह कब से शासन के कब्जे में है और उन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

तिथि की तो निश्चित सूचना मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन अनधिकृत कब्जे हटाने के लिये कार्यवाही हो रही है और यह शीघ्र हो जायेगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । यह हमारे बहराइच में सरदार जोगेन्द्र सिंह की 6 हजार एकड़ जमीन का मामला है, इसको तीन-तीन बार बेचा गया । गांव के लोगों को तीन-तीन बार रुपये देने पड़े । वह जमीन सरप्लस घोषित हुई लेकिन आज तक उसे खाली नहीं कराया गया । यह उन्हीं लोगों के कब्जे में चली आ रही है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये आपने क्यों कार्यवाही नहीं की और क्यों नहीं उस जमीन को आवंटित किया ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, कुछ लोग उस पर काबिज हैं । किसी को वह जमीन बेच दी गई, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन इसको तुरन्त आवंटित कर दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत साढे 12 एकड़ से अधिक जमीन रखने का जो किसी को प्राविधान नहीं है, उसके अनुसार और मंगलदेव विशारद कमेटी की संस्तुति के अनुसार क्या मंत्री जी उनसे जमीन लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी के मूल उत्तर में विस्तार से दिया गया है ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

अगर मंगलदेव कमेटी की संस्तुतियां लागू हो जांय, तो उसके फलस्वरूप कितनी जमीन उपलब्ध होगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

रिपोर्ट लागू करने के मार्ग में कई मुकदमें चल रहे हैं कुछ हाईकोर्ट में और कुछ जिले में हैं। अतः यह अभी बताना सम्भव नहीं है कि इसके फलस्वरूप कितनी जमीन मिलेगी। फिर परिशिष्ट 19 में जो 270, 50 एकड़ से अधिक के फर्म थे, उनके बारे में कानून में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, वह किया जा रहा है और फिर उसके बाद की परिशिष्ट में 20 चीनी मिलों के बाबत कहा गया है, उसके बारे मे भी कार्यवाही हो रही है, शेष 20 के बारे में भी हम अलग-अलग कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मिर्जापुर जिले का जो गोपालपुर फार्म है, जिस पर श्री कमलापति त्रिपाठी का अधिपत्य है और जिस पर सतियां-काण्ड हुआ था, क्या सरकार द्वारा उसका भी अधिग्रहण किया जायगा और उससे निकली जमीन को भूमिहीनों में वितरित किया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

गोपालपुर फार्म के बारे में कार्यवाही हो रही है, जिसमें अभी 2-3 उसके खातेदार थे, लेकिन जब बाद में वृहत् जोत कर के लिये कार्यवाही हुई तो उसमें उज्रदारी करके कहा गया कि उसमें हमारी एक कोआपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें लगभग 103 आदमी और हैं। फिर उस समय के कांग्रेस प्रशासन का लाभ उठाते हुये निर्णय हुआ कि उसकी 106 आदमियों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनेगी। उसके बाद एक दावा किया और यह घोषणा कर दी कि 3 आदमियों के स्थान पर 100 से अधिक आदमी इसमें है किन्तु जब से हम आए हैं इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है और हमने निर्णय लिया है कि 3 ही आदमी वास्तव में इसके खातेदार हैं और शेष जो नाम बढ़ायें गये हैं वे फर्जी हैं इसलिये सीलिंग की कार्यवाही की जाये।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, सीलिंग से निकली हुई जमीन मेरे बस्ती जिले में भी है जिनका वितरण आज तक नहीं हुआ है और कुछ जमीनें ऐसी हैं जो सीलिंग से निकलने के बाद भी भूमिपतियों के हाथ में हैं तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सीलिंग से निकली हुई भूमि का भविष्य मे शीघ्र से शीघ्र वितरण हो सके ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

सीलिंग की जमीन उपलब्ध नहीं है ऐसा निर्णय लिया गया है कि कहीं 5 एकड़ से अधिक जमीन एक स्थान पर हो तो उसको वितरित न किया जाये क्योंकि कृषि विभाग को बीज फार्म व अन्य प्रगतिशील कृषि कार्यों के लिये उसकी आवश्यकता होगी। अतः जो 5 एकड़ से अधिक एक स्थान पर है उसके पट्टे नहीं किये जा रहे हैं।

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों की हरिजन बस्तियों की भूमि पर अंकित अन्य व्यक्तियों के नाम

*6---श्री हरिकेवल प्रसाद---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम लार, राउतपार अमेठिया, वरडीहा परशुराम बलुआगौरी, चौरडीहा, डोमवलिया, मझौली सलेमपुर, खुखुन्दू, बनकटा, अमेठिया, सच्चापार, छोटका गांव, कुडावल, तारा, इसारू, कुंडावल हरी, बढ़याहरदो, नादघाट बढ़का गांव बनकटा मिश्र, पिंडी, खखनिया, डुमरी और मझवलिया के गरीब हरिजनों, पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों की आबादी की भूमि जिस पर कि पूर्व से आज तक उनका कब्जा है उन्हीं गांवों के प्रभावशाली लोगों का नाम दर्ज है, जिसका भय दिखा कर गरीबों से बेगार लेते हैं तथा प्रताड़ित करते हैं ? यदि हां, तो प्रभावशाली लोगों का नाम खारिज कर उन गरीब लोगों का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम लार, राउतपार-अरेठिया कुडावल-तारा, इसारू, बढ़या-हरदों, बनकटा-अमठिया चोरडीहा, बरडीहा,-परशुराम, कुडावल हरी, पिन्डी, खुखुन्दू, डुमवलिया, नादघाट, बनकटा मिश्र, बडकागांव, खरवनियां तथा डुमरी में 144 खातेदारों की 19.02 एकड़ भूमि पर 187 हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी है । ग्राम सलेमपुर, मझौली, छोटका-गांव, मझवलिया, सच्चा पार तथा बलुआगौरी ग्रामों में स्थित हरिजनों आदि के मकान की भूमि आबादी वर्ग 6 अंकित है । प्रभावशाली लोगों द्वारा बेगार लेने तथा प्रताड़ित करने की विशिष्ट सूचना नहीं है । चकबन्दी क्षेत्र में पड़ने वाली 3.17 एकड़ भूमि पर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आबादी वर्ग 6 अंकित कर दिया गया है । शेष मामलों में चकबन्दी तथा तहसील अधिकारियों द्वारा आबादी अंकित करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्रभावशाली लोगों द्वारा हरिजनों, अल्पसंख्यकों से बेगार लेने या उनको प्रताड़ित करने की सूचना नहीं मिली है । मैं जानना चाहता हूं कि सलेमपुर तहसील में किन-किन अधिकारियों के न्यायालय में आबादी तय करने के मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस प्रश्न में 23 गांव के बारे में पूछा गया है । 6 ऐसे हैं जिनमें हरिजनों की आबादी अंकित है । 12 गांवों में चकबन्दी चल रही है और जहां इनकी आबादी है, वहां आबादी दर्ज करने का कार्य हो रहा है । पांच गांव ऐसे हैं, जो चकबन्दी में नहीं आते । उनके लिए आबादी अंकित करने की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय से हो रही है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

जो चकबन्दी के गांव हैं, उन पर तो आबादी दर्ज करने का काम पूरा हो गया । जो चकबन्दी के बाहर हैं, उन पर कार्यवाही जारी है । मेरी निश्चित जानकारी है कि उन गांवों में समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और जैसा मंत्री जी स्वयं भी कहते हैं कि 187 परिवार ऐसे हैं । जितने हरिजन या कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके घरों पर भूमिधरी या सीरदारी कागजात में अंकित है । क्या मंत्री जी इनकी आबादी दर्ज कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

23 गांवों में से 18 में तो कार्यवाही पूरी हो गयी है । 5 गांव हैं, जहां इनकी वास्तविक आबादी है लेकिन दूसरे खातेदारों की भूमि अंकित है । उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि आबादी दर्ज करने के आदेश दे दिये गये हैं । वह कार्यवाही चल रही है और वह शीघ्र ही पूरी हो जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति है कि जमीन पर कब्जा किसी का है और कागज में इन्दराज किसी और नाम से है । क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि कागज में जमीन किसी के भी नाम हो, लेकिन मौके पर जो काबिज है, जिनका मौके पर कब्जा है, घर है, दरवाजा है, बिना किसी लीगल काम्प्लीकेशन में डाले उनके नाम कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जहां-जहां आबादी में इस तरह से लोग बसे हुए हैं और भूमि दूसरों की है, तो उसमें कानूनी प्रश्न आता है । मान लीजिए किसी ने किसी दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती मकान

बना लिया है। अब अगर हम जनरल आदेश दे दें कि इस तरह से जिसका मकान बना हुआ है और जो मौके पर काबिज है, तो इससे बड़ी दुर्व्यवस्था हो जायगी।

श्री मित्र सेन--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने इस तरह के कोई आदेश प्रसारित किये थे या ऐसे कोई अध्यादेश थे कि जो मकान किसी के खेत, बाग या सीरदारी भूमि पर बने हैं, उनको आवादी दर्ज कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, ऐसे आदेशों की मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए किसी कार्यवाही की बात नहीं बता सकता।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में चुनार में 3-4 ऐसे ईसाइयों के परिवार हैं जो वहां 50-70 साल से बसे हैं ? क्या उनके कागजात को देखकर उनको पक्का कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं पैदा होता है।

बाढ़ व सूखे से प्रभावित क्षेत्र की सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि

*7--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को साढ़े तेरह करोड़ रुपए बाढ़ व सूखा सहायता के लिए अभी हाल में स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो इस धन को व्यय करने की सरकार की क्या स्कीम है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश को बाढ़ व सूखा से हुई क्षति के कारण सहायता के लिये साढ़े तेरह करोड़ रुपए की नहीं बल्कि केवल दस करोड़ रुपये की सहायता एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के रूप में स्वीकृत की गई है जिसका व्यय निम्नलिखित स्कीमों पर किया जाना केन्द्र सरकार ने ही निश्चित किया है:--

		धनराशि (करोड़ रुपये में)
(1)	बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण कार्य	4.10
(2)	सिंचाई संबंधी मरम्मत कार्य	1.90
(3)	जमींदारी बांधों की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण	0.50
(4)	वर्तमान बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण निर्माण कार्यों की बृहत् मरम्मत और पुनर्निर्माण	1.00
(5)	सड़कें	1.75
(6)	लघु तथा सीमान्त कृषकों को बीज की व्यवस्था	0.75

*8--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[आश्वासन-समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*9--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

मेरठ व झांसी क्षेत्र के लिए अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में परिवर्तन करने की मांग

*10--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लैण्ड सीलिंग ऐक्ट में मेरठ व झांसी क्षेत्रों की जमीन को एक ही स्तर का माना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेरठ व झांसी क्षेत्रों की जमीन में अन्तर करके लैण्ड सीलिंग ऐक्ट में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा पूरे प्रदेश में एक समान है । अधिकतम सीमा अवधारण के प्रयोजनार्थ प्रदेश में असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है । अधिनियम की धारा 4 (2) में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए जिनमें जिला झांसी भी शामिल हैं, असिंचित भूमि को दो उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है :--

(1) एकल फसलवाली भूमि, जिसकी डेढ़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है, और

(2) असिंचित भूमि, जिसकी ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है । इस प्रकार मेरठ व झांसी क्षेत्रों में केवल असिंचित भूमि की सीमा में अन्तर है । यह व्यवस्था धारा 4(2) में उल्लिखित क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों तथा कृषि में पिछड़ेपन के आधार पर की गयी है ।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियां लगभग समाप्ति पर हैं और अधिकांश मामलों में भूमि अतिरिक्त घोषित होने के बाद भूमिहीनों को आवंटित भी की जा चुकी हैं । अतः अब इस स्तर पर अधिनियम में कोई सैद्धांतिक संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है ।

*11--श्री राम आसरे वर्मा--

[7-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

देवरिया जिले के विशुनपुरा विकास खंड में नदी का कटाव एवं प्रभावित ग्रामों की चकबन्दी

*12--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में पडरौना तहसील नदी के कटाव से प्रभावित विशुनपुरा विकास खंड में ऐसे कितने गांव हैं जहां चकबन्दी योजना लागू नहीं है ? क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नदी के कटाव से प्रभावित पडरौना तहसील के गांवों को चकबन्दी व्यवस्था से मुक्त करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

देवरिया जनपद की पडरौना तहसील में चकबन्दी कराने हेतु सर्वेक्षण किये गये ग्रामों में नदी के कटाव से प्रभावित विशुनपुरा विकास खंड के ऐसे केवल 2 ग्राम है जहां चकबन्दी योजना लागू नहीं है ।

वर्तमान समय में पडरौना तहसील के जिन गांवों में चकबन्दी योजना लागू है उनमें ऐसा कोई गांव नहीं है जो नदी के कटाव से प्रभावित हो । अतः किसी ग्राम को चकबन्दी व्यवस्था से मुक्त कराये जाने के संबंध में आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जब पडरौना तहसील में नदी के कटाव से प्रभावित ऐसा कोई गांव नहीं है, तो बड़ी गंडक और बांसी के अंतराल और अनेकों स्रोतों के कारण उन प्रभावित गावों की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार तीन करोड़ रुपये खर्च करके रिटायर बांध का निर्माण क्यों करा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जहां तक सूचना है, 2 गांव प्रभावित हैं और अन्य कोई गांव प्रभावित नहीं हैं । यदि कोई अन्य गांव के संबंध में माननीय सदस्य बता देंगे, तो जांच करा ली जायेगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, कुछ गांवों के नाम हैं--माधो कोठेलवा, बबुइया हरपुर, चेती मुसहरी और मनकौरा, जो बांसी नदी के तट पर हैं और 6/7 सोतों से जुड़े हुए हैं और जिनसे जोड़-बनिया नाला भी जुड़ा है और ये गांव इन सबके बीच में आ जाते हैं, तथा इन गांवों की 80 प्रतिशत जमीन प्रतिवर्ष नदी के पेट में चली जाती है । क्या माननीय राजस्व मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर भेजकर जांच करायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इन गांवों के नाम लिख कर दे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*13--श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने के लिये शासनादेश सं0 राजस्व (ङ) विभाग सं0 70/1/67/180, दिनांकित 14 फरवरी, 1968 जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के संबंध में उक्त निर्णय को लागू करने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । शासनादेश सं0 70/1/67/180, दिनांक 14 फरवरी, 1968 जारी होने के बाद परिस्थितियां बदल गईं और चकबन्दी अधिष्ठान के 74 प्रतिशत के लगभग पद 1 अप्रैल, 1972 से प्रारम्भ करके अब तक स्थायी किये जा चुके हैं तथा चकबन्दी अधिष्ठान को पेंशन योग्य भी माना जा चुका है अतः अब इन परिवर्तित परिस्थितियों में उक्त शासनादेश में उल्लिखित वर्ष 1967 के निर्णयों के लागू करने का प्रश्न नहीं उठता

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कन्सालीडेशन स्टाफ एब्जार्पशन कमेटी, 1966 ने कोई रिपोर्ट शासन को दी थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या थी, उसने क्या संस्तुतियां की थीं और उन संस्तुतियों में से शासन ने कौन-कौन सी संस्तुतियों और रिपोर्ट को माना ? जिसको नहीं माना, उसके न मानने के कौन से कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, कन्सालीडेशन एब्जार्पशन कमेटी की संस्तुतियां इस प्रकार हैं:--

(1) चकबन्दी अधिकारियों तथा अन्य समकक्ष गजटेड अधिकारियों के लिये तहसीलदारों की सीधी नियुक्ति में 33 1/3 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाये।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा अन्य समकक्ष अधिकारियों के लिये नायब तहसीलदारों की सीधी नियुक्ति में 33 1/3 प्रतिशत आरक्षण किया जाये।

(3) कन्सालीडेशन, पेशकार, कानूनगो, रैक्टेगुलेटर इत्यादि श्रेणी के कर्मचारियों के लिये रेगुलर कानूनगो के 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जायें।

(4) रेगुलर लेखपाल की उपलब्ध जगहों का 75 प्रतिशत चक बन्दीलेखपालों से भरा जाये

अब तक स्थायी किये गये पदों का विवरण नीचे अंकित है:--

1 अप्रैल, 1972 से स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या			..	1,709
1 अप्रैल, 1973 से	,,	,,	..	3,024
1 अप्रैल, 1974 से	,,	,,	..	5,538
1 नवम्बर, 1977 से	,,	,,	..	632

लगभग 74 प्रतिशत पद स्थायी किये जा चुके हैं और अन्य पर विचार हो रहा है और छटनी का प्रश्न नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या तत्कालीन राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव तथा राजस्व सचिव की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इन संस्तुतियों को लागू किया जाये लेकिन बाद में क्यों बदल गये ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह सारे निर्णय उस समय किये गये थे जब चकबन्दी विभाग से उनको हटाये जाने का प्रश्न था, अब जब उनको स्थायी किया जा रहा है तो दूसरे विभाग में भेजने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, तो क्या माननीय मंत्री जी इस आशय का आश्वासन देंगे कि जो शेष कर्मचारी हैं उनकी छंटनी नहीं की जायेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

शेष अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनके कार्य को देख कर विभाग में स्थायी किया जायेगा ।

प्रोफेसर राजा राम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

*14-श्री सोहनवीर सिंह तोमर ---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने प्रो0 राजा राम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर विचार पूर्ण कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त समिति की कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

श्री राम सिंह---

प्रो0 राजा राम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित स्तुतियों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट उनको कब मिली और कितनी संस्तुतियों पर विचार कर लिया है और कब तक विचार पूर्ण हो जायेगा।

श्री राम सिंह---

मान्यवर, यह रिपोर्ट शासन को अगस्त में प्राप्त हुई थी। उसमें 174 संस्तुतियां हैं, उनका परीक्षण शासन के विचाराधीन है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ताकि सभी माननीय सदस्य इस पर अपने-अपने विचार प्रकट कर सकें ?

श्री राम सिंह---

शासन के पास इस रिपोर्ट की केवल दो प्रतियां हैं। उनको प्रकाशित करने के बाद सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

मान्यवर, 6 महीने हो गये हैं और अभी तक इस रिपोर्ट की और प्रतियां नहीं बनवायी जा सकीं । यह सरकार की मशीनरी है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी आप इसको कब तक रखेंगे ?

श्री राम सिंह---

बहुत शीघ्र ही रख दूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री राम सिंह—

जो मुख्य संस्तुतियां हैं, उनमें समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और जो स्कीम चलती हैं, उनके सम्बन्ध में भी संस्तुति है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्रोफेसर राजा राम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर विचार पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त समिति की कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं?

श्री राम सिंह—

समाज कल्याण विभाग के सम्बन्धित जो समस्त योजनाएं चल रही हैं, विकलांग, अंधे, महिलाओं, बच्चों सभी से सम्बन्धित संस्थाएं उसके अन्तर्गत हैं।

उन्नाव बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, कार्यालय का स्थानान्तरण

*15—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की तहसील पुरवा सफीपुर एवं हसनगंज में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें चार चकबंदी अधिकारी तथा 225 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन उन्नाव के बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी का कार्यालय उन्नाव से लखनऊ ले आये जाने के कारण किसानों को घोर असुविधाएं उठानी पड़ती हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने उक्त कार्यालय को लखनऊ से उन्नाव स्थानान्तरित किए जाने सम्बन्धी कोई आदेश किया था, जिसका अभी तक पालन नहीं किया जा सका? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी का कार्यालय 7 दिसम्बर, 1977 से लखनऊ से उन्नाव स्थानान्तरित किया जा चुका है। अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नायब तहसीलदारों का उनके मण्डल के अर्न्गत स्थानान्तरण

*16—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदारों का पद तृतीय श्रेणी का है और क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि इनका ट्रान्सफर मण्डलीय स्तर पर ही किया जाय? क्या यह सत्य है कि राजस्व परिषद् इस सरकारी फैसले को नहीं मान रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

नायब तहसीलदार का पद तृतीय श्रेणी का है। सामान्य नीति के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अपने निवास के मण्डल में ही स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। किन्तु नायब तहसीलदारों के मामलों में इस सेवा की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण राजस्व विभाग के पुराने शासनादेशों में स्थानान्तरण विषयक नीति को ही अपनाया जा रहा है। उक्त सामान्य नीति को नायब तहसीलदारों के विषय में शिथिल करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बहराइच जिले की ग्राम सभा अन्टहवा की भूमि का आवंटन

*17--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बहराइच के परगना व तहसील नानपारा में ग्राम सभा अन्टहवा के पास कितनी भूमि ग्राम समाज की थी और उक्त भूमि में से कितने-कितने एकड़ भूमि का किस-किस दिनांक को पट्टा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है? क्या उक्त पट्टों पर उठाई गई भूमि में दूसरे ग्राम सभा के प्रभावशाली लोगों का भी कब्जा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कब्जे को हटाने का कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद बहराइच के परगना व तहसील नानपारा में ग्राम सभा अन्टहवा में ग्राम समाज की कुल 166.300 एकड़ भूमि थी। इस पूरी भूमि का पट्टा दिनांक 25 अगस्त, 1977 को ग्राम अन्टहवा और भरहा के 95 व्यक्तियों को किया गया है। विवरण सूची संलग्न है। आवंटियों की भूमि का नियमानुसार सीमांकन भी कर दिया गया है। अन्य ग्राम सभा के प्रभावशाली व्यक्तियों ने जो कब्जा कर लिया था उनसे कब्जा छुडाकर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1007 पर।)

आजमगढ़ जिले के ग्राम धरसन के हरिजनों का भूमि आवंटन संबंधी लेखपाल के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र और लेखपाल तथा प्रधान के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*18--श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ, तहसील व परगना सगड़ी, ग्राम धरसन के गरीब भूमिहीन हरिजनों ने दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को मुख्य मंत्री को व 22 नवम्बर, 1976 को जिलाधीश, आजमगढ़ मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त ग्राम के भूमि आवंटन में लेखपाल आदि कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध आवेदन दिया है? यदि हां, तो मूल प्रार्थना-पत्र क्या है और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद आजमगढ़, तहसील व परगना सगड़ी, ग्राम धरसन के गरीब भूमिहीन हरिजनों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1976 और 30 अगस्त, 1977 प्राप्त हुए थे। इन प्रार्थना-पत्रों में उक्त ग्राम के लेखपाल और अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भूमि आवंटन कार्य में अनियमितता करने, घूस लेने आदि की शिकायतें थी। इन विवादित पट्टों के निरस्त करने हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। लेखपाल और प्रधान को आरोपित करके उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही हो रही है।

*19--श्री दया राम भास्कर--

क्या राजस्व मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त आवेदन-पत्र पर जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गयी? जांच में कौन-कौन सी अनियमितताएं पाई गयीं तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह--

प्रार्थना-पत्र की जांच सुपरवाइजर कानूनगो, बनकट एवं तहसीलदार सगड़ी द्वारा की गयी जांच में भूमि आवंटन निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार भूमिहीनों को किया

जाना नहीं पाया गया और इस अनियमितता के आधार पर पूर्व पारित भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 24 नवम्बर के अन्तर्गत किए गए पट्टों को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत निरसन की कार्यवाही चल रही है ।

अनियमित आवंटन के लिये उत्तरदायी प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। इन दोनों को आरोपित किया जा चुका है ।

*20—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[उरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न सख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बिन्द्रावन चित्र मन्दिर, प्रतापगढ़ के सिनेमा का लाइसेन्स संबंधी कथित प्रार्थना-पत्र

*21—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतलाएगी कि बिन्द्रावन चित्र मन्दिर, प्रतापगढ़ को सिनेमा लाइसेन्स न दिए जाने से संबंधित सर्वश्री रमेश प्रताप सिंह व रमजान अली एडवोकेट ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

(क) मुख्य सचिव को संबोधित सर्वश्री रमजान अली व रमेश प्रताप सिंह का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त एवं लेखा सेवा में सचिवालय के वित्त विभाग के सहायकों को लिये जाने की मांग

*22—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के अतिरिक्त कोषागार व महालेखाकार के कार्यालय के प्रधान लिपिक तथा सचिवालय के वित्त विभाग के उन प्रवर वर्ग सहायकों को भी लिया जाता रहा है जिन्होंने कोषाधिकारी की विभागीय परीक्षा पास कर ली हो? यदि हां, तो क्या वित्त विभाग के कुछ सहायकों को प्रश्नगत सेवा में नहीं लिया गया वरन् सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी के पदों पर केवल तदर्थ रूप से लम्बी अवधि से चलाए जा रहे हैं क्या यह सही है कि इस संबंध में सचिवालय संघ ने अगस्त, 1977 में कोई पत्र दिया था?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां। उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में प्रश्नगत स्रोतों से नियुक्तियां की जाती रही हैं। कोषाधिकारी की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण वित्त विभाग के कतिपय सहायकों को उक्त सेवा में नहीं लिया गया है परन्तु तदर्थ रूप से प्रोन्नति दे दी गई है। सचिवालय संघ ने इन अधिकारियों को उक्त सेवा में संविलीन करने के लिये 22 अगस्त, 1977 को पत्र दिया था।

हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान

*23—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सहायता प्राप्त हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नए वेतन मान की घोषणा

अगस्त, 1972 में सरकार ने की थी ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

राजकीय सहायता प्राप्त हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नये वेतनमान दिए जाने की कोई घोषणा सरकार ने अगस्त, 1972 में नहीं की थी । किन्तु बाद में उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया गया और 4-4-1978 से उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित कर दिया गया है ।

देवरिया जिले की ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां के चकों के रिकार्ड आपरेशन के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

24--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नव युवक मंगल दल व लगभग तीन दर्जन ग्राम वासी, ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खाँ, पो0 बेलवा बाजार, जिला देवरिया ने रजिस्टर्ड पत्र सं0 111, दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 के द्वारा अपने ग्राम में चकों के रिकार्ड आपरेशन के दौरान की गई विभिन्न अनियमितताओं को दूर करने के आदेश देने हेतु उनको कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उनकी विभिन्न शिकायतों के सन्दर्भ में अलग-अलग क्या आदेश दिए गए ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । इस ग्राम के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई गई और जांच के फलस्वरूप गांव के अभिलेखों में जो अशुद्धियां प्रकाश में आयीं, उनका निराकरण सन्दर्भ बनाकर सहायक संचालक, चकबन्दी द्वारा कर दिया गया है ।

मथुरा जिले में आबंटित तकावी व अनुदान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*25--श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में अब तक (7-1-78) कितनी तकावी वितरित की गई और कितना अनुदान बांटा गया व सादाबाद तहसील में तकावी व अनुदान वितरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें शासन के पास विधायकों तथा जनता द्वारा भेजी गयीं, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मथुरा जनपद में दिनांक 17 जनवरी, 1978 तक दैवी आपदाओं के बारे में सहायतार्थ निम्नलिखित धनराशि वितरित की गई :--

(1) तकावी 38,00,000 रु0 ।

(2) अहेतुक सहायता 7,53,500 रु0 ।

(3) गृह निर्माण अनुदान 6,00,000 रुपए ।

(4) बाढ़ और वर्षा से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए ऋण :--

(क) खेतिहरों को 14,35,350 रु0 ।

(ख) गैर खेतिहरों को 3,00,000 रु0 ।

उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त मुख्य मन्त्री कोष से जिले को प्राप्त 12,000 रु0 के 282 कम्बल खरीद कर असहाय लोगों को वितरित किए गए।

जनता की जो शिकायतें क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से प्राप्त हुई थीं उनके फलस्वरूप श्री मिजाजी लाल, लेखपाल को निलम्बित करके तथा श्री राम चरण, लेखपाल का स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चालू की गई है।

प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित शिकायती-पत्र पर श्री देवी प्रसाद, लेखपाल एवं श्री आर0 पी0 गौड़, नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच परगनाधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

अब तक की गई जांच के अनुसार तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया है तथा एक लेखपाल श्री माधव प्रसाद को भी निलम्बित कर दिया गया है।

मथुरा जिले की मुल्तवी लगान के माफी की कार्यवाही

*26--श्री हुकम चन्द तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में अब तक तीन फसलों के मुल्तवी लगान को माफ करेगी जिस पर कि मुख्य मन्त्री द्वारा मथुरा के विधायकों को आश्वासन मथुरा आगमन पर दिया गया था ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मुल्तवी लगान माफी सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

दि बैंगिल्स एसोसियेशन, फिरोजाबाद, आगरा का चूड़ी पर बिक्री-कर हटाने सम्बन्धी मांग पत्र

*27--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के श्रमिक व दूकानदारों की प्रतिनिधि संस्थाओं ने चूड़ी से दुहरे सेल्स टैक्स को हटाने के मांग-पत्र 1977 में दिए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

वर्ष 1977 में दि बैंगिल्स एसोसियेशन, फिरोजाबाद, से चूड़ी की कर देयता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

आगरा, चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद द्वारा कच्चे माल पर बिक्री-कर समाप्त करने की मांग

*28--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद उद्योग नगर की कलात्मक चूड़ी एवं स्वर्णतरल उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी समिति लि0 ने उनके द्वारा अपने सदस्यों को वितरित उत्पादित कच्चे माल से बिक्री-कर समाप्त करने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी हां। मामला शासन के विचाराधीन है।

बांदा जिले के ग्राम गुमाई में कथित भूमि का पट्टा

*29—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के अन्तर्गत ग्राम गुमाई में प्रधान एवं लेखपाल द्वारा लाटरी से पिछले साल जनवरी, 1977 में पट्टे किए गए थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उन भूमिहीनों को क्यों नहीं पट्टा दिया गया और क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माह जनवरी, 1977 में बांदा जिले की तहसील नरैनी के गुमाई ग्राम में प्रधान एवं लेखपाल द्वारा कोई पट्टे नहीं किए गए ।

चूंकि पट्टे नहीं किए गए अतः पट्टा लाटरी से देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

यह ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है यदि चकबन्दी में बचत भूमि अतिरिक्त घोषित होगी तो उसके पट्टे देने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

बांदा जिले के ग्राम भदेदू बांगर में श्रेणी तीन की भूमि पर अंकित नाम एवं बेदखल करने की मांग

*30—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भदेदू, बांगर तहसील करवी, जिला बांदा में खतौनी में श्रेणी तीन की जमीनों पर कितने व्यक्तियों के नाम 1 जनवरी सन् 1978 को अंकित हैं ? ऐसे अनधिकृत कब्जों को बेदखल करने एवं उनको भूमिहीन हरिजनों तथा खेत मजदूरों में वितरित कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम भदेदू, बांगर, तहसील करवी (न कि कटनी), जिला बांदा में श्रेणी तीन में 65 व्यक्तियों के नाम अंकित हैं । श्रेणी तीन के खातेदार अनधिकृत कब्जा रखने वाले नहीं माने जाते हैं बल्कि ग्राम सभा के आसामी कहलाते हैं । ग्राम सभा इनकी बेदखली का वाद धारा 202 ज0 वि0 अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दायर करके ही बेदखल कर सकती है । जब तक ग्राम सभा बेदखली का वाद नहीं दायर करती है तब तक भूमि का पुनः वितरण नहीं हो सकता है । जिन पट्टों की मियाद समाप्त हो गई है उन पट्टेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

गोरखपुर जिले के सी0 ओ0 सर्किल—पकड़ी नौनिया के अन्तर्गत सीलिंग से निकली भूमि

*31—श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के अन्तर्गत सी0 ओ0 सर्किल—पकड़ी नौनिया, क्षेत्र संख्या 9 में कितने व्यक्तियों की भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आई है और उनके नाम तथा गांव क्या-क्या हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गोरखपुर जनपद के तहसील महराजगंज के अन्तर्गत सी0 ओ0 सर्किल, पकड़ी नौनिया, क्षेत्र संख्या 9 में 27 खातेदारों की भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आई है, जिनके नाम तथा ग्राम निम्नलिखित हैं :—

नाम	ग्राम
1—राम हरख दास	लखिमा भरुआ
2—बद्री विशाल	महुअवा
3—राम हरख	महुअवा
4—जनार्दन	सरडीहा
5—ध्रुव नारायन	सरडीहा
6—सुबास विद्यालय, मांझी उर्फ विनोद नगर	मौलागंज
7—सर्वजीत दास	दुबौली
8—दलसिंगार	दुबौली
9—जगदीश	दुबौली
10—चन्द्रबली	दुबौली
11—विशुन दयाल	महदेवा
12—सत्यनरायन	कोठा मुकुन्दपुर
13—दुर्गा दास	कोठा मुकुन्दपुर
14—पुरूषोत्तम	कोठा मुकुन्दपुर
15—कौशल किशोर	कोठा मुकुन्दपुर
16—सुख राज	विशुनपुरा
17—मु0 सुग्गा बेवा कुमार	विशुनपुरा
18—जोखू दास	उसका
19—गंगा प्रसाद	सोहरौना
20—महाबीर	सोहरौना
21—सर्वजीत	राज मन्दिर
22—राम सुमुख	रामपुर खुर्द
23—साधू सरन	पकड़ी
24—कृष्ण मुरारी	पकड़ी
25—दिनेश	पकड़ी
26—श्री नरायन	पकड़ी
27—राम प्रसाद	बरया फा

अमर उदेश विधान सभा

फैजाबाद की तहसल बीकापुर में सूखा

*32—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की बीकापुर तहसील सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुई है ? क्या सूखे से प्रभावित गांवों की मालगुजारी की वसूली स्थगित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में लगभग 631 गांव हैं । इनमें 551 गांव सूखे से विशेष कर प्रभावित हुये जहां फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची थी । सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

देवरिया जिले के ग्राम खेराबनुआ में मकान हेतु तकावी का आवंटन

*33—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976 में जनपद व तहसील देवरिया के लिये मकान निर्माण हेतु शासन द्वारा एक लाख रुपये की धनराशि तकावी के रूप में वितरित करने के लिये आवंटित की गयी थी, जिसमें से 75 हजार रुपये ग्राम खैराबुनआ के एक ही परिवार के सदस्यों को दे दिये गये, जब कि उनके ऊपर पहले से ही सरकारी बकाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष 1976–77 में देवरिया जिले की तहसील देवरिया में 3,76,000 रु0 तकावी के लिये आवंटन किया गया था, उक्त धनराशि में से ग्राम खेराबनुआ में खेतिहरों को 65,000 रुपये तकावी दी गयी । जिन व्यक्तियों को यह तकावी दी गयी वे अलग–अलग परिवार के थे तथा तकावी पाने वाले व्यक्तियों के जिम्मे किसी भी प्रकार का सरकारी मुतालिबा देय नहीं था । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम भदेदू व सुरवल में भूमि का अनियमित पट्टा

*34—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के गांव भदेदू व सुरवल में सीलिंग से उपलब्ध जमीनों के आवंटन के सम्बन्ध में भूमिहीन हरिजनों की ओर से 2 जनवरी और 9 जनवरी, 1978 को एस0 डी0 एम0, करवी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सीलिंग से उपलब्ध भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम भदेदू के हरिजनों का एक शिकायती-पत्र 2 जनवरी, 1978 को एस0 डी0 एम0, कर्वी को प्राप्त हुआ था । ग्राम सुरवल के सीलिंग पट्टों में अनियमितता सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1978 जिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार कर्वी को प्राप्त हुआ था । दोनों प्रार्थना-पत्रों की जांच कराई गई । ग्राम भदेदू में 5 पट्टे तथा ग्राम सुरवल के 13 पट्टे अनियमित पाये गये हैं, जिन्हें निरस्त करने हेतु मण्डलायुक्त न्यायालय में आख्या भेजी जा रही है । अनियमित पाये गये पट्टों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित सुपरवाइजर, कानूनगो एवं प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है । जिसके पश्चात् आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

हरदोई जिले के ग्राम महरेपुर की भूमि प्रबन्ध समिति का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव

*35—श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महरेपुर, परगना बंगर, तहसील व जिला हरदोई की भूमि प्रबन्ध समिति ने आज से करीब एक वर्ष पूर्व सात भूमिहीनों को भूमि देने का प्रस्ताव किया था परन्तु सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा अभी तक इन प्रस्तावों की तसदीक नहीं की गई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत प्रस्तावों की तसदीक परगनाधिकारी, हरदोई द्वारा आवश्यक जांच के उपरान्त दिनांक 2 जनवरी, 1978 को कर दी गई है।

बांदा जिले के ग्राम कमासिन के श्री धर्मराज सिंह की अतिरिक्त भूमि का हरिजनों में आवंटन और हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*36—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कमासिन, परगना व तहसील बबेरू, जिला बांदा के बड़े काश्तकार धर्मराज सिंह की 60 बीघे जमीन सीलिंग में निकली थी और उसे बांदा के अधिकारियों ने उसी गांव के सत्रह हरिजनों को पट्टा कर दिया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त धर्मराज सिंह हरिजनों द्वारा बोई हुई फसल को काट लेते हैं और हरिजनों को परेशान किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में पट्टेदार हरिजनों ने दिसम्बर, 1977 एवं जनवरी, 1978 में जिलाधिकारी, बांदा को प्रार्थना-पत्र दिया है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गांव कमासिन, परगना बबेरू, तहसील बबेरू, जिला बांदा के श्री धर्मराज सिंह खातेदार की 92 बीघा 8 बिस्वा 4 1/2 बिस्वांसी भूमि नियत प्राधिकारी द्वारा 15 अक्तूबर, 1976 को अतिरिक्त घोषित की गई थी। इसमें से 54 बीघा 4 बिस्वा भूमि 16 हरिजन भूमिहीनों को परगनाधिकारी, बबेरू के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1977 द्वारा आवंटित की गई। यह सत्य नहीं है कि धर्मराज सिंह हरिजनों की बोई फसल काट लेते हैं और उनके द्वारा हरिजनों को परेशान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पट्टेदार हरिजनों का दिसम्बर, 1977 में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। जनवरी, 1978 में दिए गए प्रार्थना-पत्र में पट्टेदारों ने मांग की थी कि धर्मराज सिंह उनकी बोई फसल रोक रहे हैं, अतः उनकी फसल दिलाई जाय। यद्यपि नियत प्राधिकारी, बबेरू का आदेश अपील में जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 27 मई, 1977 के द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा पुनः खातेदार को नोटिस जारी किए जाने हेतु आदेश हुए थे, फिर भी श्री धर्मराज सिंह को हरिजनों द्वारा बोई गई फसल को उनके ही द्वारा काटे जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह सुनिश्चित करने हेतु कि हरिजनों द्वारा बोई गई फसल उनके ही द्वारा कटवाई जाय तथा श्री धर्मराज सिंह उसमें कोई हस्तक्षेप न करें, थानाध्यक्ष, कमासिन को आदेश दिया गया कि वे पट्टेदारों द्वारा बोई गई फसल को अपनी देख-रेख में कटवायें और सुनिश्चित करें कि हरिजन आवंटियों द्वारा बोई गई फसल उनके ही द्वारा काटी जाय। कुछ फसल पुलिस की देख-रेख में कटवाई भी जा चुकी है तथा अब इस सम्बन्ध में कोई विवाद अवशेष नहीं है।

जिला अन्जुमन चपरासियान, माल विभाग कलेक्ट्री, हमीरपुर का मांग-पत्र

*37—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अन्जुमन चपरासियान, माल विभाग कलेक्ट्री, हमीरपुर का 2 दिसम्बर, 1977 का जो मांग-पत्र शासन को दिया गया, उसमें क्या-क्या मांगें थीं? शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला अन्जुमन चपरासियान, माल विभाग कलेक्ट्री, हमीरपुर द्वारा दिया गया दिनांक 20 नवम्बर, 1977 का मांग-पत्र, जो शासन को माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय के पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 के साथ प्राप्त हुआ था, में उल्लिखित मांगों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। स्थिति से अन्जुमन चपरासियान को अवगत करा दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1011 पर)

बुलन्दशहर के कस्बा जहांगीराबाद में कथित भूमि का आबंटन

*38—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में 1975-76 में ग्राम समाज की जोत की भूमि का आवंटन भूमिहीन को न कर कृषकों को किया गया है? यदि हां, तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? प्रधान तथा सेक्रेटरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कस्बा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर में वर्ष 1975-76 में कृषि हेतु भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के ग्राम टेढ़वा में ग्राम सभा की भूमि का पट्टा

*39—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के गांव टेढ़वा में ग्राम सभा की भूमि का अनियमित पट्टा करने की जानकारी जांच करने के बाद वर्ष 1975 में प्रकाश में आई एवं तत्पश्चात् सम्बन्धित लेखपाल एवं ग्राम प्रधान निलम्बित किए गए थे? यदि हां, तो अनियमित पट्टों को रद्द करने तथा सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कौन सी कार्यवाही की?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गोरखपुर जनपद की तहसील महराजगंज के ग्राम सभा टेढ़वा में जुलाई, 1970 में 72-73 एकड़ गांव सभा की भूमि का 90 व्यक्तियों के नाम बतौर सीरदारी का पट्टा किया गया जिसके अनियमित होने की जानकारी जांच के उपरान्त वर्ष 1976 में हुई। जांच में दोषी पाए गए प्रधान एवं लेखपाल को निलम्बित किया गया। विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लेखपाल को बहाल किया गया किन्तु दण्ड स्वरूप निलम्बन काल में गुजारा भत्ता के अलावा लेखपाल का वेतन नहीं दिया गया तथा एक साल की वार्षिक वेतन वृद्धि

भी रोक दी गई। लेखपाल की सत्यनिष्ठा का प्रमाण–पत्र भी रोका गया और इसके साथ–साथ लेखपाल के चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी की गई है।

प्रधान को बाद जांच भर्त्सना करके बहाल किया गया। अनियमित पट्टों के निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

गोरखपुरर जिले के ग्राम सिंहपुर में ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*40—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के गांव सभा सिंहपुर में अवैध ढंग से ग्राम सभा की भूमि को हड़पने की जानकारी सरकार को है और क्या यह सच है कि संबंधित लेखपाल अपने ही रिस्तेदारों के नाम करीब 90 एकड़ भूमि आवंटित करने के आरोप में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो ग्राम सभा की भूमि का पुनः वितरण तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के विषय में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गोरखपुर जनपद की तहसील महराजगंज के ग्राम समा सिंहपुर की 87–68 एकड़ भूमि पर उस गांव के लेखपाल ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खतौनी 1380–82 फसली में अपने रिस्तेदारों के नाम दर्ज कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर परगनाधिकारी ने अपने आदेश, दिनांक 21 फरवरी, 1976 के अन्तर्गत लेखपाल को सेवा से पृथक् कर दिया था परन्तु लेखपाल की अपील पर लोक सेवा अधिकरण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27 जनवरी, 1977 द्वारा परगाधिकारी का आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1976 निरस्त कर दिया। फलस्वरूप लेखपाल को पुनः सेवा से बहाल करके अन्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया।

इसके बाद परगनाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत लेखपाल को पुनः निलम्बित कर दिया है। लेखपाल द्वारा अभी तक आरोप पत्र प्राप्त न किये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है।

ग्राम सिंहपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। उक्त भूमि से विवादित इंद्राज खारिज करके ग्राम सभा के नाम बदस्तूर कायम रखने की कार्यवाही चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जा रही है और भूमि आवंटन की कार्यवाही चकबन्दी प्रक्रिया से भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज होने के पश्चात् की जायेगी।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा, मंशापुर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*41—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि गांव सभा मंशापुर, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की बहुत सी भूमि को चकबन्दी के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने नाम दर्ज करा लिया है ? क्या इस बारे में श्री भगवती प्रसाद वर्मा, प्रधान गांव सभा, मंशापुर के 5 फरवरी, 1978 व 6 फरवरी, 1978 के प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्त्ता के 8 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिले हैं ? यदि हां, तो ग्राम समाज की सम्पत्ति को बचाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम मंशापुर परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में चकबन्दी क्रियाओं के दौरान गांव सभा में निहित 3 बीघा, 15 बिस्वा भूमि कतिपय कास्तकारों के नाम चकबन्दी अधिकारी के आदेश से अंकित की गयी है तथा इसी ग्राम की 15 बीघा, 3 बिस्वा, 15 विस्वांसी भूमि, जो आधार वर्ष की खतौनी में कृषकों के नाम भूमिधरी अथवा सीर दारी खातों में सम्मिलित दिखाई गई थी और साथ ही साथ गांव सभा में निहित भी दिखाई गई थी, से संबंधित प्रविष्टि को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गांव सभा में निहित भूमि के खाते से इसे काटकर ठीक कर दिया गया है।

प्रश्नकर्त्ता के 8 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ इस गांव के कृषकों का एक पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है, जिस पर आवश्यक जांच जिले में की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

चकबन्दी कर्मचारियों का स्थायीकरण

1—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या दिनांक 28 नवम्बर, 1967 को मुख्य मंत्री के कमरे में एक बैठक चकबन्दी कर्मचारियों के संबंध में हुई उसमें मुख्य मंत्री, राजस्व मन्त्री, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव थे और यह निर्णय हुआ कि चकबन्दी अधिकारी के समकक्ष गजेटेड अधिकारियों के लिये तहसीलदार के सीधे नियुक्ति में 33 1/3 का प्रतिशत रखा जाय एवं स0 च0 अ0 की नियुक्ति में नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति में 33 1/3 तथा पेशी कानूनगो की सीधी नियुक्ति में 33 1/3 और लेखपालों में नियुक्ति में 50 प्रतिशत का आरक्षण रखा जाय ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उपरोक्त निर्णय को शीघ्र लागू करने का विचार कर रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, 1967 में चकबन्दी अधिष्ठान की जो स्थिति थी, वह काफी बदल चुकी है। उस समय चकबन्दी अधिष्ठान के सभी पद अस्थायी थे और उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संभावित छंटनी की समस्या सामने थी। 1972 से प्रारम्भ करके चकबन्दी अधिष्ठान के 70 प्रतिशत से अधिक पदों का स्थायीकरण कर दिया गया है। कर्मचारियों को पेंशन योग्य भी घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस अधिष्ठान के कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग में खपाने का प्रश्न नहीं उठता।

2—3—श्री मिठाई लाल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोंडा जिले के कलेक्शन अमीन, श्री राम चरित्र लाल का पेंशन संबंधी प्रार्थना-पत्र

4—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम चरित्र लाल पूर्व कलेक्शन अमीन, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा का रिटायरमेंट सन् 1962 में हुआ है ? यदि हां, तो 1962 से नवम्बर, 1977 तक कितने प्रार्थना-पत्र पेंशन प्राप्त करने के लिये दिये ? क्या इस संबंध में श्री रामचरित्र लाल का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ माननीय मुख्य

मन्त्री को माह अक्तूबर में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर छानबीन की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। वर्ष 1962 से 1977 तक श्री राम चरित्र लाल ने पेंशन हेतु सभी स्तरों पर 10 प्रार्थना-पत्र दिये। माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 के साथ मुख्य मंत्री जी को संबोधित प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ था। नियमानुसार पेंशन अनुमन्य न होने की सूचना सदस्य महोदय तथा प्रार्थी को दिनांक 31 जनवरी, 1978 को भेजी जा चुकी है।

देवरिया जिले के ग्राम मरचहवा, शिवपुर तथा बसन्तपुर में भूमि आबंटन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

5—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह अक्तूबर, नवम्बर, 1977 में देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम मरचहवा, शिवपुर व बसन्तपुर के तरफ से भूमि आबंटन में लेखपाल द्वारा की गई मनमानी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ परगना अधिकारी हाटा व जिलाधिकारी, देवरिया को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माह अक्तूबर/नवम्बर, 1977 में जनपद बहराइच के खड्डा विकास खण्ड के ग्राम मरचहवा, शिवपुर तथा बसन्तपुर में भूमि आबंटन सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ था उसमें मुख्य शिकायत आवेदकों को पट्टे पर भूमि न मिलने तथा भूमि आबंटन के लिए लेखपाल द्वारा रुपया मांगने के सम्बन्ध में थी, इस ग्रामों में जिलाधिकारी देवरिया द्वारा श्री श्रीनारायण, विधायक के साथ आबंटन कार्य की जांच की गई और आबंटन योग्य सभी उपलब्ध भूमि का आबंटन नियमानुसार करा दिया गया है सीमांकन कराके आबंटियों को कब्जा भी दिलाया जा चुका है

बाद में 16 आबंटियों ने यह शिकायत की कि कुछ लोग उनके शांतिपूर्ण कब्जे में रुकावट डाल रहे हैं इसकी जांच परगना अधिकारी, हाटा द्वारा की जा रही है। लेखपाल के विरुद्ध कोई शिकायत सही नहीं पाई गई।

देवरिया जिले के ग्राम बुलहवा में भूमि का आबंटन

6—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बुलहवा में कितने लोगों को आवास हेतु तथा कृषि हेतु भूमि 1976-77 में आबंटित की गयी है ? उनमें कितने हरिजन हैं और उनमें से कितनों को किन-किन कारणों से अब तक कब्जा नहीं मिल सका है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बुलहवा में आवास हेतु 1976-77 में 44 हरिजन परिवारों को 0.94 एकड़ भूमि आबंटित की गयी है। 7 आबंटियों को कब्जा मिल चुका है। इस प्रयोजन हेतु अध्याप्त की गई भूमि पर सम्बन्धित किसानों द्वारा विधिक

कठिनाई उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप 37 हरिजन परिवारों को आबंटित भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है। विधिक कठिनाई दूर करके उन आबंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही पुनः की जा रही है।

कृषि हेतु आबंटित भूमि के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित है:—

क—कुल आबंटियों की संख्या—30

ख—कुल आबंटित भूमि—15.41 एकड़

ग—हरिजन आबंटियों की संख्या—23

घ—हरिजनों को आबंटित भूमि—11.56 एकड़

सभी आबंटियों को कब्जा मिल चुका है।

देवरिया जिले के ग्राम बुलहवा में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

7—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बुलहवा में खसरा नं0 1608 व 1611 में से कितनी-कितनी भूमि हरिजन आवास हेतु ली गई है और कितनी भूमि का मुआवजा दिया गया है कितने हरिजनों को अब तक बसाया जा चुका है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जिले में विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बुलहवा में गाटा संख्या 1611 की 0.15 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया गया और उसका मुआवजा खातेदार को दिया गया। उस पर 7 आबंटी कब्जा पा चुके हैं शेष आबंटियों को गाटा संख्या—1612 (0.79 एकड़) पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। गाटा संख्या—1608 की भूमि आवास हेतु अर्जित नहीं की गयी है।

बिक्री की रसीद पर दस पैसे का टिकट लगाने की प्रथा की समाप्ति

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिक्री की रसीद पर 10 पैसे का रसीदी टिकट लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह प्रथा कब तक समाप्त कर दी जायगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

पांच रुपये से अधिक धनराशि के किसी बिल या कैशमीमो के प्रतिरूप या द्वितीय प्रति पर देय 10 पैसे का रसीदी टिकट लगाने की प्रथा को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से समाप्त कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वकालत, डाक्टरी तथा इंजीनियरिंग पेशा हेतु आर्थिक सहायता की योजना

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या शासन ने वर्ष 1975 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को वकालत तथा डाक्टरी का पेशा प्रारम्भ करने के लिए प्रति व्यक्ति 2,000 रु0 अनुदान देने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में (अक्तूबर तक) किन-किन व्यक्तियों को इस मद से अनुदान दिया गया है ?

श्री राम सिंह—

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वकालत, इंजीनियरिंग तथा डाक्टरी पेशा प्रारम्भ करने के लिए 2,000 रु0 प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना वर्ष 75-76 में स्वीकृति की गई थी किन्तु इस योजना को किस एजेन्सी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाये तथा इसके वितरण की क्या प्रक्रिया तथा नियम हैं। इन प्रश्नों पर शासन द्वारा मार्च, 1977 में निर्णय लिये जाने के कारण वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में इस योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी। किन्तु वर्ष 76-77 में निगम द्वारा अपनी अर्थ व्यवस्था से 14 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई थी, वर्ष 1977-78 में भी अक्तूबर, 1977 तक किसी व्यक्ति को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि मार्च, 1977 में शासन द्वारा नियमावली की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् आवेदन-पत्र मांगे गये जिन पर विचार एवं निर्णय तथा औपचारिकाताओं की पूर्ति तब तक नहीं हो सकी थी।

10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

11--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त।]

12--श्री अशर्फी लाल यादव--

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

कार्यालय, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ के मुख्य लिपिक के स्थानान्तरण संबंधी कथित आदेश

13--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ इकाई के कार्यालय के मुख्य लिपिक के सम्बन्ध में जब वह उन्नाव तथा कानपुर में कार्यरत थे तो इस तरह के आदेश हुये थे कि उन्हें उन्नाव के निकट किसी भी जिले में न रखा जाये ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ इकाई के कार्यालय में किस आधार पर की गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सम्बन्धित मुख्य लिपिक के उन्नाव के निकट किसी जिले में न रक्खे जाने के कोई आदेश उपलब्ध नही हैं।

लखनऊ इकाई के कार्यालय में इनका स्थानान्तरण शासन के आदेश, दिनांक 15 जून, 1976 के आधार पर किया गया था।

रफी अहमद किदवई मेमोरियल ट्रस्ट, बस्ती द्वारा आयोजित कांफ्रेंस एवं मुशायरा में बेची गई रसीदें एवं धनराशि और ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा ट्रस्ट का उद्देश्य

14--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती स्टेडियम में रफी अहमद किदवई मेमोरियल ट्रस्ट, बस्ती के द्वारा आयोजित मुशायरा एवं कांफ्रेन्स दिनांक 6 नवम्बर, 1976 को की गयी ? यदि हां, तो कितनी रसीद छपाई गयी और कितने-कितने

रुपये की रसीद बेची गयी ? कुल कितना धन इकट्ठा हुआ उसमें से किस-किस मद में कितना धन खर्च किया और कितना शेष है ? क्या उसका विवरण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी हां, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर रफी अहमद किदवई मेमोरियल ट्रस्ट, बस्ती द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 1976 को बस्ती स्टेडियम में कांफ्रेन्स तथा मुशायरा का आयोजन किया गया था । उक्त कान्फ्रेन्स तथा मुशायरा पर मनोरंजन कर देय नहीं था । अत: प्रश्न के शेष भाग में वांछित सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है ।

15--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रफी अहमद किदवई ट्रस्ट, बस्ती में कौन पदाधिकारी हैं और ट्रस्ट का क्या मुख्य उद्देश्य है ? उक्त कान्फ्रेन्स में कौन-कौन से शायर तथा सिने तारिकाओं ने भाग लिया ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1012 पर।)

गोंडा जिले के मौजा साकीपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

16--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तरबगंज, मौजा साकीपुर, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि लगभग 1,000 (एक हजार) एकड़ पर ग्राम के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कागजात में अवैधानिक तौर पर अपने नाम से दर्ज करा लिया है ? इस आशय की सूचना शासन को ग्रामीणों तथा किसी जनप्रतिनिधि द्वारा 2-3 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मौजा साकीपुर, तहसील तरबगंज, जनपद गोन्डा में कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा गांव सभा की लगभग 665.00 एकड़ भूमि पर संदिग्ध तरीके से इन्द्राज करा लिया जाना प्रतीत होता है, यद्यपि चकबन्दी क्रियाओं में वर्तमान इन्द्राजों के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई ।

इस आशय की सूचना श्री हरिकेवल प्रसाद, विधायक के पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 1977 के साथ संलग्न श्री राजा सिंह के शिकायती-पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी जिसकी जांच चल रही है ।

बहराइच जिले के ग्राम सभा बोझिया के प्रधान का ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लेने संबंधी प्रार्थना-पत्र

17--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, विकास खण्ड मिहीपुरवा, ग्राम सभा बोझिया के प्रधान (श्री यशवन्त राय पाण्डे) द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1977; 26 जुलाई, 1977 तथा 16 नवम्बर, 1977 को रजिस्ट्री डाक द्वारा शासन को हरिजनों की आबादी हेतु सुरक्षित भूमि पर ग्राम के कुछ लोगों के जबरन कब्जा कर लेने की सूचना मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस जनपद की तहसील नानपारा के ग्राम सभा बोझिया के प्रधान श्री यशवन्त राय पान्डे द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1977 व 26 जुलाई 1977 इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं, किन्तु 16 जुलाई, 1977 तथा 16 नवम्बर, 1977 दिनांक के दो प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये हैं । इनमें उल्लिखित शिकायतों की जांच हो रही है ।

बहराइच जिले के ग्राम गंगापुर में सीलिंग से निकली भूमि

18—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के तहसील नानपारा में परगना धर्मापुर के ग्राम गंगापुर में सन् 1974–75, 1975–76 व 1976–77 में किन-किन लोगों पर सीलिंग लगाई गई है और कितनी भूमि सीलिंग में घोषित की गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद बहराइच, तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर के ग्राम गंगापुर में निम्नलिखित खातेदारों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई—

1—श्री जगन्नाथ पुत्र श्री जुगुल बिहारी

2—राजा सैयद मो0 सआदत अली खां

3—श्री मुरली धर पुत्र रामेश्वर लाल

4—श्री शम्भू नाथ पुत्र रामेश्वर प्रसाद

5—श्री राम अभिलाख पुत्र धरमराज

6—श्री शम्भू नाथ पुत्र भीखम

श्री जगन्नाथ की 1.735 एकड़ तथा राजा सैयद की 4.145 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है। श्री मुरलीधर पुत्र रामेश्वर लाल व श्री शम्भू नाथ पुत्र रामेश्वर प्रसाद में कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों से स्थगित है । श्री राम अभिलाख पुत्र धरमराज तथा श्री शम्भू नाथ पुत्र भीखम की नोटिसें न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई हैं ।

लखनऊ जिले के ग्राम ऐन में भूमि आबंटन संबंधी पट्टों का अनुमोदन

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ जिले के ग्राम ऐन, परगना बिजनौर, त0 लखनऊ में 1975 में भूमि आवंटन के सन्दर्भ में जो पट्टे भूमिहीनों को किए गये थे उनका परगना अधिकारी, लखनऊ द्वारा अक्तूबर, 1977 तक एप्रूवल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का कारण क्या है तथा एप्रूवल कब तक हो जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील लखनऊ के ग्राम ऐन में गांव सभा द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 को 200 व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें तहसीलदार, लखनऊ द्वारा जांच करके 184 व्यक्तियों को पट्टों का अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की गई थी। संस्तुति पर परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के पूर्व ही प्रस्ताव के विरुद्ध ग्राम के कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना–पत्र

दिये गये । अतिरिक्त परगना-अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन न करके इन प्रार्थना-पत्रों एवं प्रस्तावों की जांच स्थल पर पुनः करने की संस्तुति की गई । परिणाम स्वरुप सभी 200 प्रस्तावित पट्टों की स्थल पर जांच का कार्य किया जा रहा है जिसके समाप्त होने के बाद ही प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकेगा । इस कार्य में अभी लगभग एक मास का समय और लगने का अनुमान है ।

गोरखपुर की तहसील महराजगंज में सूखा एवं उपलवृष्टि से हुई क्षति की पूर्ति हेतु दी गई सहायता

20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में सूखा और उपलवृष्टि से कितने-कितने गांवों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई एवं इन गावों में 30 नवम्बर, 1977 तक कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में सूखा और उपलवृष्टि से क्रमशः 759 गांव तथा 230 गांव की फसलें क्षतिग्रस्त हुईं ।

दिनांक 30 नवम्बर, 1977 तक 3 हजार रुपया नकद धनराशि अहेतुक सहायता की मद में तथा लगभग 97 कुन्तल गेहूं उन क्षेत्रों में वितरित किया गया जहां फसल की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक थी । इसके बाद काश्तकारों को खाद तथा बीज का वितरण भी किया गया ।

बस्ती जिले में सूखा, बाढ़ एवं घाघरा नदी से कटाव एवं सहायता

21--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कौन-कौन तहसीलें बाढ़, सूखा एवं घाघरा के कटान से पीड़ित थीं और जनवरी, सन् 1977 से अगस्त, 1977 तक किस-किस प्रकार की कौन-कौन सी सहायता किन-किन तहसीलों में दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले में बाढ़ व सूखे से सभी तहसीलें प्रभावित हुईं लेकिन घाघरा के कटान से केवल हर्रैया, बस्ती व खलीलाबाद तहसीलें प्रभावित हुईं ।

जनवरी, 77 से अगस्त, 1977 तक विभिन्न तहसीलों में जो सहायता दी गयी थी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' पृष्ठ 1013 पर)

पिथौरागढ़ जिले के गांव गब्थाग एवं दर के धसने की घटना और निवासियों के पुनर्वासन की मांग

22--श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पिछले पांच वर्षों में ग्राम गब्थाग तथा दर धंस गए हैं ? यदि हां, तो ग्राम गब्थाग के निवासी गांव छोड़कर अन्यत्र बस गए ? क्या शासन को इसकी जानकारी है तथा क्या उनके पुनर्वास हेतु शासन द्वारा कोई व्यवस्था की गयी अथवा की जा रही है ? गब्थाग में रहने

वाले लोगों को खतरा अभी भी बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या ग्राम को धंसने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला पिथौरागढ़ के ग्राम गर्व्याग तथा दर पिछले कई वर्षों से धंस रहे हैं। ग्राम गर्व्याग के कुछ लोग मकान टूटने की वजह से कहीं चले गये हैं। ग्राम गर्व्याग के लोग पूरे के पूरे गांव के रूप में एक ही जगह पर बसना चाहते हैं जिसके लिये पर्याप्त भूमि कहीं एक ही जगह अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उनको सुरक्षित स्थान पर बसाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। ग्राम गर्व्याग के रहने वाले लोगों को खतरा अब भी बना हुआ है जिसकी रोकथाम संभव नहीं हो पा रही है।

23--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[6ठें मंगलवार में आतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी में सार्वजनिक प्रयोग हेतु सुरक्षित की गयी भूमि

24--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत ग्राम कुर्दी कूपा गढ़ी फतेहपुर आदि तहसील फिरोजाबाद, जनपद आगरा में वर्ष 1976 से जनवरी, 1977 तक चकबन्दी अधिकारियों ने चक बनाते समय सार्वजनिक खलिहान, आबादी, आम रास्ता का आवंटन नहीं किया है और पूर्व के सार्वजनिक स्थानों को चकों में सम्मिलित कर दिया है यदि हां, तो जनहित में सार्वजनिक आबादी, खलिहान, रास्ता दिलवाने की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सार्वजनिक प्रयोग के लिये समुचित भूमि सभी ग्रामों में सुरक्षित की गई है। केवल जो रास्ते टेढ़े-मेढ़े तथा अनुपयुक्त थे उन्हें चकों में शामिल कर लिया गया तथा आवश्यकतानुसार सही स्थानों पर नये रास्ते चक मार्ग के रूप में प्रविष्ट किये गये हैं। दोनों ग्रामों में सार्वजनिक उपभोग के लिये सुरक्षित की गई भूमि की सूची संलग्न है।

अब किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 1014 पर)।

गोरखपुर जिले में सूखा बाढ़ एवं उपलवृष्टि तथा दी गई सहायता

25--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूखा, बाढ़, उपलवृष्टि से क्षतिग्रस्त गोरखपुर जिले के गांवों को सहायता हेतु प्रश्नकर्त्ता ने अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में लिखित पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर जिला स्तर से कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां प्रभावित गांवों में जिलास्तर से आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सहायता कार्य किया गया --

तहसील फरेन्दा में सूखा से 405 ग्राम प्रभावित हुए थे जिसमें एक एकड़ तक के 43,173 किसानों को लगभग 7,003 कुन्टल नि:शुल्क बीज का वितरण खन्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया गया। बाढ़ से 62 ग्राम प्रभावित हुए थे जिसमें फसलों को 50 प्रतिशत से कम क्षति हुयी थी। उपलवृष्टि से 56 ग्राम प्रभावित हुए थे जिसमें गेहूं, मटर, सरसों, तथा अरहर को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की क्षति हुई थी। बाढ़ एवं उपलवृष्टि से फसल की क्षति 50 प्रतिशत से कम होने के कारण यहां नियमानुसार कोई सहायता देने का औचित्य नहीं था। इस तहसील में रुपया 2,38,550 तकावी के रूप में वितरित किया गया है।

तहसील महराजगंज में बाढ़ सूखा एवं उपलवृष्टि से प्रभावित ग्रामों में 450 कुन्टल गेहूं नि:शुल्क सहायता के रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त 46,135 रु0 नकद नि:शुल्क सहायता के मद में तथा 2,86,800 रु0 आपदा तकावी की मद में वितरित किया गया। प्रभावित ग्रामों में बीज और खाद भी उपलब्ध करायी गयी।

तहसील बांस गांव में उपलवृष्टि नहीं हुयी। केवल 205 ग्रामों में बाढ़ का तथा 1970 ग्रामों में सूखे का प्रभाव पड़ा था जिसमें खरीफ की फसल को 20 प्रतिशत क्षति हुई थी। बाढ़ से प्रभावित 19 परिवारों को 950 रु0 की गृहनिर्माण सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त 18 लीटर मिट्टी का तेल 128 कुन्टल गेहूं तथा 36 दियासलाई का वितरण किया गया। विश्व खाद्य योजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में 130 कुन्टल नि:शुल्क गेहूं का अतिरिक्त वितरण किया गया। अधिक क्षति वाले 95 ग्रामों में नि:शुल्क बीज एवं खाद की व्यवस्था की गयी।

सदर तहसील में बाढ, सूखा तथा उपलवृष्टि से फसल को 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई थी, इसलिये नियमानुसार वहां कोई सहायता देने का औचित्य नहीं पाया गया।

भूतपूर्व सदस्य, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

अब निधन के निर्देश ले रहा हूं।

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

मान्यवर, बड़ा दुख का विषय है। हमारे इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव का कल रात्रि हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया। मैं आपकी अनुमति से सदन की ओर से सम्वेदना प्रकट करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन की सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव इस प्रदेश के बड़े प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरा जीवन उनका स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में व्यतीत हुआ और सभी सत्याग्रहों में उन्होंने भाग लिया। कई बार जेल गये और जब से विधान सभा 1952 से प्रारम्भ हुई, वह लगातार 1967 तक इस सदन के सदस्य रहे और विभिन्न प्रकार के दायित्व निभाते रहे।

[श्री राम प्रकाश—]

इस प्रदेश के मंत्री के नाते बड़ा प्रभावकारी कार्य उन्होंने किया । विशेषकर, श्रीमान्, हमारे लखनऊ नगर के वह एक ऐसे वयोवृद्ध नेता थे जिनके प्रति सभी वर्गों के चाहे वह किसी जाति के हों, सम्प्रदाय के हों, पार्टी के हों, बड़ी श्रद्धा थी । उनमें लखनऊ की संस्कृति और सभ्यता की वह छाप थी जिसके प्रति सारे नगर की बड़ी श्रद्धा थी । ऐसे श्रीवास्तव जी के निधन से हमारे प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति कठिन है । मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय उद्योग मंत्री जी ने नेता सदन की ओर से स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव के निधन पर जो श्रद्धांजलि स्वरूप भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनका हृदय से अनुमोदन करता हूं । श्रीमन्, महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव का इस प्रदेश की राजनीति में, यहां के सामाजिक जीवन में, यहां के शैक्षिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और वह स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी रहे । वह ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में आजादी के सिपाही के नाते वहां लड़ने गये । वहां भी उन्होंने वकालत की ऐसे प्रश्नों को लेकर जो राजस्व सुधार के सम्बन्ध में थे । उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक इस विधान सभा के माध्यम से संसदीय सेवा भी की । चाहे उनकी कितनी ही अवस्था रही हो, वे सदैव ही, रुग्ण होने पर भी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान छोड़कर सभी कार्यों में, चाहे वह व्यक्तिक हों, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, शोभा बढ़ाते रहे हैं । उनका मृदु, गम्भीर व्यक्तित्व था और सादा जीवन था और जब वे बोलते थे उनके नपे तुले शब्द बड़े प्रभावी रहते थे । इस प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के रूप में और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि स्वास्थ्य प्रणालियों में वे सुधार ला सकें और समाज कल्याण में भी उन्होंने सुधार लाने की चेष्टा की । ऐसे महान व्यक्ति का कल निधन हुआ है । मेरा भी यह आपसे आग्रह है कि मेरी ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार को विनीत श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, उप नेता सदन तथा तिवारी जी ने जो भावनाएं सदन में व्यक्त की हैं, श्री महावीर प्रसाद जी के सम्बन्ध में, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी को न केवल प्रदेश पूरी तौर से जानता है, कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है जो उनको न जानता हो । जब कल उनका निधन हुआ वे 78 वर्ष के व्यक्ति थे । मान्यवर, मैंने तो उनके साथ कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड में काम किया है । वे कई वर्षों तक उसके संयोजक भी रहे । कई बार वे जेल भी गये और इस प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी थे । मंत्री से भी अधिक उनका व्यक्तिगत जीवन था । सरलता के वे जीवित मूर्ति कहे जाते थे और जातपांत के भेदभाव से ऊपर थे और जिस प्रकार से राजनीतिज्ञ का एक गुण होता है, अच्छे शासक का गुण होता है, वह उनमें थे । जब वे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ में थे, उस काल में, अपने मंत्री काल में और अपनी सदस्यता काल में जो गुण उन्होंने दिखाये उन तमाम बातों को जब हम याद करते हैं तो सचमुच हमें बड़ी पीड़ा होती है । मैं अपनी ओर से, अपने दल के सभी साथियों की ओर से, जो भावनाएं उधर से व्यक्त की गयी हैं, तिवारी जी ने की है, उनमें जोड़ता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी के बारे में जो विचार उप नेता सदन, तिवारी जी और माननीय श्यामधर मिश्र जी ने व्यक्त किये मैं अपने को और अपने दल के सभी सदस्यों को उनसे सम्बद्ध करता हूं । माननीय श्रीवास्तव जी से मेरा भी सम्बन्ध 21-22 साल से रहा है और उनको हमने इस माननीय सदन में सदस्य की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से भी काम करते हुए देखा है, उनसे मिलने का भी अवसर मिला है । उनके सरल स्वभाव, गम्भीर व्यक्तित्व की छाप मेरे ऊपर इतनी पड़ी है कि मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग बहुत ही कम समाज में मिलते हैं । उनके निधन से हमारे प्रदेश और देश का बहुत ही नुकसान हुआ है । इसलिये श्रीमन्, ऐसी महान आत्मा के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि और सम्वेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे । माननीय उद्योग मंत्री, श्री तिवारी जी, श्री श्यामधर जी और माननीय ऊदल जी ने दिवंगत आत्मा के प्रति जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री महावीर प्रसाद जी का निकटतम सहयोगी रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । जब से वह निर्वाचित हुए 1967 तक कुछ समय को छोड़कर मैं भी उनका साथी रहा । मंत्रि परिषद् में भी बहुत निकट सहयोगी की हैसियत से काम करने का अवसर मिला । वह अत्यन्त विनम्र, सरल और सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे । मैंने कभी उनको आवेश और क्रोध में आते हुए नहीं देखा । लखनऊ के जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान था । वह इस प्रकार उदार थे कि यहां के शिया वर्ग के बहुत से व्यक्ति उनको शिया कहते थे और अपना नेता मानते थे । शिक्षण संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्ध था । नगर के प्रशासन से उनका लम्बा सम्बन्ध रहा । वह उच्च कोटि के लब्ध प्रतिष्ठित वकील थे और जितने भी सार्वजनिक कार्य होते थे, उन सब में वह निःशुल्क वकालत करते थे । उनके निधन से न केवल लखनऊ की बल्कि इस प्रदेश की क्षति हुई है । मैं भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करताहूं और सभी लोगों की भावनाएं उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी ।

अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दो मिनट उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़े होकर मौन धारण करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 अप्रैल, 1978 को पडरौना तहसील (देवरिया) में जिगना ग्राम में भीषण अग्निकांड में डेढ़ सौ झोपड़ियां जल गईं । गरीब ग्रामीणों की कुल अनुमानित क्षति 4 लाख की हुई । 6 अप्रैल को ग्राम लक्ष्मीपुर में पचास से ऊपर घर जल गये । सर्वस्व स्वाहा हो गया । इसके पूर्व ग्राम सेमरा हरदी की हरिजन बस्ती में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक--]

तथा विशुनपुरा रामधाम में भीषण अग्निकांड में किसानों का अन्न, धन, पशु जल चुके हैं । इसी प्रकार विशुनपुरा विकास खण्ड में ग्राम बेलवा बाबूराम, मिश्रौली (सिसवा गोहती) पोखहारी टोला (मनिकौरा) मेडिहारी (बबुहयांहरपुर) खरसाल (बबुइया),सम्मरशेर का टोला (कोठिलवा) आदि गांवों में भयावह अग्निकांडों में अन्न, धन, फसल सर्वस्व जल चुका है । गरीब ग्रामीण दाने-दाने को मोहताज हैं । यह लोक महत्व की निश्चित सूचना प्रभावी सहायता हेतु सदन के संज्ञान में ला रहा हूं । प्रभावित लोगों में 90 प्रतिशत पिछड़ी जाति, आदिवासी, हरिजन, अल्प संख्यक हैं ।

प्रताप पुर तथा भटनी चीनी मिल गन्ने के अभाव में बन्द होने के विषय की नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ।

श्री अध्यक्ष--

श्री हरि केवल प्रसाद । इसके साथ में श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी का नाम भी संबद्ध करता हूं ।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, देवरिया जनपद में जहां एक तरफ गन्ने के अभाव में प्रतापपुर चीनी मिल 31 मार्च, 1978 से बन्द हो गई है, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की भटनी मिल बन्द होने के कगार पर है, वहीं देवरिया, बैतालपुर, कप्तानगंज, पडरौना आदि अन्य चीनी मिलों के पास गन्ने का इतना बाहुल्य है कि वे पूरे सीजन में भी पेराई कर पाने में असमर्थ हैं । गन्ना किसान इस स्थिति को देखकर चिंतित है, उसके सामने गन्ने को खेत में जला देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है ।

देवरिया जनपद के गन्ना प्रतिनिधियों, जन-प्रतिनिधियों ने गन्ने के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में अपना सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने उसे ठुकरा दिया । यदि उसे मान लिया गया होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती ।

अतः आज मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन में माननीय गन्ना मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये गन्ना किसानों के हितों के रक्षार्थ और भटनी मिल को बन्द होने से बचाने के लिये अन्य मिलों से गन्ना काट कर उसे दिये जाने की मांग करता हूं ।

बदायूं के गन्ना किसानों की समस्या तथा किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान बदायूं के गन्ना काश्तकारों की समस्याओं तथा किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं की अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

बदायूं जनपद के गन्ना काश्तकारों के सम्मुख इस समय भीषण संकट है । इस समय बदायूं जनपद में 60 प्रतिशत से अधिक गन्ना अभी भी खेतों में पड़ा है । गत वर्षों में बदायूं में . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ना काश्तकारों का गन्ना न्यूली का शुगर मिल लेता था। परन्तु इस वर्ष बदायूं में ही किसान सहकारी समिति मिल प्रारंभ होना था तथा उसके संचालक मंडल ने घोषित कर दिया कि हम मिल दिसम्बर, 77 से प्रारंभ कर देंगे, जिसके कारण न्यूली शुगर जिला एटा ने गन्ने का कम इन्डेंट दिया और बदायूं का किसान सहकारी चीनी मिल फरवरी के मध्य चल पाया, जिसके कारण अभी भी गन्ना काश्तकारों का गन्ना आधे से अधिक खेतों में पड़ा है, बदायूं का किसान सहकारी चीनी मिल किसी न किसी कारण से बन्द हो जाता है एवं गन्ना काश्तकारों को मिल पर कई दिन खड़ा रहना पड़ता है जिसके कारण वहां शांति-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं के प्रबन्ध तथा व्यवस्था में चल रही मनमानी धांधली तथा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के कारण भी मिल नियमित रूप से गन्ने की पिराई नहीं कर पा रहा है, इसके अतिरिक्त मिल में लगभग 400 व्यक्ति बिना चयन समिति के ही प्रधान प्रबन्धक द्वारा रख दिये गये हैं, जिन में शासन की स्पष्ट नीति और आदेश का उल्लंघन करके उन बालकों को भी स्थान नहीं दिया गया है, जिनके अभिभावकों की भूमि मिल के निर्माण में ली गयी है तथा जिन व्यक्तियों को मिल में स्थान दिया गया है, उनका वेतन भी समय से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मिल के मजदूरों में घोर रोष एव असंतोष व्याप्त है तथा उन काश्तकारों के लड़के जिनकी भूमि मिल के निर्माण में ली गई है, आन्दोलन तथा भूख हड़ताल करने पर आमादा हैं अतएव, प्रदेश सरकार बदायूं किसान सहकारी चीनी मिल में हो रही धांधलियों, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की अविलंब जांच करायें तथा ऐसी व्यवस्था करें कि गन्ना काश्तकारों का गन्ना पिर जाय।

थाना टूंडला, जिला आगरा के अन्तर्गत हो रहे विभिन्न अपराधों तथा पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, थानाध्यक्ष के विरुद्ध शान्तिमय प्रदर्शन के कारण दो माह पश्चात् राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों को डकैती में फंसाने का षड्यन्त्र।

मान्यवर, टूंडला थाना के अन्तर्गत नगर व क्षेत्र में बढ़ रहे चोरियां, डकैतियां, हत्यायें व हरिजन उत्पीड़न उदाहरणतः तीन माह से 7 डकैतियां, 25 चोरियां, 4 हत्यायें, 3 हरिजन उत्पीड़न के कारण टूंडला नगर के कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 7 जनवरी, 78 को प्रदर्शन किया। सारे दिन बाजार बन्द रहा। उसका ज्ञापन, प्रदर्शन के समक्ष उपस्थित, परगना मजिस्ट्रेट को दिया गया और दोनों पार्टियों के पदाधिकरियों से उनसे वार्ता करके आश्वासन देकर कि शीघ्र थानाध्यक्ष को हटा कर, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को सुधारा जायेगा और स्थिति की रिपोर्ट जिलाधीश, आगरा को दी गई।

आश्चर्य यह है कि दोनों पार्टियों के नेतृत्व करने वाले 14 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 7 मार्च, 78 यानी 2 माह बाद 332, 352, 353, 395, 147 क-मुकदमा 7 जनवरी, 1978 को प्रदर्शन के सिलसिले में कायम कर दिया गया। और, 82, 83 की कार्यवाही तथा गिरफ्तारी के लिये उनके परिवार जनों को तंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने काट दिया है, यह आक्षेप है।

श्री गुलाब सेहरा--

अच्छी बात है, अतः मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करता हूं कि इस कांड की उच्च स्तरीय जांच सी० आई० डी० के लिये आदेश देकर संबंधित अधिकारी इन्सपेक्टर इन्चार्ज थाना टूंडला का अविलम्ब स्थानान्तरण कर व उसकी निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता के विरुद्ध कार्यवाही करे। सत्य से सदन को अवगत करायें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आपने लोक तंत्र की दुहाई वाले भाग को निकलवा दिया है, क्या विधायक लोग अगर कोई आक्षेप करेंगे तो उसे भी काट दिया जायेगा क्योंकि यह भी लोकतंत्र की दुहाई तो देते ही हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

जो भी आक्षेप फिर लगाया जाये उसको भी काट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, आप अगर यहां रहें तो बड़ी मदद मिलती रहे। आपके पहले यहां एक प्रश्न यह उठा था उसके बाद ही मैंने यह निर्णय लिया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैंने भी इसकी सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष--

आपका नाम भी उस में जोड़ दिया जाये।

आजमगढ़ की कलेक्टरी कचेहरी में नामांकन पत्र दाखिल होने के समय आयोजित सभा में लाठी चार्ज एंव गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, दिनांक 10 अप्रैल, 1978 को आजमगढ़ की कलेक्टरी के मैदान में आजमगढ़ संसदीय चुनाव के लिये नामांकन के समय आयोजित सभा में जहां प्रदेश के मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे, सभा में श्रोताओं पर बार-बार भीषण लाठी चार्ज किया गया, करीब सात बार लाठी चार्ज हुआ। सैंकड़ों छात्रों, कचहरी में आये हुये व्यक्तियों, राह चलते हुये लोगों को पीटा गया। यहां तक कि आस-पास के दूकानदार भी इस लाठी चार्ज से बंचित न रह सके। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों लोग घायल हुये। उस लाठी चार्ज में जनता युवा व विद्यार्थी परिषद् के भी राजमंगल सिंह, जगन्नाथ सिंह, राजेन्द्र, जसवन्त सिंह व सिबली नेशनल डिग्री कालेज के छात्र यूनियन के अध्यक्ष मजहर मुस्तफा घायल हुये हैं। घायल लोगों में जगन्नाथ सिंह, श्री ज्ञान प्रकाश दुबे, आपात स्थिति में डी० आई० आर० और मीसा में भी बन्द रहे। स्थिति गम्भीर है, पूरे जनपद में तनाव का वातावरण व्याप्त है। चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिये सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजमगढ़ की कलेक्टरी कचेहरी में नामांकन पत्र दाखिल होने के समय आयोजितसभा में लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कम्युनिस्ट पार्टी के भी बहुत से लोग घायल हुये हैं, यह भी उसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उद्योग मंत्री जी, क्योंकि इसमें माननीय मुख्य मंत्री का भी नाम आया है, इसलिये इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दिलवा दें और स्थिति से सदनको अवगत करा दें ।

श्री ऊदल—

हमारा हिस्सा भी जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह इसमें नहीं है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग में भ्रष्टाचार तथा दीपक सेल्स सिन्डीकेट नामक बोगस फर्म से सामान की आपूर्ति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसका एक सजीव उदाहरण यह है कि इस विभाग में दीपक सेल्स सिन्डीकेट नामक एक बोगस फर्म से लाखों रुपया का सामान खरीदा है । यह फर्म कहीं अस्तित्व में नहीं है, न इसने कभी कस्टम, बिक्रीकर न आय कर ही जमा किया है, और न इस नाम से कोई पंजीकरण ही हुआ है । न इसका कोई कार्यालय है । यह तस्करी का सामान लेकर अपना चोर बाजारी का धन्धा करती है । इसी फर्म से इस विभाग में स्लाइड प्रोजेक्टर, सिनेप्थफोर आदि कीमती उपकरण खरीदे हैं । इस विभाग में आपरेशन थियेटर रूम की वातानुकूल व्यवस्था के लिये राज्य सरकार को धोखा देकर दो बार अनुदान लिया है और डाक्टरों के कमरों आदि को वातानुकूलित बनाया गया है । इतना ही नहीं वातानुकूलित के टेन्डर ऐसी फर्म को दिये गये जो दूसरों की अपेक्षा एक लाख रुपया अधिक चाहती थी । महालेखा परीक्षक, इलाहाबाद ने आपत्ति भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस विभाग में अनुदान का उपयोग सालों तक नहीं होता है और शासन को झूठी सूचनायें देकर समय बढ़वाया जाता है ।

अत्यन्त लज्जाजनक और दुखद घटना यह है कि उक्त विभाग रायल कामन वेल्थ सोसायटी, इंगलैंड से जाली चिकित्सा शिविर दिखाकर और झूठे केस बनाकर एक लम्बी रकम सहायता के रूप में लेती है और उस धन को बिना उच्चाधिकारियों के स्वीकृति के दुरुपयोग करती है, इतना ही नहीं इस विभाग में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय का एक प्रधान कार्यालय खोला गया है, जहां भ्रष्टाचार का गिरोह एकत्र होता है यह कार्यालय सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की चौवन शाखाओं की देख-रेख करने के लिये बनाया गया था । देखरेख करना तो दूर रहा इस कार्यालय में उक्त शाखाओं के लिये प्राप्त धन का खुले रूप से दुरुपयोग होता है यहां बैठकर उस पैसे से शराबें पी जाती हैं यहां के सचिव नेत्र विभाग के अध्यक्ष भी हैं और नेहरू संस्थान आथियोलाजी के निदेशक भी हैं । उनके व्यवहार और काम से उनके विभाग में भयंकर उत्पीड़न भ्रष्टाचार फैल गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]—

अतः शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन है कि उक्त मामले को गुप्तचर विभाग से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सदन में मंत्रियों को निर्देश दिया है कि शून्य प्रहर की सूचनायें को शून्य न समझकर ध्यान दिया करें। मान्यवर, 3 दिन पूर्व रामदत्त जोशी जी ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की हालत पर शून्य प्रहर में सूचना दी थी। जिसके विषय में माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री ने इसको काल्पनिक समस्या कहकर इसको ग्राह्य न करने के संबंध में आपसे कहा था तो मान्यवर, इस पर उपेक्षा की गयी और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से गम्भीर घटना घट गयी जो अभी आपके सामन आयेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं, इस गंभीर प्रश्न पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री अरिफ मोहम्मद खां—

इस प्रदेश में प्रतिदिन जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

हम यहां बैठने के लिये नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, इसकी इजाजत नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

यह महत्वपूर्ण घटना है इसी वक्त कहनी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय आरिफ जी, मुझे अत्यन्त खेद है कि आप अपना व्यवहार अत्यन्त अनुशासन-हीनता के अनुसार करते हैं। आप एक शिक्षित नवयुवक हैं नियमावली का आपको ध्यान रखना चाहिये। इस संबंध में कामरोको प्रस्ताव की नोटिस आई है। आप एजेंडा पढ़िए। जब कामरोको प्रस्ताव का अवसर आये उस वक्त कहिये, यह उचित नहीं है कि जब आपकी मर्जी आये और आपके मन के अंदर कोई वेग आये तो आप खड़े होकर इस सदन की कार्यवाही को इस तरह से रोक दें। मैं विशेषाधिकार की सूचनाओं को ले रहा हूं।

श्री बांके लाल—

मैंने एक सूचना दिया था डकैती के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको नहीं स्वीकार किया है। आप बैठ जाइये।

मैं, विशेषाधिकार की सूचना ले रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, विशेषाधिकार के पहले मेरा निवेदन था। यह निवेदन था कि शून्य प्रहर में आप महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्नों की सूचनायें ग्रहण करते हैं। आज कम से कम 5-6 सूचनायें ली गई हैं। मान्यवर, नन्दा देवी के ऊपर जो अमरीकियों ने...

श्री अध्यक्ष—

आप एजेंडा देखें। इसमें नन्दा देवी के सम्बन्ध में नियम 51 में सूचना दी है अगर इसी प्रकार से माननीय सदस्य कहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तब ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य इस प्रकार से खड़े होंगे तो 301 के अनुसार मैं सब सूचनाओं को लेना बन्द कर दूंगा जब नियम 51 और नियम 56 में इसकी सूचनायें आयीं हैं, एजेंडे में हैं तो थोड़ा सा कार्यक्रम के अनुसार चलें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

एक बात मेरी सुन लें

श्री अध्यक्ष—

आप बार-बार खड़े हो जाते हैं

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं चार दिन के बाद सदन में आया हूं । रोज कहां खड़ा होता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह समझते हैं कि जब भी आप चाहें खड़े हो जायं । आपको मौका दिया जाय मैं विशेषाधिकार की सूचना ले रहा हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शून्य काल में नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जाती हैं, तो आपने उसमें व्यवस्था दी है कि जो सूचना दी जाय उसका जवाब सम्बन्धित विभाग के मन्त्री 7 दिन में देंगे । मैंने 4, 5 और 6 तारीख को अलग-अलग विषयों पर सूचनायें दिया परन्तु आज तक किसी सूचना का मन्त्री से जवाब नहीं आया । जैसा कि श्री रवीन्द्र सिंह कह रहे हैं कि राम दत्त जोशी जी ने सूचना दिया था पन्तनगर के बारे में उसमें कुछ नहीं हुआ इसीलिए वहां 16 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वह गोली से मरे हैं इसलिए इस गम्भीर सवाल पर सरकार को जवाब देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

शतरुद्ध प्रकाश जी मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । मैंने कहा कि कामरोको प्रस्ताव पन्तनगर के बारे में है । तो जिन्होंने सूचना दी है उसमें जो आपका प्रश्न है वह अपने आप उसके अन्दर आ जाता है । इसलिए अब आप अनावश्यक न कहें । विशेषाधिकार की सूचना के बाद यह आएगा ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

हमारी सूचना को नहीं लिया है । हमारे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना को मैंने स्वीकार नहीं किया है, आप बैठ जायं ।

श्री बांके लाल—

जो आपके पक्ष में जाते हैं उनको इजाजत देते हैं मुझको इजाजत नहीं दिया पढ़ने की यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है । यह गलत हो रहा है. . .।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप बैठें ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

मैं इस सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, आप क्यों स्थगित कर रहे हैं?

(इस समय 12 बजकर 33 मिनट पर सदन स्थगित हुआ तथा 12 बजकर 48 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री बांके लाल—

(अपनी सीट पर एकदम खड़े होते हुए) मैं आप का विरोध करता हूं। आप कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हैं। आपकी नीति पक्षपातपूर्ण है। आपका काम अच्छा नहीं है। मैं आप का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दीजिए।

श्री बांके लाल—

मैं कल दो बार खड़ा हुआ, आपने समय नहीं दिया आज खड़ा हुआ आप ने समय नहीं दिया, ज्यादती करते हैं। आपका काम मुझे अच्छा नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष—

राधे श्याम जी, आप आइए कार्यवाही चलाइए। राधेश्याम जी कार्यवाही चलायेंगे

(अनेक सदस्य—बैठिए, बैठिए)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, आप (शोर) चले जाइए (भयंकर शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही आधे घंटे के लिए मुलतवी कर रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक बात जो भी कार्यवाही इस सदन में होती है वह नियमावली के अनुसार होती है आप नियमावली देख लें आप माननीय अध्यक्ष हैं उसको इस्तेमाल करें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखें इस पर हम सहयोग कर रहे हैं जल्दी-जल्दी स्थगित करने से काम कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को स्थगित करता हूं बांके लाल जी ने जो प्रस्ताव किया है वह लिखकर दें और चूंकि उन्होंने जुबानी प्रस्ताव किया है मैं इस सदन में यहां पर अध्यक्ष बन कर नहीं बैठ सकता हूं।

(शोर)

सदन आधे घंटे के लिए स्थगित, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर सदन स्थगित हुआ तथा 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)

विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति विश्वास प्रकट किया जाना

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद है कि सदन की मर्यादा के प्रतिकूल कुछ वातावरण अपने माननीय सदस्यों के द्वारा यहां उत्पन्न हो गया और आपके हृदय को बहुत ठेस पहुंची। श्रीमन, सदन की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन का पूरा विश्वास आप पर है। आपकी न्याय प्रियता और सबके प्रति जो सद्भाव है वह समय-समय पर व्यक्त होता रहा है। मैं अपने माननीय सदस्यों से विशेष कर इधर बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संसदीय परम्परा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है तथा शिक्षा का माध्यम है, उसको निभाने के लिए अपने ऊपर संयम रखना होता है। बहुत योग्यता आत्म संयम अपेक्षित, होता है। हम अपने व्यवहार से मर्यादा का पालन करे और इस सदन की गरिमा बनाए रखें, इस तरह की मैं आशा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य इस तरह का व्यवहार करके आपके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष, विरोध पक्ष के रूप में जैसा आप देख रहे हैं आपके निर्देश और लोक-तांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हुए हम आपसे हमेशा सहयोग करते रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ भी निर्देश आप देते हैं वह न्यायसंगत होता है और मेरा दल पूरी तरह से आपको सहयोग करेगा इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं।

***श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)**—

श्रीमन् मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं अपने दल की ओर से और पूरे विरोध पक्ष की ओर से और शायद पूरे सदन की ओर से कि आपमें पूरा विश्वास रहा है और आज भी है। हम पूरे तौर से लोकतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास करते हैं। यह संसदीय परम्परा तथा यह सदन हमारे लिए शिक्षा का स्थान है, हम इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमें करना चाहिए। जिस हद तक हम कम शिक्षा पाते हैं उस हद तक हम में कमियां रहती हैं। आज जो परम्परायें हम बना रहे हैं, कल हम न रहे तो वह ऐसी न हों जो आगे आने वाली पीढ़ी तथा माननीय सदस्यों के लिए दुखदायी हो। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह सदन चलता है और चल रहा है और मुझे आशा है चलता रहेगा। आपके नेतृत्व व अध्यक्षता में हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी ओर से कोई ऐसी बात नहीं होन देंगे जिसमें आपको शिकायत हो शिकायत मेरे प्रति यह हो सकती है कि हम उतना विरोध नहीं करते जितना और लोग करते हैं। हम क्यों नहीं करते, इस सम्बन्ध में मैं साफ कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली से हम विरोध करना चाहते हैं, संसदीय संस्था से जिसके अन्तर्गत हम बोलना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। हो सकता है हमें बोलना न आता हो, लेकिन हमको सुनना आता है लेकिन मेरा निवेदन माननीय सदस्यों से इधर और उधर के यह है कि हो सकता है मुझे बोलना न आता हो तो मुझे सिखाइए लेकिन आपको सुनना नहीं आता है तो आप सुनना सीखिए। इन शब्दों के साथ हम आपमें अपना विश्वास प्रकट करते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, थोड़ी देर पहले जो सदन के सामने वातावरण पैदा हुआ उससे मैं समझता हूं कि सदन का हर माननीय सदस्य दुखी है। जहां तक इस माननीय सदन के सामने इस बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आने का सवाल है कि एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति के दिमाग में यह आ जाने से कि आपके ऊपर अविश्वास पैदा हो गया है और आप पूरे सदन के सदस्यों की भावनाओं को ठुकराते हुए स्वयं कुर्सी छोड़ दें, यह अच्छा नहीं कहा जा सकता । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रगतिशील विधायक दल सदन की मर्यादा और संसदीय परम्पराओं का पूरी तरह से पालन करता है और आप में विश्वास व्यक्त करता है और साथ ही साथ जिस तरह से निष्पक्ष और सद्भाव के व्यवहार के साथ आपने इस माननीय सदन का दिल जीता है वह कायम रखें ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी की गरिमा बहुत बड़ी है और उस पर आज तक बड़े-बड़े महानुभाव बठ चुके हैं । लेकिन श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों का व्यवहार अशोभनीय हो सकता है, अप्रजातांत्रिक हो सकता है वह तो बात समझ में आती है । इतने माननीय सदस्य हैं, उनकी भावनायें अलग-अलग हो सकती हैं । किसी सवाल को किस रूप में पेश करना चाहिए, नियमों के अन्तर्गत आप उसे चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तेजित होकर जो उस कुर्सी की मर्यादा है और मैं समझता हूं कि माननीय बांके लाल जी या माननीय मैनेजर सिंह जी के कहने पर, आपने कहा कि मैं जा रहा हूं और सदन को दो बार-एक बार 15 मिनट के लिए और एक बार आधे घंटे के लिए स्थगित किया । मैं समझता हूं कि यह भी जनतांत्रिक इतिहास में अच्छा नहीं कहा जा सकता । सन् 57 से लेकर आज तक पहली बार मैंने यह देखा कि आपने जिस तरह से उत्तेजित होकर कहा कि मैं जा रहा हूं और सदन को नहीं चलाऊंगा । जहां तक संसदीय परम्पराओं और आपके निर्देशों को मानने का सवाल है—हमारे ऊपर भी लांछन हैं, पहले भी लगते रहे और आज भी लगते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जनतांत्रिक मान्यताओं को नहीं मानती, ऐसे चार्जेज लगते रहे, सदन में भी और बाहर भी । श्रीमन्, मैं सन् 57 से इस सदन को देख रहा हूं और आप भी बहुत दिनों तक इस सदन के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, मेरे दल के जितने लोग थे सभी ने हमेशा जितने भी माननीय अध्यक्ष हुये उनका सहयोग किया और सदन के जो नियम और कायदे कानून हैं, अध्यक्षों के निर्देश हैं, उनका पालन किया ।

श्रीमन्, इस माननीय सदन में भी आप देखते होंगे कि हमारे माननीय सदस्य आपके निर्देशों का पालन करते हैं और आप उत्तेजित हो जाते हैं । हमारे माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह नेगी यह जानना चाहते थे कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है, उससे सम्बन्धित प्रश्न आपने लिया या नहीं । यही वे जानना चाहते थे । शून्य प्रहर के लिये मैंने भी दिया था । मेरे दिमाग में यह था कि आपने उसे नियम 51 में लिया या नियम 56 में लिया अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है वह लिया ही न हो । तो जिस तरह से उत्तेजित होकर नेगी जी को आपने डांटा हालांकि हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा और नेगी जी भी बैठ गये और आपके निर्देश का पालन किया । हम हमेशा आपके निर्देशों का पालन करते रहे हैं और हमारा दल करता रहा है । श्रीमन्, जिस दिन आप अध्यक्ष चुने गये उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारा दल सदन को चलाने में आपको सहयोग देता रहेगा और आपके निर्देशों का पालन करता रहेगा । नियम मानना हमारा कर्तव्य है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी समस्यायें आ जाती हैं कि जिनका नियमों के अन्तर्गत रहते हुये भी पालन करने में कठिनाई होती है । तब भी हम लोग श्रीमन्, आपके निर्देशों का पालन करते हैं । नियम का इंतजार करते हैं । नियम 56 का सवाल देते हुये तिवारी जी की तरफ से प्रश्न आया श्री श्यामधर जी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल]

बहुत से माननीय सदस्यों ने दिया । आपने जब कह दिया कि विशेषाधिकार का सवाल पहले लिया जायेगा उसके बाद हम लोग खामोश हो कर बैठ गये । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरह मत छोड़िये । उस कुर्सी की गरिमा रखें । यदि सत्तारूढ़ दल की तरफ से या विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आये तो उस पर बहस हो और आपको हटाया जाय ।

दूसरा प्रश्न यह है कि अगर आप को हटना है तो आप यहां मत कहिये और कुर्सी को छोड़ कर मत जायं । आप सत्तारूढ़ दल से आये हैं । वैसे यह कुर्सी दलों से ऊपर है । अगर आपने छोड़ना है तो उस दल में आप कहिये जो कि शासक दल है । वह आपको रखना चाहता है तो रख सकता है । हम तो तादाद में इतने कम कि इच्छा रखते हुये भी नहीं रख सकते हैं। प्रजातांत्रिक परम्पराओं के मुताबिक आप उस दल के पास जाकर कह सकते हैं । मैं फिर से आपको कह सकता हूं कि आपके प्रति हमारे दल की और हमारी आदर की भावना है । हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे । हम चाहते हैं कि माननीय सदन नियमानुसार चले और प्रदेश की जो समस्यायें हैं चाहे वह आर्थिक हों, चाहें सामाजिक या तात्कालिक बाधा के कारण हों उसका सही ढंग से यहां पालन कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति अपना विश्वास दिलाता हूं और अपने दल का भी विश्वास दिलाता हूं ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यह जो क्षुब्ध वातावरण पैदा हुआ इसमें कोई नई बात नहीं है । यह तो आंतरिक स्थिति है । वैसे आपने कभी-कभी विपक्ष के कुछ सदस्यों को बगैर इंगित किये हुये यहां से तीन दिन के लिये निष्कासित किया जो शिरोधार्य था चूंकि वह आपके अधिकार के अन्दर है । मान्यवर, विपक्ष का विश्वास आप पर है, पूर्णरूप से विपक्ष आपके साथ है । इस समय जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं वहां पर कुछ कमजोरी है । उत्तर प्रदेश की कैबिनेट और कैबिनेट के जो रहनुमा हैं उसके लिये मैं वह शब्द कहना नहीं चाहता हूं । वहां पर जब भी हमारे उद्योग मंत्री बैठेंगे कोई निकाला जायेगा । जिस दल की सत्ता है, आपकी जो कैबिनेट है उसमें दम नहीं है । मुझे इसमें बड़ा दुर्भाग्य मालूम होता है । आप इतने अनुभवशील व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं । लेकिन यह दल आपको बैठाकर आपसे सहयोग न करे यह दुख की बात है । हमारे श्री श्यामधर जी और श्री ऊदल जी ने आपकी बातों का अक्षरश: पालन किया । यह कैबिनेट जो है यह कई प्रकार की है, वह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वह असंसदीय है, इसमें इकट्ठा हो गये हैं । खिचड़ी शब्द नोट नहीं होगा । आप मुझे माफ करें । हम लोग खामोश बैठे रहते हैं आपने देखा होगा पहले भी जब तिवारी जी की सरकार थी मैंने देखा है । हिवप का काम होता है कि वह कन्ट्रोल करे । लेकिन आपकी निगाह भी उधर ही रहती है बनारस की तरफ । सेहरा साहब बोले तो आप एकदम बिगड़ते हैं या हम बोल तो आप एकदम बिगड़ते है । लेकिन हम आपकी बात गारजियन की तरह से लेते हैं, बाप की तरह अच्छा लगता है बड़ा प्रिय लगता है । आप पर विश्वास है, आपकी नीयत पर विश्वास है, इसलिये कोई फर्क नहीं है । लेकिन आप जान लें, इसके पीछे कांस्प्रेसी विपक्ष की है, ऐसी बात नही है, फिर भी इसके पीछे बहुत बड़ा षड़यंत्र है । उसका लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा, न उत्तर प्रदेश की साधारण जनता को मिलेगा और न आपको मिलने वाला है । मुझे बड़ा दर्द है आपकी भावना और इज्जत को देखते हुये तथा अन्य दूसरी बातों को देखते हुये । आप उठकर चले गये, मेरा दिल पिघल गया, जबकि आपने मुझे 3 दिन का बनवास कर दिया था । मैं आपके माध्यम से आखिर में कैबिनेट मंत्रियों से, जैसा मैं कमरे में नेम सिंह से बात करता रहा हूं, अर्ज करूंगा कि भाई लोगों आप प्रदेश की गाड़ी को चलने दो । श्री शत्रुद्ध जी कोई प्रश्न उठाते तो उनकी जिम्मेदारी है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिम्मेदारी है कैबिनेट स्तर वालों की जानें कहां चली, कैसे चली आखिर कुछ तो आने दें। लेकिन प्रदेश में जो हालत है, जो अराजकता की स्थिति है, उसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। अन्त में मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और समस्त विपक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं और आप में विश्वास करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह स्थिति फिर न आवे ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा ही दुखी हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परसौनी में 1 मार्च को डाकुओं द्वारा भयंकर डकैती पड़ी, जिसमें जोरों से डाकुओं द्वारा लूटमार और मारकाट मचाई गई । उसमें 3 आदमी डाकुओं द्वारा मारे गये और करीब 80 हजार की सम्पत्ति लूट ली गई । आज भी इतने दिन बाद मैं इंतजार करता रहा कि शासन की तरफ से कोई कार्यवाही होगी, लेकिन कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई और डाकुओं का आतंक वैसा ही फैला हुआ है जिससे कोई आदमी गवाही देने के लिये तैयार नहीं है, पुलिस निष्क्रिय हो गई है । थाना नेबुआ-नौरंगिया और रामकोला की पुलिस पूरी तरह फेल हो गई है और वहां का जन-जीवन बिलकुल असुरक्षित, अस्त व्यस्त हो गया है । इस कारण से मैं भावावेष में था और उसमें मेरे मुंह से कोई बात निकली हो, कोई गलत बात तो निकली नहीं है, क्योंकि मैंने केवल यह कहा था कि मेरे साथ पक्षपातपूर्ण नीति आप बरतते हैं, मैं कल भी खड़ा हुआ और आज भी मुझे अवसर नहीं दिया आप मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं। फिर भी उसके लिये मैं आपसे क्षमा मांगता हूं । मैं पुराना इस सदन का सदस्य हूं, 4 बार से सदस्य हूं, आप में मेरी श्रद्धा और निष्ठा है । पहले से आपका पूर्ण परिचय है और सम्बन्ध है और रहेगा । सदन के प्रति और आपके प्रति श्रद्धा और निष्ठा है और मेरा विश्वास भी आप में है । इन शब्दों के साथ, मुझसे जो त्रुटि हो गई है उसके लिये क्षमा मांगता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने कोई वैसी बात नहीं कही, जो अनुचित हो । मैंने अविश्वास भी नहीं व्यक्त किया और न कोई अशोभनीय बात ही की थी । जब हमारे भाई बांके-लाल अपने क्षेत्र के मामले में भावावेश में आये और सवाल उठाना चाहे तो उस सिलसिले में कुछ गरमागरमी हुई और आपने सदन को स्थगित कर दिया । मेरी ऐसी भावना थी और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि वह अवसर नहीं था सदन को स्थगित करने का लेकिन आपका वह निर्णय था, उसको हम शिरोधार्य करते हैं । अध्यक्ष आसन से जो भी निर्देश दिये जाते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी सदन में बहुत दिनों से हैं और मुझको भी कई वर्ष हो गये आपने भी देखा होगा कि अध्यक्ष की आज्ञाओं का बराबर मैंने पालन किया है । जहां जनहित में अपने कर्त्तव्य पालन में मैंने समझा कि अब मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो मैं खड़ा हुआ और तभी सदन के बाहर गया जब या तो इंगित किया गया या निलम्बन का प्रस्ताव आया। आपको याद होगा, जब आप यहां सदस्य थे और मंत्रि-परिषद् में थे, एक महीने के लिए मेरा, भाई बांके लाल जी और भाई ऊदल जी का विधान सभा से निष्कासन हुआ था। निष्कासन के एक हफ्ते के बाद ही मामला पलट गया और वापस बुला लिया गया। मेरे पास भी पत्र गया कि मामला पलट गया है और वापस आवें। मैंने जाने से पूर्व नेता सदन को पत्र लिखा था कि मुझे इंगित करके एक महीने के लिये निष्कासन का प्रस्ताव कर मुझे जनता की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर दिया है उसके लिये बधाई। जब वापस आने का पत्र मुझे मिला तो मैंने अपने क्षेत्र से ही लिख दिया कि निलम्बन का समय समाप्त होने पर ही आऊंगा और माफी नामे पर वापस नहीं आ सकता।

[श्री मैनेजर सिंह]

आप जो आज्ञा देते हैं मैं शिरोधार्य करता हूं। आप बोलने का अवसर दें या न दें मैं शिकायत नहीं करता। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में यही परम्परा है कि माननीय अध्यक्ष का जिस पर ध्यान जाय, जिसको उनकी आंख पकड़े वह, जिसको वह बुलावें वही बोले। इसके लिए कोई प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकता, यह मैं मानता हूं। मैं प्रारम्भ में सोशलिस्ट पार्टी में था, बाद में निर्दलीय रहा और आज जनता पार्टी में हूं। कभी भी मैं अध्यक्ष के यहां समय के लिए अनुनय विनय करने के लिए नहीं गया। दल में भी मैं कभी समय के लिए निवेदन नहीं करता। मैं खड़ा होता रहता हूं बीस बार खड़ा होता रहता हूं कि शायद माननीय अध्यक्ष का ध्यान पकड़ पाऊं। अगर नहीं पकड़ पाता तो शिकायत करने भी नहीं जाता। इस सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य विवाद में यह पिछले बार भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका ध्यान पकड़ नहीं पाया और मैं वंचित रहा बोलने से। उसकी मुझे शिकायत नहीं है। मैं संसदीय परम्पराओं में विश्वास करता हूं। हां मैं माननीय गुलाब सेहरा जैसा सहयोग नहीं देना चाहता जैसा कि 17 तारीख को आपको उन्होंने सहयोग दिया था और जनतंत्रीय परम्पराओं प्रदर्शन कुर्सी फेंककर और माइक तोड़ कर किया था। एक सदस्य की हैसियत से और जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूं और करता रहूंगा। आपका भी मुझ पर स्नेह है इसको मैं अस्वीकार नहीं करता। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि आपने मेरे साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो। घरबार छोड़कर हम बकरे की वकालत में निकले हैं। यहां जब देखता हूं कि किसी सदस्य के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं खड़ा हो जाता हूं और अपने भावावेश को रोक नहीं पाता। जैसा माननीय ऊदल जी ने कहा माननीय सदस्य अपनी किसी समस्या को रखना चाहते हैं चाहे नियम के विपरीत ही क्यों न हो। अगर वह भावावेश में आ जाते हैं तो यह आपका काम है कि आप अपने व्यवहार से उस गर्मी को ठंडे में तब्दील कर दें। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि मेम्बर का गुस्सा ठंडा हो जाय। मेम्बर गुस्से में कुछ कह दें और उसको पकड़ लें और आप भी गुस्सा करें तो यह शोभा नहीं देता। आपका बहुत दिनों का अनुभव है। इस सदन में आप बहुत दिन तक रहे हैं और आपका बहुत सारा अनुभव है। आपने माननीय संसदीय कार्यमंत्री का कार्य भी किया है। जब कभी सदस्य गुस्से में आये तो आपको उसे शांत करना है। पंतनगर का सवाल आया तो ठीक ढंग से आपने उसको सुलझाया यद्यपि काफी माननीय सदस्य उत्तेजित थे। माननीय बांके लाल जी भी खड़े हो गये थे।

मान्यवर, भाई बांकेलाल विचलित थे, उत्तेजित थे, जो इनके क्षेत्र में जनमानस में उत्तेजना है, उसका उन पर असर था। जैसाकि आपको मालूम है, सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कभी अगर आवश्यकता वैसी हुयी तो नियम के विरुद्ध भी चले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप उनके उस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृत कर देते हैं तो वे ठंडे भी हो जाते हैं। मान्यवर, बांकेलाल जी कैसे वक्ता हैं, यह हम जानते हैं, लेकिन आज 7 महीने के बाद वे खड़े हुए। थोड़ा अस्वस्थ भी हैं। खड़े हो गये तो, मान्यवर, उनको उचित ढंग से संभालते। भाई बांकेलाल जी, मान्यवर, खुश भी बहुत जल्द हो जाते हैं। जैसाकि आपने देखा कि किस तरह से बिना किसी हिचक के उन्होंने क्षमा मांगी उस अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में जिसको कि उन्होंने उठाया था।

जहां तक मेरी बात है, मान्यवर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपके आसन के विरुद्ध हो, आपकी मर्यादा के खिलाफ हो। मैं वैसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं। मेरा तो कहना है कि यह सारा सदन अपना एक परिवार जैसा है। जैसाकि अभी माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी ने कहा, आप गार्जियन हैं, संरक्षक हैं। तो आप एक गार्जियन की हैसियत से सभी माननीय सदस्यों को संभाल कर रखें। मान्यवर, यह नहीं कि जो आपके यहां जाय, केवल उसी का ख्याल रखें। मान्यवर, आपको पूरे सदन का सम्मान तो प्राप्त ही है। केवल जनता पार्टी या सत्ता का ही नहीं, विरोध पक्ष का भी सम्मान प्राप्त है और मैंने भी कोई अविश्वास का सवाल नहीं रखा। मैंने तो केवल यह कहा कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए और उस वक्त जो आपने रुख अपनाया, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। वह जो आपका स्टैन्ड था, ठीक ही था। हमारे माननीय टण्डन जी, जो इस माननीय सदन के अध्यक्ष थे, ने भी ऐसा ही किया था। मुस्लिम लीग के एक माननीय सदस्य ने अविश्वास पैदा किया तो उन्होंने कहा था कि अगर एक भी माननीय सदस्य का मुझमें विश्वास नहीं रहेगा, तो मैं नहीं रहूंगा। आपने उस परम्परा को अपनाया, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। आपको मान्यवर, यही रुख अपनाना चाहिये कि सदन का एक भी माननीय सदस्य अगर अविश्वास प्रकट करता है तो आप कुर्सी त्याग देंगे। यह बहुत ऊंची परम्परा है जिसको आपको अख्तियार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण और दलों के सभी नेतागण! मुझे अत्यन्त इस बात का दुख है कि आज फिर एक परिस्थिति पैदा हो गयी। उन्होंने जो भावनायें मेरे प्रति व्यक्त की हैं, मैं उसके लिए आप लोगों का बड़ा अनुग्रहीत हूं। आपको स्मरण होगा, जब 12 जलाई, 1977 को मैंने इस पद को स्वीकार किया था, तो मैंने उसी समय घोषणा की थी कि मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं और मैं दल से पृथक नहीं हूंगा। लेकिन इस पीठ पर बैठकर, [× × ×] सदन मेरी निस्पक्षता और तटस्थता पर अविश्वास करेगा, तो मैं इस कुर्सी को छोड़ दूंगा। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरा 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। इस पद पर तो केवल 9 महीनों से हूं। मेरा सभी जीवन संघर्षमय और कार्यरत रहा और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। तो यहां सदन की गरिमा को जानता हूं। मेरा अपना सामाजिक और राजनैतिक जीवन है, लेकिन मैं उसमें भाग नहीं लेता। लेकिन मैं यह आज कहना चाहता हूं और रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं कि इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए आज से 14 दिन पहले लिखित रूप से मैंने नेता सदन से, चूंकि मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं--अनुरोध किया था और यह संकेत किया था कि मुझे इस भार से मुक्त कर दिया जाये। चूंकि मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं इसीलिए अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर जी से मैंने दिल्ली में जाकर आग्रह किया कि मैं सफोकेशन महसूस करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पद से मुक्त हो जाऊं। नेता सदन ने, चन्द्रशेखर जी ने मुझे अनुमति नहीं दी और उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आपको जो ड्यूटी दी गयी है, आप उसका पालन करें।

मैं माननीय ऊदल जी से कहना चाहता हूं कि मैं उन अध्यक्षों में नहीं हूं. जैसाकि मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति कहता है कि इस कुर्सी पर न बैठें तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बैठूं। मैं नहीं चाहता था कि सदन को स्थगित करूं लेकिन उपाध्यक्ष हैं नहीं इसीलिये सचिव से कहा कि अधिष्ठाता श्री राधेश्याम को बुलायें। मैं जानता हूं कि नियमावली में है कि अविश्वास

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के पृष्ठ 58 के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

लिखित आना चाहिये और 14 दिन में उस पर विवाद हो सकता है। माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि उस पर विवाद का अवसर नहीं। [× × ×] यदि सदन ने प्रकट किया कि उसका मेरे पर विश्वास नहीं है, तो मैं इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। मैं किसी उत्तेजना में नहीं, जैसा कि ऊदल जी ने कहा है, मैं इसको गरिमा के विरुद्ध समझता हूं। मैं भूल कर सकता हूं और मेरे निर्णय में त्रुटि हो सकती है और अगर त्रुटि न हो तो सिविल जज के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में फैसला हो जाता है और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है। अगर मेरा दिया हुआ निर्णय ठीक नहीं है तो मेरे कक्ष में आकर कह सकते हैं कि आपने जो निर्णय दिया उसमें असंगति है जो उचित नहीं है तो मैं पूर्णतया विचार करूंगा। अध्यक्ष के नाते तो मैं इस सदन की गरिमा और परम्पराओं का संरक्षक हूं लेकिन कोई व्यक्ति घर पर जाकर गाली दे सकता है। कोई व्यक्ति अपमानित कर सकता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उससे मुझे कोई अप्रसन्नता न होगी। लेकिन यहां सदन का अध्यक्ष होकर यदि कोई ऐसी बात कही जाती है जो उसकी गरिमा के विरुद्ध हो तो मैं समझता हूं कि अगर मैं खामोश बैठा रहा तो मैं स्वयं यहां की गरिमा का उल्लंघन करता हूं और केवल इस पद के लालच में आकर जो सम्मान इसका होता है मैं इस दृष्टि से उन परम्पराओं का पालन नहीं करता जो इस पीठ पर बैठकर माननीय अध्यक्षों ने इसका पालन किया है। मैंने कहा है कि आप स्वयं मालिक हैं, कोई प्रश्न आता है तो मैंने उसी समय कहा कि एक ही प्रश्न चले क्या, तो आप लोगों ने स्वयं यह कहा कि 5 मिनट से अधिक एक प्रश्न न हो, विशेष परिस्थिति में वह ज्यादा देर भी चले। मैं सदस्यों की भावनायें समझ सकता हूं। मैंने यह प्रथा यहां डाली, जिसको शून्य प्रहर कहते हैं और शून्य प्रहर में यहां पर कोई लिखा रहता नहीं था, सब सदस्य खड़े होते, सब के लिये, आजादी, नियम भी निलम्बित होते थे। लोग अपनी भावनायें शायद व्यक्त करते हों, वे सरकार तक नहीं पंहुचती थीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा नियमित किया और एक यह नियम बन गया कि जो सूचनायें प्राप्त होंगी शून्य प्रहर के लिये, उनमें पांच और आवश्यकता पड़ने पर 6 या 7 तक ले सकता हूं, वैसे साधारणतया पांच मैं लेता हूं। प्रत्येक सदस्य उसके क्षेत्र में जो घटनायें घटती हैं वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है और मेरे कक्ष में आकर बहुत से सदस्य बात भी करते हैं। मैं फैसला करता हूं। हो सकता है कि अपेक्षाकृत किसी सदस्य की बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो और मैंने उसको कम महत्व दिया हो। उसके लिये यहां खड़े हो कर नहीं कहना चाहिये। मैं तो अपने विवेक से ही निर्णय कर सकता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई कह सकता है कि आपका निर्णय ठीक नहीं है, कोई हाईकोर्ट के जज से कह सकता है कि आपने पक्षपात किया है। तुरन्त अदालत की मान-हानि का अभियोग बन जायगा। इसलिये मैं यह दावा नहीं करता कि मैं कोई भूल नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरा ध्यान आकर्षित करें, मैंने कहा कि बनारसी दास की भूलों को आप कह सकते हैं। लेकिन जब मैं अध्यक्ष की हैसियत से कोई निर्णय करता हूं फिर आकर आप चुनौती देते हैं, यह सदन का अपमान है और ऐसी स्थिति के अन्दर फिर इस कुर्सी पर बैठना उचित नहीं होता है।

माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी ने जिक्र किया, इस सदन में मैंने किसी को इंगित किया नहीं, एक आध दफा ठीक है। मैं जानता हूं माननीय भगवती प्रसाद सिंह को, आज से नहीं बहुत दिन से जानता हूं और यह भी मैं जानता हूं कि बड़े भावुक व्यक्ति हैं। लेकिन नियमों में यह है कि कोई बात कहनी हो तो अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर कहना चाहिये और आज तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय ऊदल जी ने कैसे निष्कर्ष लगाया कि नन्दादेवी की घटना को उपेक्षित

नोट—[× × ×] यह अंश माननीय अध्यक्ष के पृष्ठ 58 के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करना चाहता था ? मैंने कहा, आज कार्यक्रम में पहले विशेषाधिकार का प्रश्न उसके बाद मैंने यह कहा नन्दादेवी पर और पन्तनगर की घटना पर भी काम रोकों प्रस्ताव हैं, नियम 51 के अन्दर सूचना है, मैं विशेषाधिकार के तुरन्त बाद इसको ले लूंगा । उसके बाद जहां तक बांकेलाल जी का सवाल है, मैं उनको जानता हूं, जब मैं शासन में था, वह सदस्य थे, विरोधी पक्ष में थे बड़े मेरे निकट के मित्र थे, आज भी हैं । मैं समझता हूं, वह बीमार भी हैं, उनसे मैं कह रहा था, सुना नहीं, आप फिर दे दें, मैं फिर ले लूंगा । तो यह माननीय सदस्य ध्यान में लाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ सदस्यों ने कहा, वास्तव में उससे मुझे दुख हुआ, कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था न मुझे कोई उत्तेजना थी । अध्यक्षों के सम्मेलनों के निश्चय भी हैं, यदि सदन के सदस्य उत्तेजित हों तो थोड़ा उसमें गाम्भीर्य लाने के लिये सदन को स्थगित करना चाहिये । उत्तेजना थी । इसलिये कि उत्तेजना थोड़ी कम हो जाय, उसके बाद हम विचार कर सकें, इस लिये मैंने सदन को स्थगित किया था । दोबारा मैं स्थगित नहीं करना चाहता था । मैंने माननीय राधेश्याम को कहा कि वह सदन को चलायें क्योंकि मेरे ऊपर अविश्वास हो गया, जब मैं आया । इसलिये जब राधेश्याम जी नहीं आये, तब मैंने आधा घंटे के लिये सदन को स्थगित किया । औचित्य का प्रश्न देखें, नियम देखिये, उसमें स्पष्टीकरण करना, बाहर की बात लाकर करना और आरिफ को जानता हूं, मेरे लड़के की तरह हैं लेकिन मैं जानता हूं कि कभी-कभी अपने जोश में होश खो देते हैं । अतः मुझे खेद है कि सदन में कभी-कभी ऐसी घटना होती है । मैं इस बात के लिये पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो भावनायें आपने यहां पर व्यक्त की हैं, उनके अनुरूप सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिये मुझे आपका सहयोग मिलेगा ।

सदन को मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमने पार्लियामेंटरी कामन वेल्थ एसोशिएशन के तत्वाधान में एक व्याख्यान-माला भी आयोजित की है जिसमें इन बातों पर विचार होगा कि एक माननीय सदस्य का क्या आचार हो, क्या डेमोक्रेटिक परम्परायें हैं और एक्जीक्यूटिव और विधान सभा का क्या संपर्क हो । इस प्रकार की एक व्याख्यान माला आयोजित की है और राजस्थान के गवर्नर. श्री, रघुकुल तिलक भी आये हुये हैं । जहां तक सदन का सम्बन्ध है, जो नियम है उनका यहां पर पालन होना चाहिये और अगर आप मेरी कोई भूल समझते हैं तो आप मेरी नोटिस में लायें । अगर भूल होगी, कोई जिद का सवाल नहीं है, तो मैं उसको मानकर स्वीकार कर लूंगा ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आपने यहां पर बार-बार संसदीय व्यवस्था और जनतंत्र प्रणाली की दुहाई दी है । आपने यहां पर यह कहा कि जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं अध्यक्ष हूं, यहां से हटने पर मैं बनारसी दास हूं, आप साधू हो सकते हैं, संत हो सकते हैं और महन्त हो सकते हैं । आप जो यह बार-बार कहते हैं कि अगर एक भी आदमी कह दे कि उसे आपमें विश्वास नहीं है तो आप इस्तीफा दे देंगे, इस पद से हट जायेंगे, तो यह कौन सी संसदीय व्यवस्था है । आप सर्व सम्मति से या बहुमत के बल पर वहां पर बैठे हैं, जनतंत्र प्रणाली के अन्तर्गत वहां पर गये हैं । आप कृपया इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें कि जो आप कह रहे हैं, वह परम्परा बनेगी । साधू, संत और महन्त लोग एक आदर्श की बात करते हैं । तो जो आप कहते हैं उसमें और जनतंत्र प्रणाली में और संसदीय व्यवस्था में कोई समन्वय नहीं दिखाई देता है । चूंकि आप वहां पर वोट के बल पर आये हैं, सर्व सम्मति से और बहुमत के बल पर आये हैं तो जब तक सर्व सम्मति से या बहुमत का आपके प्रति विश्वास न हो, तब तक आपके यहां से हटने का प्रश्न कैसे उठता है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं अपनी भावनाओं को आपकी भावनाओं से जोड़ता हूं लेकिन अगर एक ही आदमी कहे तो आप कैसे कुर्सी छोड़ देते हैं ? मेरा निवेदन है कि सबकी प्रतिष्ठा आपके साथ है ।

(खाद्य मंत्री) श्री हरिशचन्द्र--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कार्यवाही से वह वाक्य निकाल दिया जाय जिसमें आपके द्वारा यह कहा गया था कि यदि एक व्यक्ति द्वारा भी आपके प्रति अविश्वास प्रकट किया जाय तो आप स्थान छोड़ देंगे । मैं समझता हूं कि "सदन का अविश्वास" शब्द उस वाक्य में रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छी बात, यह निकाल दिया जायगा ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, शून्य प्रहर की जब बात आती है सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी समस्यायें यहां पर रखना चाहते हैं । अगर आप पीठ से माननीय सदस्यों को यह अवगत करा दें कि माननीय सदस्यों ने ये-ये समस्यायें रखी हैं तो मैं समझता हूं कि लोग इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे और माननीय सदन के संज्ञान में भी आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---

इस पर मैं विचार करूंगा ।

'रविवार' नामक साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक तथा टिप्पणीकारक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा ने 'रविवार' नामक साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक तथा टिप्पणीकारक के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है ।

माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त साप्ताहिक पत्रिका ने अपने 9 अप्रैल, 1978 के अंक में "खुला मंच" शीर्षक के "क्या यही लोकतंत्र है" उपशीर्षक के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव के विरुद्ध कुत्सित प्रचार किया है। माननीय श्री वर्मा का कहना है कि यह प्रचार न सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री का अपमान है बल्कि सदन का व माननीय सदस्यों का भी अपमान है। माननीय सदस्य ने उक्त पत्रिका का संबंधित अंक तो अपनी सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है किन्तु वह अंश उद्धृत किया है जिसके संबंध में उन्हें आपत्ति है। इस अंश में ऐसी कोई बात नहीं दी है कि जो माननीय मुख्य मंत्री के उन कार्यों से संबंधित हो जो वे सदन के सदस्य के नाते करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना को स्वीकार भी करूं तो उस पत्र को जिसको कि ज्यादा प्रकाशन नहीं मिलना चाहिए, एक प्रकार से उसको प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह की जो टिप्पणियां समाचारपत्रों में मिलती हैं, उनकी उपेक्षा ही करनी चाहिये। इस संबंध में कोई कार्यवाही करने से उससे उनको दन्ड नहीं बल्कि उनको ज्यादा प्रकाशन ही मिलेगा। इसलिये मैंने इसको अस्वीकृत कर दिया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

एक बात मान्यवर....।

श्री अध्यक्ष—

एक छोटी सी बात को, अगर उसने टिप्पणी की है, तो क्यों इसको ज्यादा....

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, छोटे और बड़े का सवाल नहीं है, उस पत्र में कौन सी बात कही गयी है....

श्री अध्यक्ष—

मैं वही तो कहता हूं कि मैं इसको कार्यवाही का अंग भी नहीं बनाना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह बड़ी पत्रिका है.....

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, आपने पत्रिका कोई संलग्न ही नहीं किया है, उद्धरण दिया है, नियम के अनुसार वह नहीं लिया जा सकता है। वह नियम के अन्दर नहीं है। नियमानुसार जो आधार है, उसको पूरा देना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जहां पर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री..... श्री अध्यक्ष—वर्मा जी, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

दिसम्बर, 1977 के अंक में मनोहर कहानियों में छपे खटिक जाति के स्त्री पुरुषों के खिलाफ बातों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—वर्मा जी

श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा ने विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाया है किन्तु, उन्होंने अपनी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किसके विरुद्ध उठाया गया है। सूचना में मनोहर कहानियां के दिसम्बर, 1977 के अंक से एक उद्धरण दिया गया है जसमें खटिक जाति के स्त्री और पुरुषों के खिलाफ बातें कही गयी हैं। माननीय श्री गुलाब सेहरा ने उक्त सूचना में यह कहा है कि मनोहर कहानियों के उक्त उद्धरण के साथ एक ज्ञापन कक्ष की गैलरी में वितरित किया जा रहा था जो श्री कन्हैयालाल सोनकर, विधायक तथा श्री लालता प्रसाद दरियाबादी द्वारा वितरित किया गया है। सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह ज्ञापन किस कक्ष की गैलरी में बंट हा था और इसको कौन बांट रहा था। शिकायत अस्पष्ट और अनियमित है। इसके अतिरिक्त शिकायत का विषय भी ऐसा नहीं है जो विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न बन सके। मैं इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। श्री गुलाब सेहरा ने इस संबंध में मुझसे बातचीत की थी। यह विषय ऐसा जरूर है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये, लेकिन विशेषाधिकार का दूसरा तरीका है। यह विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता। इसलिये मैंने इसे अग्राहय किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक निवेदन था। कार्य-स्थगन लेने से पूर्व आप कृपा करके उन माननीय सदस्यों को सुन लें.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया था कि जिन्होंने पेश किया, उनको समय दूंगा।

लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देना है कि विधान सभा की लोक लेखा समिति, 28 स्थायी-समितियां एवं 13 निकायों के निर्वाचन के संबंध में नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के अपरान्ह 4 बजे तक के लिये निर्धारित की गयी थी।

उक्त समय के भीतर नामों की वापसी के फलस्वरूप 28 स्थायी समितियों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त जो नाम थे वे वापस ले लिये गये हैं। अतः उक्त समितियों में भी जो शेष सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किये गये हैं, उनके संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।

उक्त 13 निकायों के निर्वाचन के संबंध में दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार इनका निर्वाचन कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इसके लिये नये कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जायगी।

लोक लेखा समिति में चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या उसमें निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हैं। अतः उसके निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक कमरा नम्बर 48, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं काम रोको प्रस्ताव ले रहा हूं। एक काम रोको प्रस्ताव माननीय देव बहादुर सिंह और श्री गोविन्द सिंह नेगी ने दिया है। उसका विषय इस प्रकार है:—

दिनांक 13 अप्रैल, 1978 गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के परिसर में मजदूरों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण अनेक मजदूरों की मृत्यु तथा लगभग 44 मजदूरों का घायल होना।"

इसी प्रकार की सूचना श्री सुन्दरलाल दीक्षित, श्री ऊदल, श्री जयराम, श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार ने भी नियम 56 में दी है।

दूसरी सूचना आज श्री श्यामधर ने एक काम रोको प्रस्ताव की दी है जो है—अमेरिकन गुप्तचर एजेंसी द्वारा गंगोत्री क्षेत्र में शक्तिशाली परमाणु उपकरण के गुम हो जाने से गंगाजल में विक्रियाशीलता, "रेडियो-ऐक्टीविटी' उत्पन्न होने के कारण प्रदेश की जनता में चिन्ता का वातावरण।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने भी इसी आशय का काम-रोको प्रस्ताव दिया है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, यह जो नंदा देवी पर उपकरण के संबंध में तथ्य दिया है, हमने भी 51 में उस संबंध में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बाद में आता है, आप जानते हैं। वैसे वह है, मैं बाद में बतलाऊंगा।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के परिसर में मजदूरों पर गोलीकाण्ड से अनेक मजदूरों की मृत्यु के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कल पन्तनगर में जो कांड हुआ है उसके विषय में मैंने प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया है और जो कांड हुआ है उसमें जो सूचना हमें मिली है, कल दे दी गयी है। वहां गोली चली जिसमें 30 से अधिक व्यक्ति, मजदूर मारे गये। उसमें औरतें और बच्चे भी हैं और गोली चलने के बाद जिनको गोली लगी, चाहे मृतक हों या जिन्दा हों, एक ट्रक में उठाकर गन्ने के खेत में ले गये और पुलिस ने उनमें, गन्ने के खेत में आग लगा दी। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। इतनी निर्दयता कभी किसी प्रदेश में नहीं हुई। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव क्यों सदन में लाने की आवश्यकता होती है। उसके दो ही कारण हैं। या तो प्रशासन में इतनी बड़ी तानाशाही आ जाय जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो जो उन्हें प्रशासन से उम्मीद हो वह न मिल पाये। तब हम लोगों के लिये यही मौका रह जाता है कि कार्यस्थगन के रूप में आपके और सदन के समक्ष अपनी बात रखें। पृष्ठभूमि में पहली अप्रैल को उसके पहले भी मजदूरों ने एक हड़ताल का नोटिस वहां कुलपति महोदय को दिया था। हम पहली अप्रैल को उनसे मिले और उनसे कहा कि आप मजदूरों से बात करें और जो उनकी उचित मांगें हैं उनको मान लें अथवा तर्क से समझा दें तो वह मान जायंगे और समस्या का समाधान हो जायगा। हमने यह मंजूर किया कि 3 तारीख को मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और उसकी सूचना 2 तारीख को 4 बजे तक दे देंगे। 2 तारीख को जब 4 बजे तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली तो मैंने 5 बजे पूछा कि कल क्या बात होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं होगी। ऐसा लगता है कि जैसे मजदूरों से बात करने में उनका अपमान होगा या उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी। वे यह निश्चय करके बैठे थे कि हड़ताल को दबाकर रख देंगे। ऐसा इन्तजाम करेंगे ताकि पन्तनगर में हड़ताल न हो सके। आप देखें श्रीमन्, इसी पृष्ठ भूमि में जो गोली मजदूरों पर चलाई गई वह उनके सरों में और सीने में लगी है ताकि वे लोग उठ भी न सकें। जो सूचना आज आई है वह यह है कि वहां स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इससे बड़ा अपमान मजदूरों का और कहीं इस देश में नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो जब आप बहस करें तब कहें। अभी नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी घटना-स्थल पर गए हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब हमें सूचना मिली और वहां से तार आया, मैंने अपने पत्र के साथ माननीय मुख्य मन्त्री के पास वह भेजा और उनसे यह निवेदन किया कि वे हस्तक्षेप करें तो इसका समाधान हो सकता है। मजदूरों की कोई हठधर्मी नहीं है। वे समझौता करना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार की मजदूरों के प्रति न कोई नीति है, न ही यह उनका हित चाहती है, अगर यह हस्तक्षेप करते तो यह दुर्घटना टल सकती थी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, 9-10 महीने इस सरकार को चलते हुए हो गए। इन 10 महीनों में इस प्रदेश के अन्दर जितने गोली कांड हुए हैं, जितने लाठी चार्ज हुए हैं, जन आन्दोलनों को जितना यहां दबाया गया है, उतना पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है। गाजियाबाद के अन्दर गोलीकांड हुआ, कानपुर के स्वदेशी मिल में हुआ, वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, तमाम जगह हुआ। ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार जनतांत्रिक तरीके से चलना नहीं चाहती है। पुलिस और फौज के बल पर, लाठी और गोली के बल पर, यह सरकार को चलाना चाहते हैं। आखिर पन्तनगर के मजदूरों की क्या मांग थी? उनकी मांग मुख्य यह है कि सीजनल लेबर जो पहले आए वह बाद को जाए। इस पर उनका समझौता भी हो गया था। 25 फरवरी को यह हुआ था। माननीय देव बहादुर सिंह जी भी उसमें थे। समझौता होने के बाद 27 फरवरी को 90 मजदूर निकाल दिए गए।

उन मजदूरों को जो सबसे पहले आए थे। तो मजदूरों के अन्दर रोष होना स्वाभाविक है। मान्यवर, 4 मार्च को फिर समझौता हुआ और यह तय हो जाता है कि जितने मजदूरों को निकाला गया है उनको फिर से काम पर ले लिया जायगा। तो फिर उस समझौते को तोड़ दिया जाता है। और उनका तबादला कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि खेतिहर मजदूर की कितनी तनख्वाह होती है। इतना ही नहीं हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार माननीय रामनरेश यादव जी की सरकार ने खेतिहर मजदूरों की सर्विस को इसेन्शियल सर्विस किया एक स्पेशल आर्डिनेन्स के जरिए से। तो इसके पीछे यह था कि इस तरह से खेतिहर मजदूरों को कुचल दिया जायेगा, फौज के बल पर, पुलिस के बल पर। आर्डिनेन्स के जरिए इसेन्शियल सर्विस घोषित कर दी गई। उसके बाद भी लगातार समझौते के प्रयास किए गए। देव बहादुर सिंह जो उस क्षेत्र के एम0 एल0 ए0 हैं, उन्होंने भी वाइस चांसलर से मिलने का प्रयास किया। वाइस चांसलर हैं धर्म पाल सिंह।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर बुलवाइए, यह भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इसके विस्तार में जा रहे हैं। ग्राह्यता तक अपने को सीमित रखें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर परम्परा कायम हो गई है कि सरकार समझौतों को तोड़कर जन असन्तोष को लाठी और गोली के जरिए खत्म कर देना चाहती है। अन्देशा क्या है? आज यह सदन बैठा हुआ है। हम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं जब तक कि सदन न बन्द हो। कहीं कोई समस्या खड़ी हो गई अधिकारियों के कारण, अगर हमारे क्षेत्र के लोग चले गए तो अन्देशा है कि उनको पीटा जायगा। आजमगढ़ के बारे में माननीय राय जी ने अपनी बात रखी। तो जहां कहीं जनता अपनी मांगों को लेकर शासन के पास जाती है तो उसको लाठियों और गोली के जोर से मांग को दबा दिया जाता है और लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था का नामोनिशान नहीं रह गया है। ला-ऐंड आर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है। जनता और किसानों के लिए गोलियां और गुंडागर्दी करने वालों को खुली छूट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो शान्ति-व्यवस्था पर बहस कर रहे हैं। सिर्फ पन्तनगर तक सीमित रहें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, पन्तनगर ने आंखें खोल दी हैं, इस प्रदेश की आंखें खोल दी हैं। स्थिति यह है कि इस प्रदेश के अन्दर शासन नहीं चल सकता, शासन ठप हो गया है। इस प्रदेश के अन्दर अराजकता का राज्य हो गया है। अगर इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर कोई शासन कायम नहीं रह सकता है, कोई ला ऐंड आर्डर कायम नहीं रह सकता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम 56 में यदि मैं स्वीकृति भी इसकी दे देता हूं तो भी चार बजे चर्चा में लिया जा सकता है। इसलिए ग्राह्यता के बारे में कहें, क्यों कि यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है मैंने इसलिए थोड़ा सुनना चाहा। लेकिन विस्तार में नहीं जाना चाहिए, बहुत संक्षेप में कहना है। इसमें आम विवाद भी नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, जो खेदजनक घटना पन्तनगर विश्वविद्यालय में हुई है उसके बारे में आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि आज सदन के काम रोक कर इस सर्वाधिक महत्व के प्रश्न पर विचार करें। मान्यवर, यह तार आया है श्री राम सुमेर शुक्ला जो एक प्रमुख समाज सेवी और कार्यकर्ता हैं उन्होंने भेजा है। इसमें है "The Jaliyanwalabagh tragedy repeated on 13th April."

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्देश कर चुका हूं। आप इसका हिन्दी रूपान्तर करें। इसकी अंग्रेजी को हिन्दी में पढ़ दीजिय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अंग्रेजी में पढ दूं तब कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि केवल अनुवाद ही पढ़ा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, 13 अप्रैल को जलियां वाला बाग कान्ड हुआ था। तो तार में है कि 13 अप्रैल को फिर जालियांवाला बाग दोहराया गया जब पुलिस ने 250 राउन्ड गोली पन्तनगर के खेतिहर मजदूरों पर चलायीं। 100 मजदूर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गये, 50 से ज्यादा मर गये। 7 मिसिंग हैं। वह भी मौत के घाट उतार दिये गये। बाकी रिपोर्ट भेज रहा हूं।

श्रीमन्, यह दुखजनक घटना बैसाखी के दिन, जिस दिन जालियांवाला बाग स्मृति-दिवस का दिन था, हुई। श्रीमन्, पंत नगर के मजदूर इतने अनुशासित रहे हैं कि उनका एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रिकार्ड रहा है। इतने साल हो गये हैं पन्तनगर विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ, श्री मोहन लाल गौतम जी के समय से तब से वहां का उत्पादन का एक रिकार्ड रहा है। यही नहीं विश्वविद्यालय की रिसर्च, प्रदेश और देश में एक ख्यातिनामा रहा है। यहां की खेती से आमदनी डेढ़ दो करोड़ रुपये होती है जिससे यूनिवर्सिटी का खर्च चलता है। शासन पर भार नहीं पड़ता है। मजदूरों पर यह यूनिवर्सिटी चलती है। इसलिये दो बाते हैं यदि इस पर विचार नहीं करते तो एक तरफ हमारी दो करोड़ रुपए की जो आय होती है स्टेट फार्म से उस पर रुकावट पड़ गयी है जिससे वित्तीय भार शासन पर पड़ेगा। दूसरे रिसर्च का काम जो हो रहा है विश्वविद्यालय में वह रुका हुआ है। तीसरी तरफ दुर्भाग्य है कि खेतिहर मजदूरों को प्रशासकीय अकुशलता के कारण ग्रास मिस हैंडलिंग किया गया है। यहां सदन में भी चर्चा इसकी हो चुकी है। नियम 51 में भी कई बार जैसे देव बहादुर सिंह जी ने बताया। कई बार सदन में आपके सामने बात आ चुकी है। दो हजार मजदूर पहले गिरफ्तार हुए। उसके बाद समझौता हो गया लेकिन फिर वह तोड़ दिया गया। क्यों तोडा गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, व्यवस्था का मेरा प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो विषय प्रस्तुत है उसकी ग्राह्यता के बारे में ही केवल कहें। बहस नहीं चलनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने जानकारी दे दी है इसके संबंध में जो शासन को सूचना प्राप्त है वह तथ्यों में भेज दी जायेगी और जानकारी करके सूचना दी जायेगी। मान्यवर, जो बहस चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कहीं स्वीकार न कर लिया गया हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—

बिना मंजूर किये हुए ही विचार कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, शासन को आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यदि मैंने मंजूर भी कर लिया तो 4 बजे से पहले विवाद नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब शासन को मंजूर है 'काम रोको' तो फिर इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता के बारे में ही कहें। यह आपत्ति है मंत्री जी की।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने यही कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा था। जब शासन को मंजूर है 'काम रोको' तो फिर इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता के बारे में ही कहें। यह आपत्ति मंत्री जी की है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने यही कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा था। वैसे यह 35 वां गोलीकान्ड है। मैं यह कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह कहना कि पैंतीसवां गोलीकान्ड है तो कौन ऐसा प्रदेश है जहां हिंसा नहीं हो रही।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप शासन की तरफ से उत्तर न दें तो अच्छा होगा।

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि चूंकि इस मामले में सरकार ने ग्रास मिस हैंडलिंग किया है, डिपार्टमेन्ट ने ग्रास मिस हैंडलिंग किया है, वाइस चांसलर ने ग्रास मिस हैंडलिंग किया है। समझौता मजदूरों से होने के बाद यूनिवर्सिटी को बन्द किया है। समझौते को तोड़ा है, जब कि सूचना है कि 13 अप्रैल को जुलूस निकल रहा है। लेकिन बारबार समझौते को तोड़ करके यह फायरिंग सीधे ग्रास मिस हैन्डिलंग, बद-इन्तजामी, वायदा खिलाफी का परिणाम है। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैंने अलग से भी दिया है। मैं सिर्फ ग्राह्यता के बारे में कह रहा हूं। घटना कल की है। तत्काल नियम 56 के अन्तर्गत यह है यदि कोई घटना गंभीर घटती हो तो उस प्रस्ताव की ग्राह्यता हो जाती है। इसलिये श्रीमन्, यह घटना कल की है। गंभीर इसलिये है कि तीस व्यक्ति जान से मारे गये हैं और सौ से ऊपर घायल हुए हैं और उसके बाद यह होता है कि बहुत से मजदूर मारे डर के भाग गये और गन्ने के खेत में छिप गये। तो पुलिस ने जाकर के गन्ने के खेत में आग लगा दी उसमें कितने लोग मर गये। श्रीमन्, इसकी अभी सूचना नहीं है लेकिन लोग मर गये। और इसके बाद लोग भाग गये और वहां स्थिति जो है, आतंकपूर्ण है। अब आप समझ लीजिए तीस व्यक्ति मारे जायं, गन्ने के खेत में लोगों को फूंक दिया जाय, डेढ़ सौ लोग घायल हो जायं। इसलिये कौन इससे बढ़ कर ग्राह्यता और हो सकती है। मेरा निवेदन है कि इसको आप स्वीकार करें।

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी .....

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं केवल नियमावली आपके सामने रखता हूं अपनी छोटी बुद्धि से उसको पढ़े देता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

नियमावली मेरे सामने है। धन्यवाद, आप की मदद की जरूरत नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप सुनें तो। श्री ऊदल ने पढ़ दिया है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप रोक दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन नियम 291 का उल्लंघन न कीजिये। उसमें है पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, ये सहयोग देने के लिये कह रहे थे। यह सहयोग मिल रहा है? आप समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा पुनरावृत्ति न कीजिये।

*श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, आप देख रहे हैं, माननीय ऊदल जी ने ग्राह्यता के संबंध में बात कही उसकी मैं ताईद करता हूं। धारा 56 में अविलम्बनीय लोक महत्व पर कार्य—स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की जा सकती है। आप देखें इससे कौन सा बड़ा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न हो सकता है कि इतने व्यक्ति मर गये, लोग लापता हैं, घायल हैं। इसके अलावा बजट सत्र चल रहा ह। जनरल बजट कल समाप्त हो गया। सामान्य प्रशासन और पुलिस का बजट 25-26 को होने वाला है आज से दस दिन बाद। इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये तत्काल, आज ही होनी चाहिये। अब कैसे होनी चाहिये इस पर अपनी छोटी बुद्धि से कुछ सलाह देना चाहता हूं। नियम 52 के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा, जो कि विधिवत तरीका है आज और कल इस पर कर लें। यह भी अच्छा होता कि नियम 56 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न पर इसकी ग्राह्यता स्वीकार की जाय क्योंकि बजट चल रहा है और सामान्य प्रशासन और पुलिस का बजट 25-26 को आयेगा और कल जनरल बजट समाप्त हो गया। मुझे इतना ही कहना था।

श्री अध्यक्ष—

इसकी ग्राह्यता के बारे में भी और जो सूचना आप को देनी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है जो दुःखद घटना कल पन्त नगर में हुई है उसका संबंध दैनिक प्रशासन से नहीं है। यह सही है कि इस संबंध में कुछ सूचना शासन को प्राप्त हुई है-इसलिये सूचना पाते ही माननीय मुख्य मंत्री जी घटना स्थल पर आज ही गये हैं जानकारी प्राप्त करने हेतु और जब घटनास्थल से लौट कर आयेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय पर विवाद होगा जो जनतांत्रिक परिपाटी के अनुकूल होगा। शासन को इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है:—

पंत नगर में जो श्रमिकों की हड़ताल हुई थी उसमें यह ज्ञात हुआ है कि 13 अप्रैल को लगभग दो हजार का एक जुलूस उप कुलपति के निवास स्थान की ओर लाठी तथा बल्लम से युक्त बढ़ रहा था। मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस दल ने इन लोगों को बहुत समझाया कि 144 लागू है और वे आगे न बढ़ें किन्तु उन्होंने एक न मानी। परिणामस्वरूप अश्रु गैस का उपयोग हुआ। जिसके प्रभावशाली न होने पर गोली चलानी पड़ी (व्यवधान).. 18 महीने तक इस प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या होता रहा नेगी जी, तब आप चुप रहे । आगे रिपोर्ट यह है गोली चलने के बावजूद जुलूस के लोग आगे बढ़ते रहे । अतएव, 164 राउन्ड गोली चलानी पड़ी । (शेम, शेम के नारे तथा शोरगुल) मुझे कम से कम सुनने की आजादी होनी चाहिये । इसके फलस्वरूप 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 33 व्यक्ति घायल हुये । एक दूसरी जगह फार्म के पास 1,000–1,500 श्रमिकों की एक भीड़ फार्म हाउस जलाने का प्रयत्न कर रही थी । उन्हें भी जब समझाने बुझाने से कोई नतीजा न निकला और जब टियर गैस चलाने से भी वे नहीं हटे तो 44 राउन्ड गोलियां चलानी पड़ीं जिसके फलस्वरूप दो व्यक्ति मर गये और 7 घायल हुये । (शेम,शेम) कृपा कर सुनिये ।

13/14 अप्रैल, के 12.30 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार घायल व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति तत्काल प्रथम उपचार लेकर अस्पताल से बाहर चले गये । दो व्यक्तियों की हालत गम्भीर है । 16 व्यक्ति चिकित्सा हेतु रामपुर भेजे गये और शेष व्यक्ति हल्द्वानी में हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें सारे काम को रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह आप सुन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सदन की परिपाटी रही है जिसे मैं माननीय देव बहादुर सिंह को बतलाना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य इस सदन में खड़ा हो कर बोलता हो तो किसी अन्य माननीय सदस्य को बीच में खड़े होकर बोलना नहीं चाहिये और इस प्रकार उनके बोलने से व्यवस्था में कुव्यवस्था उत्पन्न होती है ।

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों बीच में टिप्पणी करते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मुझे एक सूचना मिली है, अध्यक्ष महोदय । सुबह मैंने केवल नियम 51 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में सूचना दी थी कि इस सूचना देने के बाद जब मैं घर पंहुचा तो मुझे फोन मिला मेरे परिवार के लोगों के भी वहां फार्म हैं । फोन यह मिला कि मृतकों की लाशों को गाड़ियों में भर कर जंगलों में जाकर जलाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है । इस तरह 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दोहरा दिया गया और यह कहते हैं कि यह ग्राह्यता के योग्य नहीं है ।

यह दलगत मामला नहीं है । जब मजदूरों के ऊपर गोली चलती है तो वह प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मालवीय जी से हम उम्मीद करते थे कि जब इतनी सूचना उनके पास आ गई है तो वे फौरन घोषणा करते कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो । यह ऐसा मामला है जिस पर मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये । उन्होंने इस पर कोई अफसोस भी जाहिर

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]—

नहीं किया इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे उम्मीद थी कि मालवीय जी जनतांत्रिक मान्यताओं और प्रणालियों में आस्था रखते हैं । यह ऐसा विषय है जिस पर उन्होंने पहले भी माना है । इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, इस पर आप क्या निर्णय ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 57 के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है और जैसा उसमें लिखा है नियम 60 के अनुसार और फिर जब चर्चा होती है तो वह सदन के समय से एक घन्टा पहले होती है यानी 4 बजे से हो सकती है । इसमें 45 मिनट तक बहस हो चुकी है । मालवीय जी ने सदन को सूचना भी दे दी और उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री पंतनगर गये हुये हैं । बहस सार्थक होने के लिये उनका आना आवश्यक है । यह एक दुखद घटना है । इतने व्यक्ति मर गये । श्यामधर जी ने एक व्यवहारिक प्रश्न किया है तो उसमें यदि कोई शीघ्रातिशीघ्र बहस हो सकती है तो वह 17 तारीख को हो सकती है । मुख्य मंत्री जी लौटे नहीं हैं उनके लौटने पर मैं चाहूंगा कि 17 तारीख को एक वक्तव्य मुख्य मंत्री जी का हो, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, 17 तारीख के बजाय 18 तारीख कर दीजिये । और जानकारी आ जायेगी.....विस्तृत जानकारी दे देंगे.....

श्री श्यामधर मिश्र—

मुख्य मंत्री कब तक आ जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

दो दिन छुट्टी है और घटना महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर 17 तारीख को वक्तव्य होगा और उसके बाद तब मैं अवसर दूंगा ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, 17 तारीख को राम नवमी का मेला है ।

श्री अध्यक्ष—

छुट्टी तो नहीं है । सदन चलेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक तरफ राम नवमी का मेला और दूसरी तरफ इन्सानों की लाशें, इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है ?...

श्री अध्यक्ष—

17 तारीख को सदन चलेगा इसलिये इस पर मुख्य मंत्री उसी दिन वक्तव्य देंगे । उसके बाद मैं बहस की अनुमति दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, आज शाम तक यदि इस बारे में कोई और सूचना आ जाय तो उसे भी माननीय मालवीय जी सदन को बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी लौट आयें तो सूचना सदन को दे दी जायेगी ।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, 17 तारीख को राम नवमी का त्योहार पड़ रहा है और मिर्जापुर में विध्यांचल जी का स्थान है उसमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं अपितु देश के कोने-कोने से दर्शनार्थी आते हैं । मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य भी वहां जायेंगे ।

राम नवमी के अवसर पर माननीय सदस्य भी वहां पहुचने का प्रयास करेंगे । अतः ऐसा होना चाहिये कि 17 तारीख को सदन न चले ।

श्री अध्यक्ष—

आपने संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि 17 तारीख को यहां पर अधिवेशन होगा । इसलिये यह तय हो चुका है कि सदन चलेगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

कार्यमंत्रणा समिति की आपात्कालीन बैठक बुला कर निर्णय लिया जा सकता है । इस प्रदेश में तमाम ऐसे स्थान हैं जहां मेला लगता है । इसलिये उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये यह कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन आप की 17 तारीख की छुट्टी के सम्बन्ध में क्या राय है ? चूंकि 17 तारीख के लिये सदन निश्चित् कर चुका है । अब मैं पूछना चाहता हूं क्या आप चाहते हैं कि 17 तारीख को सदन बंद रहे ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

वैसे तो मान्यवर, सदन का 17 तारीख को बैठना निश्चित् हो चुका है । यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं तो चाहता हूं कि 17 तारीख को सदन चले । उस दिन वक्तव्य दिया जाय पंतनगर के बारे में ।

श्री अध्यक्ष—

जब तक सब लोग नहीं एक मत होंगे 17 तारीख को सदन की छुट्टी रखना अनुचित होगा या फिर से यदि कार्य मंत्रणा समिति निश्चित करेगी तो वह मैं बाद में कर लूंगा । इस तरह

[श्री अध्यक्ष--]

से नहीं किया जा सकता है । आपस में बहस करने के बाद 5.30 बजे मुझे बतला दें तब मैं 17 तारीख की छुट्टी करूंगा वरना नहीं ।

अमेरिकन गुप्तचर एजेन्सी द्वारा गंगोत्री क्षेत्र में शक्तिशाली परमाणु उपकरण के गुम हो जाने से विकिरणशीलता उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

यह जो श्यामधर जी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में प्रस्ताव रखा है मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं नियम 51 के अनुसार और गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र सूचना इकट्ठा करे और वक्तव्य दे । मसला महत्वपूर्ण है इसलिये मैंने नियम 51 में स्वीकार कर लिया है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, आपने मंत्री जी को वक्तव्य देने को कहा है । मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है इस पर दो शब्द मुझे कहने दें। काम रोको की भावना दूसरी होती है और वक्तव्य की दूसरी। मेरे काम रोको प्रस्ताव की भावना पूरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

आप कहें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

यह जो घटना घटित हुई इस पर मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है । श्री श्यामधर जी के प्रस्ताव पर आपने नियम 51 में मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा है। ठीक है लेकिन वक्तव्य देते हुए मैं चाहता हूं कि दो-तीन चीजें सामने आ जानी चाहिये । मान्यवर, 1965 में यह घटना हुई। कुछ पर्वतारोही लोग थे । जो 8 पर्वतारोही थे उनमें से 3 गुप्तचर विभाग के लोग नंदा देवी चोटी पर चढ़े और उन्होंने एक उपकरण वहां रखा जो उपकरण पेट्रोलियम का है जिसका वजन 124 पौंड था इसमें 238 पेट्रोल भरा हुआ था। यह एक तरह का पदार्थ है जो 5 सौ या एक हजार वर्ष तक नष्ट नहीं होता। मेरी सूचना है कि वह मिस हो गया है, खो गया है। उसको हमारे गुप्तचर विभाग और सी0 बी0 आई0 के लोग तलाश करने के लिए गये । यह सूचना जब तक प्रेसीडेंट निक्शन थे, गुप्त रही। यहां के राष्ट्रपति ने भी यह गुप्त रखा। मुझे मालूम नहीं कि प्रदेश के प्रशासन को भी नहीं मालूम हुआ। उसकी खोज बंद कर दी गई। अब यह रहस्योद्घाटन सारे संसार के आणविक विशेषज्ञों ने किया है। यह पदार्थ 5 सौ से एक हजार वर्ष तक नष्ट नहीं होता है। इसका खोल 40 से 50 वर्ष में नष्ट हो जाता है और उसके बाद यह वर्फ में मिल जायगा जिसका नतीजा होगा कि यह उसमें मिल जायगा और मिलने के बाद यह पानी में जायगा और जो आदमी फिर यह पानी को पिएगा, उसको कैंसर होगा एक बार यह पेट में जाने के बाद कभी बाहर नहीं निकल सकेगा और जब यह पानी खेतों में जाएगा तो खेत नष्ट हो जाएंगे, फसल खत्म हो जायेंगी, उत्पादन खत्म हो जाएगा । पन्त नगर विश्वविद्यालय की घटना के बारे में जो कहा गया, वह अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यह घटना उससे कहीं अधिक गम्भीर है। इस घटना से तो पूरा प्रदेश नष्ट होने जा रहा है और सारे प्रदेश की खेती का भविष्य खतरे में है। तो मान्यवर, इसको आपने नियम 51 में जो आदेश दे दिया है, उसके अन्तर्गत मंत्री महोदय की जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी कि हमारे प्रदेश में नन्दा देवी की पर्वतिका में इसको रखने और उस पर्वतारोही दल के साथ गुप्तचर के लोगों को जाने का आदेश किसने दिया ?

इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई हैं, प्रधान मंत्री के नाते उनके वृहद् अधिकार हैं उसी तरह आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, लेकिन सदन के बाहर किसी की हत्या का अपराध आप करेंगे, तो आप पर भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा चल सकता है। मोरार जी देसाई पर इस बात के पता लगाने की पूरी जिम्मेदारी जाती है कि प्रदेश की जानकारी के बिना हमारी धरती पर ऐसे अणु पदार्थ को रखने की इजाजत कैसे दी गई और दी गई तो किसके द्वारा दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आज यह यदि इन्दिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि नियम 51 में इस पर गम्भीर चर्चा हो। कोई बयान देने के पहले मंत्री जी अणु विशेषज्ञों की इस पर राय लेकर ही अपना वक्तव्य दें। कौन परिस्थिति थी कि हिमालय की पथिका में अमरीकी लोगों ने जासूसी की और उनको दण्ड देने के लिए मंत्री जी बताएं कि इसके जिम्मेदार लोगों को वह क्या दण्ड देने जा रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में यह सामान्य लोकतांत्रिक मर्यादा है कि सत्ता पक्ष द्वारा कोई भी प्रस्तुत कार्य स्थगन का प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव के समकक्ष माना जाता है। तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य का यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव के रूप में लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष--

नियमावली में यह कहीं नहीं लिखा है कि सत्तारूढ़ दल का सदस्य काम रोको-प्रस्ताव नहीं कर सकता है। यह प्रत्येक दल की अपनी आचार संहिता है, उसके अन्तर्गत यह देखने की चीज है। यदि श्री तोमर ने यह प्रस्ताव पेश किया है और यह सत्तारूढ़ दल के अनुशासन के विरुद्ध है, तो यह दल के देखने का काम है। इसलिए इस सम्बन्ध में यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

देखिए श्यामधर जी, अब यह....

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा तो यह प्रश्न ही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। मैं ही आपकी आज्ञा पूरी तरह मानता हूं, 100 फीसदी अगर आज्ञा कोई मानता है, तो मैं ही मानता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं इस कांड से गंगोत्री से जो जहरीले पानी की बात हो रही है, वह गंगा नदी में आएगा और उससे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के निवासी प्रभावित होते हैं। मैं इस पर दो-तीन बात उठाना चाहता हूं। इसलिए यह प्रश्न उठाया कि यह बात 15 वर्ष पहले की कही जाती है। यों यह साफ नहीं है कि कब की है। एक तो 15 वर्ष की बात कही जाती है, जैसा तोमर जी ने और दूसरे लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि 124 पौंड का जहरीला अणु बम का यंत्र वहां छूट गया। तो प्रश्न यह है कि कैसे इतना बड़ा यंत्र छूट गया ? मैं समझता हूं कि यह छोड़ा गया है। दूसरे यह लगता है कि क्या यह बात सही है कि चीन वालों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र--]

का कुछ पता लगाने के लिए यह छोड़ा गया या हमारे पानी को जहरीला करने के लिए छोड़ा गया है। मुझे मालूम हुआ है कि पिछली साल, इसी सरकार ने गंगोत्री क्षेत्र में पर्यटकों को पहले से प्राप्त अनेक सुविधाओं को बन्द कर दिया था। इसके मायने अब कुछ जनता और सरकार को मालूम पड़ा। इससे मैं समझता हूं कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार को पिछले साल ही उसके बारे में मालूम हो गया था और तब ही इन्होंने पर्यटन की सुविधाएं पिछले साल से छीन ली थीं। यदि नहीं तो इसका और क्या कारण था इन सुविधाओं को केन्द्र सरकार और इस सरकार के द्वारा समाप्त करने का ?

अम्बेसडर गौहीन साहब यहां आए थे, अभी हमारे मुख्य मंत्री जी से मिल गए। क्या उन्होंने उनसे कोई बात उठाई इस सम्बन्ध में, कुछ बात कही ? मुख्य मंत्री को मालूम था तो उन्होंने कुछ कहा या नहीं ? जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनमें हमें शंका हो रही है और जैसा लोग कह रहे हैं, यदि यह बात सही है और आंशिक रूप से भी सही है तो गंगा नदी तो अपने पूरे प्रदेश में ही नहीं, बिहार और बंगाल से भी बह रही है। उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार और बंगाल बहती जायगी, तो इन सभी प्रदेशों के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायगा। यह नहीं कि यह केवल कैंसर पैदा करेगा, खेतों में भी कैंसर पैदा करेगा। खेतों में जो गेहूं और धान आदि की पैदावार होगी, उसमें रोग पैदा होगा। तो सरकार के ज्ञाताओं को यह ज्ञात था एक साल से भी, तो फाइल निकालकर बताया जाए कि इनकी अनुसंधानशाला ने इसके बारे में क्या बताया है ? और इस पर पहले एम्बेसी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया ? और यदि पहले किया गया, तो उनका क्या जवाब आया ? और यदि नहीं किया गया, तो अब क्यों किया गया। यह इतना महत्वपूर्ण है, इसे आपने नियम 51 में स्वीकार किया है, यह मुझे शिरोधार्य है और प्रश्नों के समय में प्रश्न करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रुटीन ढंग से लेकर जवाब न दे। पूरा सोच समझकर इसका जवाब दे। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं नियम की आपत्ति उठाना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियम 56 में ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही थी, उसको आपने अग्राह्य कर दिया। लेकिन आपने कह दिया नियम 51 में इसका वक्तव्य दिलाने के लिए और उसके बाद इस पर चर्चा चल रही है, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया नियमावली अपने सदन की है, उसके किस नियम के तहत यह चर्चा इस समय हो रही है। क्या नियम में यह प्राविधान है कि नियम 56 को नियम 51 में कन्वर्ट कर दें ? और आप नियम 51 में एक ही प्रश्न ले सकते हैं, तो साढ़े चार बजे आपको निर्णय लेना है और आपने इसी समय ले लिया आज दो-दो महत्व के अनुदान आने हैं, अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन को नियमावली के अनुकूल चलावेंगे या भाषण देने की स्वतंत्रता सबको दे देंगे ? मैं यह जरुर चाहता हूं कि सबको ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दिया जाए। इसमें कितना समय चलेगा, यह आप देखें। नियम 56 को नियम 51 में साढ़े चार बजे के पूर्व आप तब्दील कर सकते हैं और साढ़े चार बजे, जिस प्रश्न को आपने ग्राह्य कर लिया है, क्या उसे अग्राह्य करेंगे या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जनार्दन जी ने जो आपत्ति की है, मैं समझता हूं वह उन्होंने भ्रमवश की है।

मैंने यह कहा था कि इसी तरह की सूचना नियम 51 में भी आयी है । मैंने यह सूचना दी कि मैंने इसको नियम 51 में स्वीकार करने जा रहा हूं क्योंकि नियम 51 में कई इस प्रकार की सूचनाएं हैं । मैं नियम 56 की सूचना को 51 में तब्दील नहीं कर रहा हूं और वैसा करना नियम के अनुसार भी नहीं होगा । मैं श्री श्यामधर और श्री तोमर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि 56 में स्वीकृत भी कर लेता तो लोक हित का मतलब पूरा न होता । जब तक सरकार को विशेषज्ञों से, अनुसंधानशालाओं से पूरी जानकारी न हो, पूरी तरह से वक्तव्य न हों तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया तो मैंने भी पढ़ा । वैज्ञानिकों ने इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है । इसको मैं नियम 51 में स्वीकृत करने जा रहा हूं । यह आवश्यक नहीं कि कितने दिन में आये । सरकार को विशेषज्ञों और यदि आवश्यकता पड़े तो केन्द्र से भी जानकारी लेनी पड़ेगी । इसलिये इसको मैं अग्राह्य करार देता हूं ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष —

कार्य मंत्रणा समिति ने आज के लिये माननीय खाद्य मंत्री और वन मंत्री दोनों के अनुदान लिया जाना स्वीकृत किया था और 5 बजे तक का समय था । उसके बाद अन्य कार्य भी हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि दोनों को आज लेना चाहते हैं ? अगर दोनों को लेना चाहते हैं तो एक एक घंटे का समय देना होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला बाराणसी)—

धन्यवाद, आपने ही इसको उठा दिया । आज विशेष दिन है जो 3 बजे से शुरू हो रहा है । साधारणतय: एक या डेढ़ बजे शुरू हो जाता है साढ़े तीन घंटे हमको मिल जाते हैं । जब तीन बजे शुरू हो रहा है तो साढ़े छ: बज जायेंगे, अगर दोनों को लेते हैं । इसलिये मैं कहूंगा कि आज केवल खाद्य का अनुदान ही रखा जाय, दूसरे वन अनुदान को फिर दूसरे दिन ले लिया जाय ।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं कि इसको पूरा न किया जा सकता हो । जो शिड्यूल्ड प्रोग्राम है जिसमें खाद्य और वन दोनों का है, दोनों को चलने दिया जाय और आवश्यकता पड़े, तो समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

5 बजे के बाद कराधान विधेयक भी है । इसको बाद में कर लिया जाय । सदन का समय साढ़े छः बजे तक हो सकता है और दोनों अनुदान को पास कर लिया जाय ।

श्री राम प्रकाश—(उद्योग मंत्री)

आप जो सुझाव दे रहे हैं वह ठीक प्रतीत होता है । अनुदान आज हो जायं और कराधान विधेयक किसी दूसरे दिन ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव रख दीजिये ।

श्री राम प्रकाश—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष—

सदन की यदि राय हो तो कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक जो आज पांच बजे के बाद लिया जाना है, उसको स्थगित किया जाय ।

(सदन की स्वीकृति से इस पर विचार स्थगित किया गया ।)

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध, अनुदान संख्या 52—खाद्य तथा अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

खाद्य पर 5-00 बजे तक विवाद चलेगा और वन पर 5-00 बजे से 6-30 बजे तक

खाद्य मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,51,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,80,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,97,50,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 3 बज कर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं सबसे पहले लेखानुदान 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के कार्यों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा । मान्यवर, ग्राम्योत्थान की बात वर्षों से सुनी जा रही है, लेकिन ग्राम्योत्थान के लिये जिस उपयुक्त तकनीकी की आवश्यकता है, उसका बहुत बड़ा अभाव है । मान्यवर, यह विभाग इस तकनीक की खोज में, इस तलाश में लगा है कि जिससे गांवों का उत्थान किया जा सके । अब भी गांवों के मकान उन लोगों के उपयुक्त नहीं बन पाये । गांवों के जीवन में जो औद्योगिक परिवर्तन आना चाहिये, वह सम्भव नहीं हो पाया । जहां जापान में धान की भूसी से तेल निकाल रहे हैं, वहां हमारे यहां किसान उस धान की भूसी को जला देते हैं । मूंगफली के छिलके से जीवनोपयोगी सामान तैयार किया जा सकता है और हम उसे इंधन के काम में लगाते हैं । आज भी उनकी वह बैलगाड़ी जो उनकी बहुत सहायक है, उसी तरह से बोझिल है और उसमें बैल मरते रहते हैं । आज भी जो उनके खेतों के औजार

हैं, न स्वास्थ्य के लिये उपयोगी हैं और न ठीक से काम देते हैं । मान्यवर, इस विभाग के द्वारा हम इस प्रयत्न में हैं कि उपयुक्त तकनीकी निकाली जाय जिससे कि सही माने में ग्राम्य जीवन में उत्थान हो सके जिसके बारे में कि हम वर्षों से कहते, सुनते और कल्पना करते चले आये हैं। उन चीजों को कार्यरूप में किया जा सके, इसके लिये इस विभाग की बड़ी महत्ता है ।

मान्यवर, अभी 29/30 दिसम्बर को इसी उद्देश्य से एक अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था । देश के माने-जाने विशेषज्ञ और तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग उसमें आये और उस सम्मेलन में कई व्यावहारिक विषय सामने आये । मैं थोड़े शब्दों में ही निवेदन करूंगा । छन करके जो विचार, विचार विमर्श के माध्यम से सामने आये, वे ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में इन विषयों के बारे में हैं कि मकान किस प्रकार बनें । ग्रामीण उद्योग धंधे किस प्रकार के हों । कृषि औजार कैसे हों । और साथ ही साथ खेती में लगने वाले औजार किस तरह से बनाये जाये । इन तीनों बातों को अखिल भारतीय गोष्ठी ने स्वीकार किया है । मैं उस समिति का स्वागत करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि जो उन्होंने तय किया इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर वर्षों से चलती हुई चर्चा को साकार रूप देना चाहता हूं । वह कौन सी तकनीक होगी कि थोड़े पैसे में गांवों में उपयुक्त मकान तैयार हो सके । उसका नमूना हम इसी वित्तीय वर्ष में तैयार कर खड़ा कर दूंगा । बैलगाड़ी की चर्चा की जाती है कि जो आजकल है वह अनुपयुक्त है। लेकिन वह गांव के साधन का सहारा है । इस समय जो बैलगाड़ी का रूप है उसमें बैल दबता है । इसलिये हम चाहते हैं कि बैलगाड़ी हल्की हो, बैल दबे नहीं । भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि के अनुसार अलग-अलग प्रकार की बैलगाड़ी हो । इसी वित्तीय वर्ष में प्रतियोगिता होने वाली है और जो नमूना स्वीकार होगा उसे पारितोषिक दिया जायेगा और इस बात को लोगों के सामने रखा जायेगा कि उपयुक्त तकनीकी आधार पर जिससे ग्राम में अधिक उपयोगी मकान खड़े किये जा सकें, हिन्दुस्तान में 42 अनुसंधान शालायें चल रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या शून्य है ।

मैं चाहता हूं कि यहां इस प्रकार की क्लिनिक तैयार करें जिसके द्वारा हिन्दुस्तान के अन्दर जो अनुसंधान शालायें हैं उनमें जो खोज हो उनका उपयोग किया जा सके और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की हम पूर्ति कर सकें । इसके लिये एक क्लिनिक यहां पोलीटेक्निक प्रकार की लखनऊ में हम खोलने जा रहे हैं । साथ ही ऐसे और भी काम हैं जिन पर हम विचार करेंगे और खोज निकालेंगे और जो हमारा पोलीटेक्निक विभाग है उसके माध्यम से उसको व्यवहारिक शक्ल दी जायेगी। इनको हम कार्य रूप में परिणित करने के लिये कोशिश करेंगे और इसी वित्तीय वर्ष में कुछ चीजें सामने आ जावेंगी। इसी तरह से बहुत से काम हैं जो शासन के विचाराधीन हैं जिससे ग्रामीण जीवन का उत्थान किया जाये ।

अब मैं मान्यवर, खाद्य विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । खाद्य विभाग में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम 8-9 महीनों में करते आए हैं और उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी हम गेहूं की खरीद करने जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में कुछ शिकायतें पिछले वर्षों में रही हैं लेकिन वह शिकायतें हम दूर करने जा रहे हैं। गेहूं के 4 ग्रेड होते थे और उनमें अन्तर बहुत कम होता था जिसके कारण निर्णय विवादास्पद रहा करता था कि यह किस ग्रेड का गेहूं है और किसानों को परेशानी हुआ करती थी । इस बार गेहूं के दो ग्रेड होंगे जिससे मूल्य के निर्धारण में कठिनाई नहीं होगी । 2,017 केन्द्र गेहूं खरीद के लिए खोले गए हैं और अगर इनकी और आवश्यकता होगी तो और भी ज्यादा केन्द्र खोल दिए जायेंगे जिससे किसानों को लम्बी दूरी तय न करना पड़े। साथ ही किसान जिस दिन आएगा उसी दिन उसका गल्ला तुल जाना चाहिए, भुगतान हो जाना चाहिए। इसके लिए जितनी आवश्यक व्यवस्था और प्रबन्ध था, वह लागू किया गया है।

[श्री हरिश्चन्द्र]

एक और निवेदन करना है यहां पर खाद्य आयुक्त कार्यालय है, वह प्रातः 8 से 10 बजे तक इस काम के लिए खुला रहेगा, उसके लिए टेलीफोन की व्यवस्था कर दी गई है, सारे उत्तर प्रदेश में शाया करने जा रहे हैं। गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो हमारे खाद्य आयुक्त कार्यालय में 8 और 10 बजे के बीच, टेलीफोन से, मिल कर या चिट्ठी द्वारा शिकायत की जा सकती है और इसके माध्यम से जो कार्यालय खुला है, विचार करके, दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

खरीददारी के अलावा उनके रखने का सवाल है। इस सम्बन्ध में पिछली बार सदन में कहा गया था कि आने वाली बरसात के पहले भंडारण की स्थिति को ठीक कर दिया जायगा। इसमें प्रगति हुई है। जहां पर खाद्य निगम और सहकारिता विभाग के गोदाम बनते जा रहे हैं वहां पर खाद्य विभाग के जितने गोदाम पुराने थे उनकी मरम्मत की व्यवस्था कराई है और नए गोदाम भी बनाए जा रहे हैं।

जन वितरण प्रणाली की बड़ी प्रशंसा सुनते थे। लेकिन साथ ही साथ जब वर्षों बीत गए तो वह व्यवस्था घिनौनी लगने लगी। जन वितरण व्यवस्था जो गरीब जनता के लिए बड़ी उपयोगी है, इसमें यह जो कुंठा आ गई है, इसमें पिछले नौ महीनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया ह। यह व्यवस्था केवल शहरों तक सीमित थी, 10 करोड़ की आबादी में केवल डेढ़ करोड़ के लिए व्यवस्था थी । साढ़े आठ करोड़ जो गांवों का जीवन है वहां पर उसको विस्तृत करने का सवाल था। इसको इस सरकार ने विस्तृत किया है। हर ब्लाक में मिनीपूर्ति कार्यालय खोल कर एक इन्सपेक्टर, क्लर्क और चपरासी की व्यवस्था कर दी गई है जिससे गांवों में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं बना दिए जायं, देखें कि दूकानें ठीक से काम करती हैं या नहीं। राशन और चीनी ठीक से बटती है या नहीं। वह इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है। हर ब्लाक स्तर पर इस कार्यालय को खोल कर पूर्ति विभाग का एक्सटेंशन ग्रामीण क्षेत्र तक किया गया है। राशन कार्ड की बड़ी दुर्दशा थी। जिस गांव में चले जायं पूछें, तो पता चलता था कि कुछ लोगों के कार्ड बने थे। कहते थे कि 1973–74 में एक कार्ड बना था। खो गया, जल गया, कोई नेता उठा ले गया। इस सरकार ने निर्णय किया कि हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जाय । 1 करोड़ 23 लाख नए राशन कार्ड अभी तक जिलों में जा चुके हैं। हर ब्लाक की जिम्मेदारी कर दी गई है कि हर परिवार का कार्ड बना दिया जाय। शहर में व्यक्ति परिवार की इकाई होता है । इसलिए गांवों में भी इकाई व्यक्ति बना दिया गया ह और यूनिट के अनुसार कार्ड बने हैं।

एक और निवेदन है। शहर में जो पूर्ति कार्यालय बने हैं, पता नहीं सीमेन्ट के बारे में कहां बात करें, चीनी के विषय में कहां चर्चा करें, भुगतान कहां होगा कुछ समझ में नहीं आता था । इस लिए 15 जिलों में पूर्ति कार्यालयों में विभिन्न चीजों के लिए काउन्टर खोल दिए गए हैं। जो जिले शेष हैं आगे के वर्षों में वहां भी काउन्टर खोले जायेंगे, जिससे आने वाली जनता समझ पाए कि आवश्यकताओं के लिए किस से बात करनी है।

खाद्य समिति का ज़िला स्तर पर पुनर्गठन किया गया है। तहसील स्तर पर खाद्य समितियां बनाई गई हैं जिनमें सरकारी और गैर सरकारी लोग भी हैं। माननीय विधायकगण और संसद सदस्यों से नाम मांगे गए थे ताकि उनका चुनाव हो सके। यह इसी उद्देश्य से किया गया है कि गांवों में, शहरों में वितरण व्यवस्था को प्रभावी किया जा सके और नियन्त्रण में लाया जा सके।

मान्यवर, इसके साथ दूसरा जो विषय है चीनी के सम्बन्ध में इसी सदन में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई कि शहर में तो मिलती है लेकिन गांवों में कागज पर देकर सन्तोष कर लिया

जाता है । मैं बड़े विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह बात उनकी जानकारी में होगी कि गांवों में चीनी की मात्रा बढ़ा भी दी गई है। पता नहीं लग पाता था कि पूरी की पूरी चीनी कहां चली जाती थी। अब उसमें परिवर्तन आया है, अगर कोई कमी रह गई है तो मैंने माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है कि उस कमी को दूर करने के लिए मैं उनका सहयोग चाहता हूं। हमें चीनी 28 लाख टन मिला करती थी, अब वह बढ़ कर 42 लाख टन हो गई है। तो इस 14 लाख टन चीनी को हमने गांवों को दिया है जहां पर 30 वर्षों से इसका अभाव था। पहले यह व्यवस्था थी कि एक परिवार चाहे उसमें 4 सदस्य हों या 24 कागज पर उसको 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी। अब उसमें परिवर्तन हो गया है । 5 या इससे कम सदस्यों वाले परिवार को 1 किलो, 9 यूनिट तक 2 किलोग्राम और 10 या 10 से ऊपर परिवार के यूनिटों को 3 किलोग्राम चीनी मिलेगी।

शहरों में गेहूं और चावल भी दिया जाता था क्योंकि ये अन्नोत्पादक नहीं थे लेकिन हमने देखा कि गांवों में भी बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो इन्हें पैदा नहीं कर पाते हैं। तो वहां भी गेहूं और चावल दिए जाने चाहिए थे। गांवों की दुकानों को भी अब चावल और चीनी उठाना होगा और जो गरीब जनता है उसका उनमें वितरण करना होगा। लेकिन इसमें एक ही परिवर्तन किया गया है कि चूंकि उन्हें गेहूं और चावल के ले जाने में कोई ढुलाई नहीं मिलती थी। अब हमने ऐसा किया है कि 8 किलोमीटर पर उन्हें 75 पैसे मिलेंगे और उससे अधिक दूरी पर ले जाना होगा तो वहां के जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि जिस रेट पर वह निर्णय करें वैसे भुगतान कर दिया जायगा।

श्रीमन्, सीमेन्ट, कोयले और मोटे कपड़े के सम्बन्ध में हमारी जो कठिनाई है उसको भी सदन के सामने रखना चाहता हूं । ये वस्तुएं हमें केन्द्र से मिलती हैं । जब से मैं आया हूं मैंने इस बात की चेष्टा की कि इसमें सुधार हो। बहुत परिवर्तन हुआ । चीनी के मोर्चे पर तो सफलता प्राप्त हो गई है।....

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षिप्त में कहें क्योंकि फिर आपको जवाब देना है ।

श्री हरिश्चन्द्र—

श्रीमन्, 9 लाख टन सीमेंट की हर त्रय मास की हमारी आवश्यकता है। अभी हमें 4 1/2 लाख टन त्रय मास मिलता है। इस अभाव के रहते हुए जितनी हमारी गांवों की आवश्यकता है, उसको हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं । सदन को जानकर यह खुशी होगी कि हमने हर विकास खंड में 2 दुकानें खोलने की बात कही थी लेकिन जब मैंने देखा कि डीलर्स वहां पर दुकानें नहीं खोल रहे हैं तो जो दुकानें शहरों में कन्सेन्ट्रेटेड हैं उनसे कहा जाय कि वे अपने एजेन्ट को भेज कर या स्वयं जाकर किसी ब्लाक में दुकाने खोलें। दिक्कत यह थी कि कम्पनीज अपने डीलर्स बनाती हैं । हमने इस बारे में केन्द्र को लिखा और अगले महीने से यह अधिकार मिल गया है कि जिलाधिकारी लाइसेंसिंग अथौरिटी होगी। अब यह आदेश हो गये हैं कि जो भी कम्पनी डीलर बनायेगी, उसकी लाइसेंसिंग अथौरिटी जिलाधिकारी होंगे। मुझे आशा है इसमें मुझे सहायता प्राप्त होगी।

सीमेंट, कोयला और कपड़े के बारे में मेरे से लेकर माननीय मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच में पत्र-व्यवहार हो रहा है कि इन वस्तुओं का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हो। उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों को भी पत्र लिखे हैं और कुछ विधायकों ने तो यहां तक कहा कि हमें क्यों छोड़ दिया है, हमें भी लेकर चलिये न और दिल्ली में हम बैठेंगे। जनसंख्या के आधार पर जिस तरह हमें चीनी मिल गयी है, उसी तरह सीमेंट, कोयला और मोटे कपड़े का आवंटन होना चाहिये। मैं उनके सुझाव का स्वागत

[श्री हरिश्चन्द्र]

करता हूं और मानता हूं। मैं पांच मिनट और लेना चाहूंगा। यह रेंट कंट्रोल का मामला भी एक परेशानी का मामला है। मैं अभी कुछ कर तो नहीं पाया हूं, लेकिन करने के रास्ते पर चल रहा हूं। 4—4, 5—5 हजार केसेज एक जगह पर पड़े हैं। साढ़े 4 हजार केसेज कानपुर में पड़े हैं. कोई निस्तारण नहीं। मकानों की जो दुर्दशा है वह सामने है। इस संबंध में एक नोट तैयार किया गया है, वह मंत्रि परिषद् के सामने विचाराधीन है। मैं चाहता हूं कि लिटीगेशन कम हो जाय और उसी के साथ-साथ आवास की सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो जाय। कुछ परिवर्तन रेंट कंट्रोल के संबंध में विचाराधीन है।

अब मैं निर्बल वर्ग के क्षेत्र पर आना चाहता हूं। अभी तक कुल 53 दुकानें, जनता शाप चल रही थीं, अब उनकी संख्या 80 हो गयी है तथा 70 और भी खुलने जा रही हैं। ये 70 दुकानें जो खुलने जा रही हैं, ये पिछड़े इलाके में खुलने जा रही हैं। इस दूकान के द्वारा सस्ते दामों पर उन लोगों को सामान मिल सकेगा। मेडिकल स्टोर द्वारा सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। जनता शाप के द्वारा लोगों को दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल जनता शाप निगम के द्वारा खुलने जा रही हैं। जो हमारा स्टाफ काम करता है, उन सब कर्मचारियों के लिये मैंने एक आदेश दिया है इन्सपेक्टर के लिये कि डेली डायरी मेन्टेन करेंगे कि जिससे यह पता चल पाये कि वह कहां-कहां जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे अधिकारी जो हैं, वे कहां—कहां जाते हैं, इस संबंध में भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसमें जो आवश्यक निर्णय और परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं सदन से इतना और कहना चाहूंगा कि यह विभाग एक-एक व्यक्ति की समस्याओं से संबंध रखता है। इसीलिये मैंने इस विभाग के द्वारा हर व्यक्ति की समस्याओं को जानने के लिये खोल रखा है। इस 9 महीने में जितना काम होना चाहिये था, उतना काम हुआ है। मैं समय का ध्यान रखते हुए इतना विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो दो पुस्तिका मैंने छपा कर दे दिया था, उसमें सब कुछ लिखकर दे दिया है। माननीय सदस्य दिसम्बर तक का पहले में, जनवरी, फरवरी, मार्च, तक की जानकारी दूसरे में पढ़ लें। उसके पढ़ने के बाद कोई शंका उन्हें नहीं रहेगी। मैं समय का ध्यान रखते हुए माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि इस अनुदान को सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। मैंने तो समझा कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे। इसीलिये मैंने पूछा था कि आप पहले मुझे बताएं कि क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप बैठें।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के संपूर्ण अनुदान के अधीन प्रस्ताव करता हूं कि मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--खाद्य की संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, खाद्य विभाग के कार्य-कलापों के विवरण तथा माननीय मंत्री जी के सुन्दर भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। मंत्री जी के भाषण का स्वरूप टेक्निकल था. वैसे सही है। इस पूरे दौर में हमारे देश और प्रदेश की खाद्य समस्या संकट-ग्रस्त रही है और हम पहले भी, आज भी खाद्य के मामले में विदेशों पर निर्भर करते रहे हैं। हम लोगों के लिये आज एक शर्मनाक बात है। शासक वर्गों ने पहले भी और आज भी इस समस्या को वास्तव में बिल्कुल टेक्निकल समस्या के रूप में देखा और उसी तरीके से इसे पेश किया है। मालूम ऐसा होता था जैसे हमारे देश की खाद्य समस्या खाद, उन्नत बीज, औजार और कीट नाशक दवाइयों जैसे मंत्री जी ने कुछ चीजों को हम लोगों के सामने पेश किया है उससे हल हो जायगी। लेकिन श्रीमन्, पूरे इस दौर में देखा यह गया कि यह समस्या विकट रूप ग्रहण कर चुकी है और निरा टेक्निकल स्वरूप इस समस्या का नहीं है, बल्कि इस समस्या के निदान के पीछे दो खास बातें हैं। एक तो यह कि पूंजीवादी बाजार के दोहरे शोषण से किसान उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाय और दूसरी बात यह कि उग्र भूमि सुधारो की तामील हो।

श्रीमन्, इस कार्य विवरण में मूल्यों के सूचकांक का तस्किरा है। आंकड़े जो भी पेश किये जायं, मगर वास्तविकता यह है कि जब भी किसी फसल की आमद होती है तो भाव कुछ गिर जाते हैं। अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि कुछ चीजों के भाव भले ही कुछ कम हुए हों मगर खाद्यान्नों के मूल्य या और चीजों के मूल्य बराबर बढ़े हैं। कहां यह जाता है और जनता पार्टी के नेता बराबर यह कहते हैं कि पिछली बार जब दाम बढ़े थे तो कृषि की पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि उस समय कांग्रेसी शासन था, पैदावार कम हुई, इसलिये दाम चढ़े।

लेकिन मान्यवर, इस वर्ष गुजरात में मूंगफली की रेकार्ड पैदावार हुई है, उसके बाद भी उसके भाव काफी तेज हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि फसलों के अच्छा होने या खराब होने का भावों पर उतना असर नहीं पड़ता जितना की सरकारी नीति का। चीजों के दाम इसलिये बढ़े चूंकि हमारी सरकार ने एकाधिकारियों को खुली छूट दे रखी है। इस लिये वे बाजार को अपने शिकन्जे में दबाये हुए हैं। किसान उन एकाधिकारियों के ग्रिप में फंसे हुए हैं।

जब किसान के घर में फसल पैदा होती है तो यह एकाधिकारी लोग सस्ते मूल्य पर उनका माल खरीद कर जखीरा करते हैं और फिर उसे ऊंचे भाव पर बेचते हैं। यह इसलिये होता है क्योंकि सरकार ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। खाद्य विभाग के कार्यकलापों के विवरण में कहा गया है कि पहले प्रदेश के बाहर गेहूं के संचालन पर प्रतिबन्ध था अब उसे हटा दिया गया है। अब इससे यह हो गया है कि बड़े-बड़े इजारेदार गेहूं को खरीदकर कहीं भी भेज सकेंगे। पहले इस पर जब प्रतिबन्ध था तो वे एक सीमा से बाहर नहीं ले जा पाते थे इसलिये अधिक खरीद नहीं कर पाते थे। अब वे जितना चाहेंगे खरीद

[श्री श्याम नारायण तिवारी]

करेंगे। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों एवं इजारेदारों के हाथ में फंसी हुई है। उसकी आर्थिक नीति उन्हीं के हित के लिये है।

मान्यवर, इस समस्या का हल यह नहीं है कि आप इसे केवल एक टैक्नीकल रूप से ही देखें। सरकार की जन विरोधी नीति को जनता कभी बरदाश्त नहीं करेगी। हमारे देश की यह परम्परा रही है कि जन विरोधी नीति के खिलाफ हमेशा जनता ने संघर्ष किया है।

उग्र भूमि सुधार की बात कही गयी है। कांग्रेसी राज्य के जमाने में कुछ लोगों की कुछ जमीन सिमटी और छोटे-छोटे काश्तकार जमीन से बेदखल हुए। जनता पार्टी के आर्थिक कार्यक्रमों का नतीजा यह हुआ कि पूंजीवाद को आगे बढ़ावा मिला। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने अखबारों में देखा होगा कि गुजरात की सरकार ने हदबन्दी की सीमा को बढ़ाने की बात की है। और जनता पार्टी के आर्थिक नीति के बयान में आप देखेंगे कि सीमा के स्तरीकरण की बात की गयी। यानी ढाई एकड़ से कम जमीन किसी किसान परिवार के पास नही रहेगी। इस तरह से 3 करोड़ 50 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। तो, या तो उनको इतनी जमीन दी जायगी कि इस सीमा तक आ जायं।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अनुदान पर ही विचार प्रकट करना है। लेकिन माननीय सदस्य बाहर की बात कर रहे हैं। क्या यह उचित है कि जमीन वितरण का प्रश्न खाद्य समस्या के संबंध में कहा जाय?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, प्रबन्ध करूंगा।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मैं अनुदान के संबंध में ही बोल रहा हूं। धान की भूसी और मूंगफली के छिलके का खाद्य से संबंध है तो जमीन का होगा ही वह इसी से संबंधित है। तो मेरा कहना है कि या तो उन किसानों को जो आबादी में आधे के बराबर हैं उनको जमीन मिलेगी या उनकी जमीन उनके हाथ से निकल जायगी। श्रीमन्, अगर जमीन मिलनी है तो गुजरात में सीलिंग की सीमा बढ़ी है, क्यों?

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा विषय तक सीमित रखें।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मैंने पहले ही कह दिया था कि टेक्निकल सवाल के रुप में इस समस्या को देखा गया है इसीलिये मैंने जिक्र किया मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो श्रीमन्, इस तरह से न मालूम कितने लोग बेकार हो जायंगे और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी गिरेगी। नतीजा यह होगा कि सरकार की तकनीक फेल हो जायगी देश का आर्थिक पुनर्निर्माण ठप हो जायगा। यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और अगर इस तरह से कोई हरित क्रांति आयेगी तो वह सामाजिक, आर्थिक रुप से बाधक बनेगी और संकट पैदा होगा। विस्फोटक हालत होगी और विस्फोटक हालत चल भी रही है। मैं इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं स्वीडिश अर्थ शास्त्री गुन्नार मैंडेल ने कहा है कि हमारे यहां उग्र भूमि सुधार की न तो इच्छा

है और न प्रशासकीय साधन उपलब्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें जोरों से इस खाद्य के मसले को हल करना है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का केन्द्रीकरण तोड़ा जाय और जोतने वालों को जमीन दी जाय। लेकिन यह नहीं करेंगे, यह न कांग्रेसी हुकूमत कर पायी है और न यह हुकूमत करने वाली है। तो गुजरात में सीलिंग की सीमा बढ़ रही है। यह काम सरकार नहीं करेगी लेकिन किसान करेंगे, शहरों के और देहातों के मजदूर करेंगे और मध्यम वर्ग के लोग सरकार की मंशा को परास्त करेंगे और राष्ट्रीय जनवादी विकास को आगे बढायेंगे। श्रीमन्, इसके साथ–साथ मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें कहा गया है गांवों की जल वितरण की प्रणाली के संबंध में। जो खाद्य समितियां बनायीं गयीं हैं उसमें दल विशेष के लोगों की भर्ती हुई है। और इस तरह से इन समितियों के जनवादी स्वरूप की हत्या की गयी है। यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाय तो आज भी देखा जा सकता है कि सारी दुकानें कस्बों में बैठे हुए सेठों के द्वारा संचालित होती हैं। उन के एजेन्टों के नाम से दुकानें चलती हैं वह दुकानों का संचालन कस्बे में बैठकर करते हैं। फरेन्दा तहसील जिला गोरखपुर में बड़े बड़े सेठ सारी दुकानों को चलाते हैं। कई दुकानों के विभूतिराम मालिक हैं।

मान्यवर, अन्त में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रेपसीड आयल घोटाले से इस कार्य वितरण और भाषण तथा इनकी नीति का पर्दाफाश हो चुका है। इस तरह से किस प्रकार इन सुन्दर बातों से हमारे प्रदेश और देश की जनता का भला होगा?

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)––

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ है। कई छात्र घायल हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठें। यदि व्यवस्था का प्रश्न है तो नियमों के अन्तर्गत दें। आप बैठ जायं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत मागों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बात सब को विदित है कि आज देश और प्रदेश में जो अन्न हमारे सामने उपलब्ध है यदि उसका ठीक तरह से वितरण हो जाय तो कोई खाद्य की समस्या नहीं है। गरीबी जरूर है और उसके कारण आदमी की भूख होते हुए वह खा नहीं सकता। इसलिये आज हमको इस पर बिचार करना है कि वितरण किस प्रकार ठीक किया जाय। यह स्पष्ट है कि जनता पार्टी के 9 महीनों के अन्दर जिस तरह वितरण प्रणाली को सशक्त और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है उसका नतीजा है कि आज धीरे–धीरे पर्याप्त सुधार हो रहा है। हमने इस प्रणाली को ग्रामों की ओर ले जाने की चेष्टा की और इसलिये ग्रामों में अब सामान मिलने लगा है। राशन कार्ड की कीमत को कम किया है।

जो खाद्य समितियां बनीं जिसके बारे में माननीय सदस्य अभी आलोचना कर रहे थे तो मेरा और सभी का अनुभव है कि उनके गठन का परिणाम यह हुआ है कि जो वितरण प्रणाली में 30 साल से भ्रष्टाचार था, जो गलत आदमियों को राशन की दुकान दी गयीं जिससे वह सामान उठाकर अपना फायदा उठाता था और उपभोक्ताओं को सामान नहीं मिलता था, उस पर अंकुश लगाने में खाद्य समितियां प्रभावी हो रही हैं। यदि भ्रष्टाचार की केवल चर्चा करते रहे कि गलत आदमियों को दुकानें मिल गयीं, जो शासकीय प्रभाव में थे वह 7–8 दुकानें अपने पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

ले रखा है, सामान बिकता नहीं है लेकिन प्राफिट उनके पास पहुंच जाता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, कि मेरा एक सुझाव है कि जितना उसमें लाभ दुकानदारों को मिलता है वह इतना कम है कि जानबूझकर शायद बेईमानी करनी पड़ती है । यदि ईमानदार आदमी कोई दुकान लेने आता है तो मैं समझता हूं कि वह ईमानदारी से काम करना चाहता है तो दुकान क्यों ले रहा है ? इतना कम प्राफिट है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उसकी लाभ की मात्रा बढ़ायी जाय । दूसरा सुझाव यह है जो शायद बहुत से लोगों में मतभेद रखती हो कि राशन की दुकाने ऐसे आदमियों को दी जाय जो गांवों में पहले से ही दुकान कर रहे हों । वे कम से कम दिन में दुकान खोल कर बैठे रहते हैं । प्राफिट की कोई व्यवस्था न की जाय । उचित मूल्य के आधार पर राशन बेचा जाय । यदि गलती करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस हैं उनको रद्द कर दिया जाय इस प्रकार के नियंत्रण से शायद गांवों में राशन की व्यवस्था हो सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी एक प्रश्न पर यहां चर्चा चल रही थी कि गेंहूं का मूल्य इस सरकार ने 112 रुपये पचास पैसे निर्धारित किया । पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा जरूर है । जैसी अच्छी मात्रा में फसल हमारे सामने आ रही है यह बात सही है कि मैदानों में आते–आते, बाजारों में आते-आते गेंहूं की कीमत नीचे गिरने लगेगी । यह कीमत बिल्कुल ऐसी रखी गयी है जिससे कि किसानों का हित नहीं होगा । उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस बात को समझती है कि कीमत बहुत कम है । 125 रुपये का सुझाव दिया था लेकिन घोषणा 112 रुपये की हुई । इससे काश्तकारों का हित नहीं होगा । आवश्यकता इस बात की है कि काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुये यह कीमत बढ़ाई जाय । सरकार धन्यवाद की पात्र है कि 125 रुपये से मूल्य बढ़ाया नहीं इसलिये क्योंकि सरकार चाहती है कि उपभोक्ता को सही माने में सस्ते मूल्य पर अनाज मिल जाय लेकिन साथ ही साथ काश्तकारों को भी प्रोत्साहन मिले । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि काश्तकारों के हित में, उत्पादकों के हित में उनको अधिकतम गल्ला पैदा करने के लिये, प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है कि 112.50 से इस को आगे बढ़ाया जाय ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण . .

श्री अधिष्ठाता––

आप का समय समाप्त ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

एक मिनट मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर में 13 दिसम्बर को वक्तव्य दिया था और इस बात को स्वीकार किया था कि लखनऊ के तालकटोरा गोदाम में सात सौ क्विन्टल गेंहूं, सात सौ क्विन्टल चावल रखा है जो खाने के काबिल नहीं है, नाट फिट फार कनजम्पशन । ठीक रख रखाव न होने के कारण अन्न की बरबादी होती है । सन् 72–75 से यह गेंहूं रखा है जिस का मूल्य सात लाख रुपये है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह गेंहूं इस तरीके से राशन के दुकान में न जा सका ।

एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । वाराणसी मंडल में 73–74, 74–75 में ज्वार, बाजरा 4055 टन करीब साढे उन्नतालीस लाख रुपये का गोदाम में रखा गया लेकिन इसकी निकासी नहीं की गयी, रख–रखाव नहीं किया गया तो यह सब बरबाद हो गया । उसमें घुन लग गया । माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रख–रखाव की व्यवस्था ठीक कर के उपभोक्ता के हित का संरक्षण करें ।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि नौ महीने में उन्होंने व्यवस्था को बहुत संभाला है। राशन कार्ड को गांवों तक पंहुचाया है और जब . . .

श्री देव बहादुर सिंह--

नौ महीने बहुत होते हैं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बोल रहे थे तो जन विरोधी और जनवाद के अतिरिक्त उनके पास कोई प्वाइन्ट नहीं मिले। हम लोगों ने जिसकी बात कही थी और अब भी कहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाय। समाजवाद की भी बात यही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, राशन कार्ड को गांवों तक पंहुचा कर, मजबूत बनाया है। इस बात की तो आप को तारीफ करनी चाहिये थी। इस बात के लिये मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं।

दो समस्यायें और हैं। किसान को पूरा मूल्य मिले और उपभोक्ता को ज्यादा दाम न देने पड़ें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर कमजोर होती है और सरकार के पास अन्न भंडार नहीं होता है तो जिस समय फसल आती है गेंहू की तो सस्ता हो जाता है लेकिन जनवरी में जब सरकार राशन में गेहूं देने में असमर्थ होती थी तो वह महंगा हो जाता था, भाव दूने हो जाते थे। अब सरकार ने घोषणा की है कि जितना गेहूं उसके पास आयेगा उसे वह खरीद लेगी। दूसरी ओर राशन की दूकान गांव तक पंहुचा देगी। जब सरकार के पास स्टाक होगा तो व्यापारी इस स्थिति में नहीं होगा कि वह दामों को घटा सके या बढ़ा सके।

एक परेशानी कोयले की है जिसके लिये केन्द्र से मदद लेनी चाहिये। कोयला अगर रेल से आता है तो सस्ता पड़ता है और अगर ट्रक से आता है तो मंहगा पड़ता है। लिहाजा हमारे प्रदेश के लिये जितने कोयले की आवश्यकता है वह रेल द्वारा ही उपलब्ध कराया जाय ताकि उपभोक्ता को वह कम दाम में मिल सके। सीमेंट की कमी को दूर करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। एक मामला रेपसीड आयल का है उस ओर भी सरकार का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। यह मामला मेरे नगर से सम्बन्धित है और उसमें कानूनी स्थिति इन्वाल्व है।

आगरा या पास पड़ोस के आदमी जानते हैं कि रेपसीड आयल को वह सरसों के तेल के नाम से खाते हैं, वह रेपसीड आयल के नाम से नहीं बेचा जाता है। कड़ुवे तेल की कीमतें कम हुई हैं इसलिये रेपसीड आयल की स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। फिर जो रेपसीड आयल की घटना घटी मंत्री जी को वह स्थिति स्पष्ट कर दूं और कोई लांछन भी मैं नहीं लगा रहा हूं कि शासन ने नरमी बरती है लेकिन लोगों के दिलों में शक व शुबहा यह है कि वहां के जो रीजनल फूड कमिश्नर हैं वह मुजफ्फरनगर की घटना से सम्बन्धित थे। वह उस नगर में भ्रष्टाचार के लिये काफी बदनाम हैं जिससे जनता को उनके बारे में इस कांड के बारे में पूरा शक व शुबहा है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया है।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। पहली बार ग्रामों में इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड के वितरण की व्यवस्था की गयी है जो पहले कभी नहीं की गयी थी। इससे हर प्रकार का सामान गावों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

में उचित मूल्य पर मिलेगा। चीनी गांव में दी गयी और उसका ब्लैक का दाम भी कम हुआ है। जो चीनी गांवों में ज्यादा दी गयी है वह उठ नहीं रही है। कंट्रोल रेट 2.30 रु0 है और काले बाजार में 3 रुपए है। ब्यापारी ब्लैक में जो चीनी खरीदा करता था उसे आज नहीं खरीद रहा है। मेरा सुझाव है कि ब्लाक तथा तहसील लेबिल पर जो चीनी नहीं उठ पा रही है उसे विवाहों तथा दूसरे उत्सवों में बढ़ा कर दें दी जाय। अभी तक केवल शादी में मिलती है। कथा या अन्य उत्सवों के लिये नहीं मिलती। मेरा सुझाव है कि हर प्रकार के उत्सव में चीनी का कोटा बढ़ा दिया जाय। माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने रेन्ट कंट्रोल के बारे में इशारा किया। आजकल यह देखने में आ रहा है कि पिछले दिनों जब मैं गोरखपुर के डी0एम0 से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश आ गये हैं कि जो जिले में मकान खाली हुए हैं उनको एम0एल0एज0 को एलाट कर दिया जाय। मान्यवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी पेशा नहीं है, वे मजबरी में रह रहे हैं, उन्हें यह मकान एलाट किये जायं। पुरानी सरकार ने एम0एल0ए0 को जो मकान एलाट किया था, वे अब एम0एल0ए0 नहीं भी हैं किन्तु अभी भी वे मकान उन्हीं के पास हैं। इसलिए यह सरकार यह गलती न करे। कोई मकान किसी एम0एल0ए0 को नहीं एलाट होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने खुले बाजार की व्यवस्था की है और अब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। केवल समझने का फर्क है।

जो किसान अपने सामान को बेचना चाहता था वह मजबूरी से किसी व्यापारी के हाथ बेच देता था उसे अपने सामान को दूसरी जगह पर ले जाने की इजाजत नहीं थी। किन्तु अब इस प्रदेश में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में एक प्रकार का नियम बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर में ले जा सकता है। इससे उसको अपने सामान का ज्यादा पैसा मिलने की गुंजायश है और इससे उसे फायदा होगा। जो हमारा समर्थन मूल्य है वह 112-1/2 रुपए है। अगर इससे कम दाम उसके गेहूं की लगाई जाती है तो वह अपने सामान को किसी फेयर प्राइस शाप में बेंच देगा और वहां पर उसको पूरा दाम मिल सकेगा। मेरे लायक दोस्त ने गुन्नार मिल्डन कोट किया है और कहा है कि शासन की इच्छा नहीं है कि वह जमींन व बंटवारा कर सके। उस समय जो कानून बना और जो जमीन सीलिंग में आयी। मेरेएक लायक दोस्त ने कहा कि साढ़े 18 एकड़ सीलिंग के लिए कर दी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यदि साढ़े 18 एकड़ से कम ली जाती है तो जो बढ़ोत्तरी हो रही है वह किसी कीमत में नहीं होगी। हम लोग देख रहे हैं जितनी चीनी की दूकानें दी जाती हैं वह पेशेवर लोगों को और राजनीतिक चमचों को दी जाती हैं। खाद्य समिति की मीटिंग में यह किया गया है कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को ही दूकानें दी जायं और यह हो रहा है।

एक सुझाव मैं नियंत्रित कपड़े के बारे में देना चाहता हूं। यह कपड़ा गांवों में बहुत कम जाता है। अतः इसके कोटे को बढ़ाया जाय। हालांकि इसका प्रयास किया जा रहा है किन्तु हर जिले में इतना कम कपड़ा जाता है कि वह मुनासिब तौर पर गरीबों को नहीं मिल पाता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

जो बोलने के लिये तैयार हैं, उनको समय नहीं दिया जाता।

श्री अधिष्ठाता--

आप से ज्यादा समय सदन में किसी को मिलता ही नहीं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

वह लड़कर मिलता है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग ने जो रिपोर्ट दी है वह तीन पन्नों की रिपोर्ट है और छपी है तो मुझे नहीं मिली। 12 बजे तक मुझे नहीं मिली। अगर इसी को आप प्रगति पुस्तिका कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्य विभाग के बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था और अभी भी मैं कहता हूं कि मंत्रालयों का ठीक तौर से बंटवारा नहीं हुआ है। इसी खाद्य विभाग को सहकारिता के साथ होना चाहिये। दोनों विभागों के मंत्री एक होने चाहिये। हालत यह है कि एक-एक चीनी का दुकानदार, एक-एक सीमेंट का दुकानदार, एक-एक गेहूं का दुकानदार किसी जिले को ले लीजिये, श्रीवास्तव जी के जिले को ले लीजिये, मेरे जिले को ले लीजिये, शाहीजी के जिले को ले लीजिये, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, भ्रष्टाचार करता है। कोई न कोई उसका माई बाप मिल जाता है। लेकिन सहकारिता समितियों की माई बाप यह सरकार है। इसलिए इनसे कम भ्रष्टाचार होगा।

अभी तो चीनी और गेहूं के बारे में कहा जा रहा है लेकिन मेरी जानकारी है चीनी गेहूं, सीमेंट कोयला किसी को ले लीजिए। सीमेंट को ले लीजिए। मंत्री जी ने बयान दिया कि सीमेंट देने में मेरा हाथ नहीं है। वह कंपनियां देती हैं। ऐसी बेबसी दिखाने से काम खत्म होने वाला नहीं है। (व्यवधान) अगर ठीक कर लिया है तो अच्छा है। मेरा सुझाव है कि आप फौरन प्राइवेट डीलरों से लेकर कोआपरेटिव को यह काम दे दीजिये। तब मैं समझूंगा कि आपको प्रसन्नता होगी। यह प्रसन्नता और अप्रसन्नता वाला पुराना मर्ज है। उसको आप छोड़िये। सीमेंट, गेहूं, चीनी आदि को लेकर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दीजिये। अगर इनमें भ्रष्टाचार होगा तो कुछ सीमित रहेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, तामिल नाडु में और जगहों में भी इसका प्रयोग हुआ है। पांच वर्ष तक उन्होंने किया। पहले साल भ्रष्टाचार था लेकिन पांच वर्ष में किसान संतुष्ट हुआ और सहकारिता आन्दोलन भी मजबूत हुआ।

एक बात और कहूंगा दालों के सम्बन्ध में और तिलहन के सम्बन्ध में। दालें अभी भी महंगी हैं। आपकी पुस्तिका में मैंने पढ़ा यह जो 'उत्तर प्रदेश के नये कीर्तिमान' दी गई है। इसको देखें तो कोई कीर्ति इसमें नहीं है। दालें अभी भी मिलती नहीं हैं, मिलती हैं तो काफी महंगी। इसके अलावा हमारी तरफ तो कोयला भी नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी में श्रीमन्, यह इफरात में मिलता था। पता नहीं उसको क्या हो गया कोयला कम हो गया या उसके लिए वैगन नहीं मिलते या दोनों गायब हो गये। ईंट भी अब कम मिलती है। आपकी लाल बत्ती हो गई है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा। एक जुर्म हर साल लगाया जाता है इस साल भी मैं लगा रहा हूं। श्रीमन्, मंत्री जी के आंखों तले जिलों में, तहसीलों में खाद्य समितियां बनी, लेकिन उस सम्बन्ध में वहां के विधायकों से अन्य दलों के विधायकों से विचार नहीं हुआ। हमसे पूछा नहीं गया। एक दल, मैं तो समझता हूं कि एक घटक की वह समितियां बना दी गई। मेरी कांस्टीट्युएंसी में बिल्कुल नहीं पूछा गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो खाद्य मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 30 वर्ष के पिछले शासन में जो गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था और अब गांवों की तरफ मंत्री जी ने ध्यान दिया है इसमें सबसे पहली देन है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शांत रहिए।

श्री बदन सिंह—

अब तक गांवों में एक परिवार में चाहे 50 आदमी रहते हों, एक किलो चीनी ही दी जाती थी, लेकिन अब वहां पर यूनिट के हिसाब से चीनी दी जाएगी। एक से 4 यूनिट तक एक किलो, 5 से 9 तक 2 किलो और 9 से ऊपर 3 किलो चीनी की व्यवस्था कर दी गई है। वह चीज बताती है कि इनका ध्यान ग्रामवासियों की तरफ है। चीनी व गल्ला की जो दूकानें दी गई हैं वे प्रति न्याय पंचायत 1—2 दुकानें दी गई हैं, जिससे लोगों को बड़ी बड़ी दूर लेने जाना पड़ता है, उससे उनका बड़ा समय बर्बाद होता है और दुकानों पर लम्बी लाइनें लगी रहती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि 2 हजार तक की आबादी पर ही एक दुकान रखी जाए और उससे अधिक की आबादी होने पर दुकान बढ़ाई जाएं। जिससे उनका समय बर्बाद न हो और आसानी से उनको चीनी और गल्ला मिल सके।

गेहूं खरीद की जो व्यवस्था है, यह कहा गया है कि किसानों का गल्ला उसी दिन तौला जाएगा और पैसा देने की भी व्यवस्था उसी दिन कर दी जायगी। इसमें मेरा सुझाव यह है कि खरीद केन्द्रों पर तादाद से अधिक चौड़े छेदों वाले चलने न रक्खे जायं क्योंकि उनमें से नन्हीं किस्म का गेहूं बहुत अंश में निकल जाता है और किसान से नन्हें निकले हुए गेहूं को बहुत कम मूल्य में खरीद लिया जाता है और बाद में उसमें ही मिला दिया जाता है। यह एक भ्रष्टाचार का साधन है अतः इन केन्द्रों पर मंत्री जी दोनों प्रकार के चलने की व्यवस्था करें। नन्हें गेहूं के लिए नन्हा चलना चाहिये और मोटे गेहूं के लिए मोटा चलना चाहिए।

ईंटों के बारे में गांव वालों को यह मालूम नहीं है कि उनके लिए ईंटों की भी व्यवस्था की गई है। अतः मंत्री जी यह भी करें कि इसकी सूचना भी ग्रामवासियों तक पहुंचा दें, ताकि वे इन सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें।

जो कार्डों की व्यवस्था की गई है और 15 पैसे उसके लिए रखा गया है, उस में यह देखा जाता है कि सेक्रेटरी लोग 1—1 कार्ड का 5—5 रुपया ले रहे हैं, जिसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह भी है कि इसके कर्मचारी और दुकानदार आपस में मिल जाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए बीमारी बन जाते हैं, अतः मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था कर दें कि दुकानदार और कर्मचारी मिलकर उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें, जिससे व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सके।

इसके साथ ही मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनके बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य मंत्री महोदय ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जब से खाद्य मंत्री महोदय ने अपना कार्यभार संभाला है, वास्तव में उन्होंने इस विभाग में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। देहाती क्षेत्र की समस्याओं की भी आपने जैसी घोषणा की है कि देहातों में ब्लाक पर खाद की व्यवस्था की है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह सारी व्यवस्था तहसील स्तर पर है और हाकिम परगना उसका संचालन करते हैं। पंचायत मंत्री और ग्रामसेवक राशन कार्ड बनाते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि पहले राशन कार्ड की कीमत 15 पैसा थी, लेकिन अब वह 35 पैसा है। इस में यह शिकायत है कि ग्राम सेवक 2 या 3 रुपये से कम लेकर राशन कार्ड बनाते ही नहीं। जब क्षेत्र में जाते हैं तो यह शिकायत सुनने को मिलती है। जब इंसपेक्टर से जानकारी करते हैं तो वह कहते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। मेरा सुझाव है कि यह जो तहसील हेडक्वार्टर पर आफिस है वह ब्लाक स्तर पर रखा जाय जिससे किसानों को सहूलियत होगी। शक्कर के बारे में यह कहना है कि शहरों में एक किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है, जब कि देहातों में ऐसा नहीं है। आपने घोषणा की थी कि शहर में जिस हिसाब से मिलती है वैसे ही देहाती क्षेत्रों में भी दी जायगी लेकिन वह हुआ नहीं।

मान्यवर, एक बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि देहात की समस्या को उद्योग-धन्धों से सुधारेंगे। मैं खाद्य मन्त्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चावल की कुटाई की मशीन शहरों में लगी हुई है और देहात में चोरी छिपे हुलर से चावल कूटा जाता है। किसान अपने ट्यूबवेल पर लगा लेते हैं और चावल कूटते हैं। लेकिन आपने इस पर पाबंदी लगा रक्खी है। कानपुर में एक संस्था है किसान कृषि उद्योग जिसने केन्द्र से मान्यता प्राप्त की है और वह 15 हजार में मशीन देते हैं जब कि 500 रुपये में हुलर मशीन आती है। इसलिए आप, जो लगाना चाहे उसको लाइसेन्स दें और जो चोरी-छिपे काम हो रहा है उसको बन्द करें।

इसी तरह से ईंटों की समस्या है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 50 भट्टे हैं, लेकिन जब किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर ईंट खरीदने जाता है तो भट्टे वाले नहीं देते। वह कहते हैं कि हमारे दाम तो पहुंचाई का है। हम ट्रक से पहुंचा देंगे। पहले 100 रु0 का भाव था लेकिन वह 125-130 में देते हैं। ईंट के मूल्य का भी निर्धारण होना चाहिए। सीमेन्ट के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। सीमेन्ट की एजेन्सी ब्लाक हेडक्वार्टर पर नहीं है। हमारी मांग थी कि ब्लाक स्तर पर यह खोली जायं। सरकार के आदेश हुए कि कहीं और एजेन्सी नहीं मिलेगी क्योंकि शहर के लोग वहां खोलने को तैयार नहीं हैं। आपने आदेश दिया है कि जिलाधीश महोदय सीमेन्ट के लाइसेंस देंगे।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

मैं आशा रखता हूं कि इस कार्य-प्रणाली से देहातों में उपयोग के लिये सीमेंट की व्यवस्था हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौहरी लाल त्रिवेदी]

आवास की व्यवस्था के संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। श्रीमन्, सिर्फ कानपुर में 6 हजार पेन्डिंग मामले पड़े हुये हैं। जब से जनता सरकार आयी है, 6–7 महीने बाद कोई भी रेंट कन्ट्रोलर नहीं है, कानपुर में। कई बार शासन को इसके बारे में लिखा, कई बार जिलाधीश से बातचीत की, लेकिन आज तक रेंट कन्ट्रोलर वहां नहीं पहुंचा। मेरा आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी से निवेदन है कि कानपुर ऐसे शहर में जहां मकानों की इतनी जटिल समस्या है, वहां अविलम्ब उसकी व्यवस्था कर दी जाय ताकि शासन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। इन शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री जी महोदय ने बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और अलंकृत भाषा में सदन के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इसके लिये। मान्यवर, किसानों की आज क्या हालत है? किसानों का नाम जनता पार्टी ने भी लिया और इसके पहले कांग्रेस शासन में भी उनका नाम लिया जाता रहा है। लेकिन किसान की हालत पर तरस न उस समय खाया गया और न आज जनता पार्टी के शासन में उनकी हालत पर तरस खाया जा रहा है। चुनाव के पहले, मान्यवर, जनता पार्टी किसानों के द्वारा पैदा किए हुए गेहूं की कीमत 150 रुपये क्विन्टल की मांग कर रही थी और बाद में 125 रुपये रह गया। आज गेहूं की कीमत 112.50 रह गयी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसान को जितनी चीजों की जरुरत है, उनकी कीमत पहले कर दें। अपनी जरुरतों की वजह से किसान मजबूर हो जाता है गेहूं आदि को कम कीमत पर बेचने के लिये। वितरण की व्यवस्था के बारे में मान्यवर, जगह जगह आज कोटेदारों की क्या स्थिति है? कांग्रेस शासन में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधि और विधायकों को खाने को मिलता था। जो विधायक और उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होते थे उनका हर कोटेदार से बंधा हुआ था। एक-एक विधायक एक-एक कोटेदार से 200–300–500 रुपये तक लेते थे। उस सिलसिले को कम तो किया गया लेकिन, मान्यवर, पूरे प्रदेश के पैमाने पर खत्म नहीं किया गया। जगह-जगह यह सिलसिला कायम है। चूंकि नेताओं के यहां उनको पनाह मिलती है, इसलिये कोटेदार जनहित की परवाह किये बिना अपने माल को ब्लैक में बेच लेना ज्यादा पसंद करते हैं और जनता की भूख बुझाना ज्यादा पसंद नहीं करते। भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो डी0 एस0 ओ0 या जिलापूर्ति अधिकारी का कार्यालय है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से दूसरे विभाग भ्रष्टाचार के लिये बदनाम हैं, उससे कम बदनाम नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने जिला खाद्य परामर्शदात्री समितियों और तहसील समितियों का जिस रूप में गठन किया है, उससे जाहिर होता है कि नये दलाल वहां पर पैदा कर दिये गए हैं और वे सारे के सारे दलाल आर0 एस0 एस0 से भर्ती किये हुये लोग हैं। जो लोग समिति में नियुक्त किये गये हैं, वे कौन हैं? विधायकों से नाम मांगे गये लेकिन उन नामों की फिक्र नहीं की गई। मान्यवर, तहसील समिति जो बुनियादी समिति है, जिससे वितरण की बुनियादी व्यवस्था की जानी है, वहां विधायकों के प्रतिनिधित्व के बारे में मंत्री महोदय, ने कोई भी साफ बात नहीं कही।

मान्यवर, शक्कर के वितरण की बात की गयी। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोले हैं, हो सकता है मुझे सूचना गलत दी गयी हो, यह दूसरी बात हो सकती है। यूनिट के हिसाब से शक्कर दिए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद इसको रोक दिया गया। वह रोक वापस ली गई अथवा नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु वह आदेश अभी तक देहातों में लागू नहीं हो सका है।

रेन्ट कन्ट्रोल की बात कहना चाहूंगा, कि इस तरह के आदेश गये थे कि विधायकों के लिये आवास की व्यवस्था की जायेगी। इस शासन में आवास की व्यवस्था की गयी है लेकिन उन लोगों को की गयी है जिनका सम्बन्ध जनता पार्टी से है। जनता पार्टी से सम्बन्धित विधायकों के लिए कोठियां एलाट हो गयी हैं। लेकिन विरोधी दल के जो लोग हैं उनको रहने की जगह भी नहीं दी गयी है।

एक सदस्य--

इन्दिरा गांधी की जमाने में क्या हुआ था ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जहां तक इन्दिरा गान्धी का सम्बन्ध है मैं स्वयं उनकी आलोचना आपसे ज्यादा करता हूं। जो रास्ता इन्दिरा गांधी ने अपनाया उसी रास्ते पर आप जा रहे हैं। जिस तरह से इन्दिरा गांधी ने जनता का गला घोंटा था उसी प्रकार से आप भी जनता का गला घोट रहे हैं। कटौती के प्रस्ताव को पेश करते समय हमारे साथी ने 'जनवाद' और 'जन-विरोधी' शब्द प्रयोग किए। इन शब्दों पर आपत्ति करने वाले यदि इन शब्दों का अर्थ ही समझ पाये होते तो यह नौबत न आती कि सत्ता में बैठने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते :

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रभुदयाल यादव (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज खाद्य और रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। खाद्य के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हुए हैं और जो कार्य हुए हैं वह सराहनीय हैं। मैंने देखा है कि शक्कर वितरण के सिलसिले में जो उदार नीति बरती गयी है, उससे जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। सीमेन्ट के सिलसिले में भी काफी सुधार किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गांवों में बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनमें सीमेन्ट यहां से उठायी नहीं जाती है अथवा ली जाती है तो उसका वितरण ठीक प्रकार से किया नहीं जाता है। मेरे क्षेत्र में रूरा कस्बा है वहां पर दो लाइसेन्सदार हैं और उनकी हालत यह है कि वह लोग सीमेन्ट नहीं ले जाते हैं और लाइसेन्स लिये हैं जिससे यह दिक्कत होती है कि लोगों को सीमेन्ट नहीं मिल पाती है। ऐसी दशा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेन्ट के सिलसिले में देहात के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे लोगों को सीमेन्ट मिल सके।

एक दूसरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो किराया नियंत्रण कानून है उससे किरायेदारों को काफी राहत मिली है। अगर मकान मालिक किसी किरायेदार को निकालना चाहे तो आसानी से निकाल नहीं सकता है। मकान मालिकों के सामने इस बात की गम्भीर समस्या है। रहने वाले मकानों के सम्बन्ध में तो यह ठीक है लेकिन मैं कानपुर का एक उदाहरण बताता हूं कि माल रोड बहुत ही मशहूर सड़क है। यहां की एक छोटी दुकान एक हजार रुपये प्रति मास किराये की दर से उठ जाती है लेकिन उतनी ही बड़ी दुकान किसी दूसरी जगह बहुत कम दाम पर उठ पाती है। इस प्रकार से किरायेदार उस मकान को 10-20 रुपये में लिये हुए हैं जिसे वह 1,000 रु० तक ले सकता है। उस दुकान से वह हजारों रुपये की आमदनी करता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुदयाल यादव]

चाहता हूं कि इस तरह के मामलों के लिये वह कोई दूसरी व्यवस्था करें जिससे मकान मालिक को भी उचित किराया मिल सके । किराये के मामले को लेकर मकान मालिक और किरायेदार के बीच झगड़े होते हैं । अतः मंत्री जी इस तरह के मकानों से जिनसे किरायेदार काफी लाभ कमाते हैं उनको दूसरी दृष्टि से देखें और इस सम्बन्ध में कोई दूसरी व्यवस्था करें । शहरों में इसलिये मकान बनने की प्रगति बहुत कम हो गयी है । अतः कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिससे कि मकानों के बनने की प्रगति रुक न जाये ।

अब मैं मान्यवर, एक बात राशन कार्ड के बारे में कहना चाहता हूं । जिस तरह से कहा गया है कि हर आदमी से राशन कार्ड के लिये रिश्वत ली जा रही है, ऐसा नहीं है । कुछ ऐसा है कि उस पर डेढ़ रुपये का टिकट लगाना पड़ता है । टिकट न लगाने पर वह पैसा ले लिया जाता है । उससे भ्रमित होकर यह कहा जाता है कि रिश्वत ली जा रही है । हो सकता है कि किसी ने कुछ ले लिया हो । खाद्य समिति के सिलसिले में मैं कहूंगा कि जो समिति गठित की गयी है उसके बारे में तमाम प्रकार की दलीलें दी जाती है । इसके लिये नाम मांगे गये थे वह नाम जब आये तो उन पर विचार करके उनको समिति में रखा गया । यह समिति दुकानों पर काफी नियंत्रण किये हुये हैं । शक्कर बांटने में जो गड़बड़ी होती थी वह समाप्त हो गयी है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है उसका मैं समर्थन करता हूं । किसानों को शिकायत रहती है कि हमारा गल्ला चाहे जिस भाव से बिके लेकिन जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं वह भी सस्ते दाम पर मिले । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि किसान को कपड़ा, मसाला और चीनी आदि जो नित्य के उपयोग की चीजें हैं उसको सस्ती मिलनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सस्ते गल्ले की दुकानों को ग्राम स्तर पर ले जाने का संकल्प किया है तो मैं चाहूंगा कि यह दुकानें पिछड़े वर्ग और हरिजनों को देने की व्यवस्था की जावे । इससे समाज में नैतिकता का उत्थान होगा और बेकारी की समस्या भी दूर होगी ।

अध्यक्ष महोदय, किसान सदैव शासन के पक्ष में काम करता है । यही एक ऐसा वर्ग है जो सारे देश की रीढ़ है और सारे देश को चलाने में अपना सर्वस्व अर्पण करता है लेकिन जो इसके रक्षक हैं वही इसके भक्षक हो गय हैं । चाहे वह इन्सपेक्टर महोदय हों, ग्राम सेवक हों या लेखपाल हों शासन की ओर से कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ाई का रुख अपनाना चाहिये । अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी ग्रामवासी के साथ किसी प्रकार का अन्याय करता है, गलत काम करता है तो बिना किसी पार्टी भेद के उसका स्थानान्तरण करके दूसरी तहसील में किया जाय या सर्विस से निकाल कर बाहर किया जाय । मान्यवर, चीनी, सीमेन्ट, टिन गांवों में नहीं पहुंच पायी है । सारी सीमेन्ट शहरों तक सीमित है । मैं आशा करता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री महोदय, इन सामानों को भी ग्रामीण स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जो मकान बनाने की नयी पद्धति बनायी जाय, ग्रामीण् स्तर पर हरिजनों के समूह बसे हुये हैं, वे छोटी-छोटी कोठरियों में बन्द हैं, आगे पीछे या अगल-बगल जगह नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो गरीब एक गिरोह में बसे हैं वहां पर पहले उनका प्रयोग किया जाय । उनको इस बात से राहत मिलनी चाहिये । जो नयी पद्धति की बैलगाड़ियों में सुधार की बात कही गयी है, उसकी ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी ग्रामीण स्तर तक वह लायी जायं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय खाद्य मंत्री महोदय के प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि खाद्य मंत्री के बजट प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ देहातों में सीमेन्ट वितरण प्रणाली का जो दोष है उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं । मेरे इलाके में हरिद्वार से लेकर रुड़की तक जो 32 किलोमीटर की पट्टी है और दूसरी कनखल से लेकर लक्सर तक 25 मील की पट्टी है उसमें सीमेन्ट की दुकान नहीं है । वहां गांवों की संख्या 250 है । वे या लक्सर जाते हैं या रुड़की या हरिद्वार, कनखल से आते हैं । ग्रामवासियों की समस्या को देखते हुए इस ओर ध्यान दें और देहाती क्षेत्रों में 15–20 किलोमीटर पर एक दुकान सीमेन्ट की होनी चाहिये । मेरे क्षेत्र के लोग उत्सुक हैं, वह दुकान खोलने के लिये तैयार हैं ।

एक बात और है । बी0 डी0 ओ0 के हाथ में बहुत पावर है । ग्राम सभा के प्रधान जो पुराने भ्रष्टाचारी चले आ रहे हैं और बी0 डी0 ओ0 जिसको भ्रष्टाचार की चाट लग गयी है, सीमेन्ट के वितरण में घोटाला करते हैं । मेरे पास नित्य प्रति दो-चार शिकायतें आती हैं । ग्रामीण लोग, सीधे और अनपढ़ हैं । उनको ग्राम सभा के प्रधान और बी0 डी0 ओ0 टरका देते हैं कि आप एस0 डी0 ओ0 के यहां जाइये, आप डी0 एम0, सहारनपुर से मिलिए । कभी कहते हैं कि रुड़की से मिलेगी ।

दूसरी शिकायत जो गांवों से आती है वह चीनी के वितरण की प्रणाली में है । यह बात सही है कि शासन ने चीनी की वितरण व्यवस्था में सुधार किये हैं । लोगों को पहले से ज्यादा चीनी मिलती है । लेकिन जो दुर्व्यवस्था चीनी और सीमेन्ट के वितरण में है उसमें दो दो महीने तक चीनी नहीं मिलती । माननीय मंत्री ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यहां पर व्यवस्थाएं बनायी हैं वे सराहनीय हैं । लेकिन उनका सुन्दर फल देहातों तक नहीं पहुंचा है । इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि वहां के अफसरों को खींचें और आदेश दें ताकि भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है वह दूर हो सके ।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस कानून की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें बहुत सी दफायें बड़ी रूढ़िवादी हो गई हैं जिनसे मुकदमें बढ़ते जायेंगे । जो मकान 6–7 रुपए के किराए के हैं आज उनकी सिचुएशन के कारण उनका मूल्यांकन 50 और 100 रुपए के करीब हो गया है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें ताकि मुकदमों की तादाद घट सके । अगर इस प्रकार का कुछ परिवर्तन हो जायगा तो मकान मालिक जल्दी से मुकदमें दायर नहीं कर सकेंगे ।

इसी प्रकार से गांवों में कपड़े की दुर्व्यवस्था है । कपड़ा सस्ता मिले, नंगों को मिले, यह शासन की नीति है लेकिन जिस प्रकार से सीमेन्ट और चीनी की वितरण प्रणाली में दुर्व्यवस्था है उसी प्रकार से कपड़े की वितरण प्रणाली में भी आई है । मेरा तो यह कहना है कि यह जो कन्ट्रोल की व्यवस्था चली आ रही है, इसको समाप्त किया जाय । यह भ्रष्टाचार की जननी है ।

राजर्षि टन्डन जी ने एक बार गुड़ मंगाया था चार आने का नौकर से, उस समय वे कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट थे । थोड़ा सा गुड़ देखकर उन्होंने नौकर से कहा कि इसको वापस कर दो । उनका कहना था कि कन्ट्रोल में 3 व्यक्ति भ्रष्टाचारी होते हैं, एक लेने वाला, एक बेचने वाला और एक वह जिसका वितरण में प्रमुख स्थान रखता है । इस प्रकार से करोड़ों लोग देश में भ्रष्टाचारी बन जाते हैं । हमारे स्वर्गीय श्री किदवई साहब ने जब भ्रष्टाचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजकुमार शर्मा]

को देखा तो उन्होंने कन्ट्रोल को समाप्त करने की बात कही। अफसरों ने उनसे कहा कि अगर ऐसा किया गया तो मंडियों पर हमले हो जायंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं मंडियों में जाकर देखा, शहर की जनता से मिलने के उपरान्त अफसरों से सारी स्थिति का निरीक्षण किया और कन्ट्रोल को हटा दिया किन्तु कहीं भी, जैसा कहा गया था, नहीं हुआ। उस समय 9 रुपए में गेहूं हमको प्राप्त होने लगा।

मेरी प्रार्थना है कि शासन इस ओर ध्यान दे और कन्ट्रोल को समाप्त करे और भ्रष्टाचार में लिप्त इन्सपेक्टरों की फौज जो जनता पर सवार रहती है, उसको हटा दिया जाय। अगर ये इन्सपेक्टर्स किसी से नाराज हो गए तो उन दुकानदारों का ये चालान कर देते हैं और उनकी दुकान ही निरस्त करवाने की सिफारिश करते हैं। इन सब चीजों को हमारे शासन को देखनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कुछ बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं। निसंदेह यह सही है कि कुछ बातों में सरकार ने सुधार किया है जो कि नगरीय और ग्रामीण जीवन में परिलक्षित हो रहा है जैसा कि मैंने पिछली बार भी सदन में इस बात को उठाया था कि जिस प्रकार से हमारे नगरों में कार्ड्स की व्यवस्था है, हमारे देहातों में चीनी यूनिटों के आधार पर नहीं दी जाती है। प्रति कार्ड पर एक किलो ही चीनी दी जाती है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने इस नीति में संशोधन करके हर कार्ड पर यूनिटों के आधार पर चीनी का वितरण कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन का जिस तरह से केवल इस खाद्य विभाग के अन्तर्गत ही नहीं, बल्कि जन जीवन के सारे क्षेत्र में कम होता जा रहा है और उससे खाद्य विभाग भी अछूता नहीं रह गया है। मैं चाहता हूं कि जितना कोटा चीनी का देहातों के लिए होता है वह उसमें पहुंचना चाहिए जबकि चीनी की हालत यह है कि खुले बाजार में भी काफी सस्ती है। यह भी नहीं है कि चीनी की कमी चल रही है तो भी इन परिस्थितियों में पूरी चीनी गांवों में नहीं पहुंच रही है। चीनी का देहातों में पहुंचना तो दूर रहा जितने कोटेदार चीनी ले रहे हैं वे किसी हरिजन के नाम पर कोटा ले रहे हैं। देहात में जो पूंजीपति हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से अपने पैसे को लगा कर वह इस हरिजन के माध्यम से आमदनी करता है, पैसा पैदा करता है। जितनी भी चीनी वह अपने कोटे पर लेता है, उसका दसवां भाग भी देहात में नहीं पहुंचती है।

हमारे जिला पूर्ति अधिकारी जो हैं, उनसे यह शासन उम्मीद करता है कि वह सख्ती से जांच करें, चाहे वह गल्ले की वितरण व्यवस्था हो, चाहे तेल की वितरण व्यवस्था हो, चाहे सीमेन्ट की वितरण व्यवस्था हो। उन पर आप उम्मीद करते हैं कि नगर जो जनपद का हेडक्वार्टर है, वहां पर वह रह कर सारी दुकानों की व्यवस्था ठीक रखें। उसके अलावा यह विश्वास भी है कि जिला पूर्ति इन्स्पेक्टर जो हैं, जिलों में और छोटे-छोटे कस्बों में जा कर देखेंगे। मैं समझता हूं कि आज के प्रशासन में इनके पास वाहनों की बहुत बड़ी कमी है। एक तरफ छोटे-छोटे विभाग जैसे ब्लाक को ले लीजिए, किस-किस ब्लाक के अन्दर एक-एक, दो-दो गाड़ियां नहीं हैं। सभी ब्लाकों में एक-एक, दो-दो गाड़ियां हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नगर का रहने वाला हो या कस्बे का रहने वाला हो, जिला पूर्ति अधिकारी का सम्बन्ध हर एक से होता है। उसकी एक जिम्मेदारी की जगह होती है। उस जिम्मेदारी की जगह के लिए मैं समझता हूं एक जीप का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस बारे में शासन से बार-बार मांग की गई कि कम से कम एक जीप की व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। मैं समझता

हूं कि जीप की व्यवस्था करने से आपके विभाग का नियन्त्रण हो सकेगा। लेकिन आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय मन्त्री जी ने खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर एक पुस्तिका प्रस्तुत की है। इसमें आपने कुछ डेटाज दिए हैं। इसमें लिखा है––खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की तुलनात्मक सारिणी। इसमें दिसम्बर की एक तरफ, मार्च, 1978 की दूसरी तरफ दी गई है। इस समय भाव कुछ गिरे हैं, उस समय भाव कुछ अधिक थे। कहीं पर कुछ अधिक है. कहीं पर कुछ कम है, जो देखने की, गौर करने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार के समय में खाद्यान्न की क्या कीमत थी? उसके मुकाबिले में कीमतें घटी हैं या बढ़ी हैं? जो जनता आप से उम्मीद लगाए थी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को निराशा का मुंह ही देखना पड़ा है।

सीमेन्ट की व्यवस्था के लिए आपने एक सारिणी दिया है कि कितना सीमेन्ट आपको मिलता है और कितना आप आवंटित करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सीमेन्ट के वितरण की कितनी दुर्व्यवस्था चल रही है। एक–एक, दो–दो बोरी सीमेन्ट नहीं मिल पा रहा है। हमारे अपने जनपद शाहजहांपुर में जितना भी सीमेन्ट गया, उस सीमेन्ट को देहाती क्षेत्र के अन्दर सारा का सारा सरकारी कामों के लिए जिलाधिकारी ने दे दिया है। ग्रामीणों को बिलकुल सीमेन्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुझे कहना यह है कि आपकी वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है तथा खाद्यान्नों के भाव भी नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)––

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है। जनता पार्टी के माननीय सदस्य लाबी में सो रहे हैं उनको जगाने के लिए घंटी बजाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––

घंटी बजा दी जाय।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष––

5 बजे तक का इसका समय है और मन्त्री जी को जवाब भी देना है।

एक सदस्य––

मान्यवर, दो मिनट दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

अब समय नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र––

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि साइन्स, टैक्नालोजी और खाद्य विभाग के सम्बन्ध में जो अनुदान प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किया है उसमें जहां उन्होंने इस विभाग की सराहना की है वहां उसके साथ साथ आलोचना के द्वारा मुझे कुछ करने के लिये प्रेरित भी किया है। उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन कुछ

[श्री हरिश्चन्द्र]

ऐसी बातों की जानकारी के अभाव में उन्होंने कुछ बातें कह डाली हैं, उनको जानकारी दे करके मैं अपनी सहायता करना चाहता हूं । क्योंकि अज्ञानता में अगर रहेंगे तो मेरा सहयोग नहीं कर सकेंगे । राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में जो भ्रम है मैं उसका निवारण करना चाहूंगा । 35 पैसे राशनकार्ड का जो मूल्य था उसको कम करके 25 पैसा शहर में और 15 पैसा गांव में कर दिया गया है । लेकिन एक बात रह गयी है जिसके कारण भ्रम हो गया होगा कि अगर नया कार्ड बनेगा तो गांव में 15 पैसा और शहर में 25 पैसा देना होगा और अगर बना बनाया दोबारा बनवायेंगे तो हलफनामा देना पड़ता है, उसमें टिकट लगता है और डेढ़ रुपया लग जाता है । सवाल यह है कि अगर गायब हो गया है तो जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वही अब भी जारी है । तो उस पर भी विचार करेंगे कि डेढ़ करोड़ रुपये का जो हलफनामा पर टिकट लगता है इस प्रक्रिया में क्या किया जा सकता है, जिससे गलतफहमी न होने पाये ।

मान्यवर, माननीय श्याम नारायण जी ने एक खाद्य–जोन की आलोचना कर डाली । मैं समझता हूं थोड़ा चूक कर गये । यह खाद्य जोन की वजह से ही खाद्य के मूल्य रुके रहे और खाद्य बाजार में आ गया है । मूल्य वही 120–130 के ऊपर रूका हुआ है । जोकि पहले 80–90 रुपया क्विंटल पर आ जाता था । आज किसान को अच्छा मूल्य मिल रहा है यह एक जोन बनने के कारण ही मिल रहा है । वरना बम्बई जाइये, केरल और आसाम चले जाइये जहां 7–7 रुपया किलो खरीद कर मजदूरों को खाना पड़ता है । श्याम नारायण जी मजदरों के बड़े हितैषी हैं, बड़े हमदर्द हैं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभाव के क्षत्र में अनाज का गिरा हुआ मूल्य रहा और उत्पादक किसानों को भी उचित मूल्य की व्यवस्था प्रदान की गयी है । तो एक जोन की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। मूल्य बढ़ने की बात कह डाली गयी। 7 मिनट रह गये हैं, क्या बतलाऊं बढ़े हैं या घटे हैं । यह जो ब्यौरा मैंने दिया है घटने का है, लेकिन आप यह कहें कि पिछले 20–25 वर्षों में जितना बिगाड़ डाला गया है वह सब एक ही कलम से ठीक कर दिया जायगा, वह संभव नही है । लेकिन इतना जरूर है कि जो मूल्य बढ़ गये थे वह नीचे की तरफ आने लगे ह तो निश्चित रूप से मैं अपने को, इस सरकार को ही सारा श्रेय नहीं देना चाहूंगा । श्रेय उन मेहनत-कश किसानों को है जिन्होंने उत्पादन बढ़ा कर यह हालत पैदा करने में मदद की है । पिछले साल 86 लाख टन जो गेंहू हुआ था वह इस साल 96 लाख टन होने का असेसमेंट है । 10 लाख टन की पैदावार जिन किसानों ने, मेहनत-कश किसानों ने बढ़ाई है यह श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में कन्द्रीय सरकार क कार्य की भी सराहना की जानी चाहिये कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आवश्यक वस्तुओं का निर्यात रोक दिया है । साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि मूल्य घटे हैं । खाद्यान्न में 2.46 प्रतिशत से 15.78 प्रतिशत तक कमी हुई । तिलहन म 0.24 प्रतिशत से 21.93 प्रतिशत तक, गुड़, खांड चीनी में 32.21 प्रतिशत तक घटे हैं । वनस्पात में साढे सोलह किलो के टिन में 2.19 तक कमी हुई है । तो इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी हुई है । (एक आवाज–तेल के बारे में कहिये) तेल के सम्बन्ध में आपने पूछा तो उन वर्षों को याद करियेगा जब अरहर की पैदावार नही हुई थी । इस वर्ष जो पैदावार हुई है, मेरे सामने विचार है, मैंने रखा है कि 2 लाख टन का बफर-स्टाक खरीद कर तैयार किया जाय जिससे उन चीजों को आवश्यकता से अधिक बढ़ने की सीमा से रोका जा सके ।

मैं माननीय श्यामधर जी को वर्षों से जानता हूं, वे सच को कैसे झुठलाते हैं । मैंने उनकी चिट्ठी मंगवायी । उन्होंने कहा कि किसी विधायक से पूछा नहीं गया और बिना पूछे समितियों में मनोनीत कर दिया । यह पत्र उनका मेरे सामने हैं । उन्होंने तीन नाम भेजे थे–पहला श्री श्याम नारायण सिंह का, दूसरा श्री शीतलाप्रसाद पांडेय और तीसरा श्री राय, जो भदोही के हैं, उनका । आपसे पूछा गया और यह आपका पत्र मौजूद है । यह मैं जरूर कहूंगा कि माननीय सदस्यों से तीन तीन नाम पूछे गये थे । इसके अलावा मैंने कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं रहने दिया जिसे तहसील अथवा जिला कमेटियों में, किसी न किसी में न रखा हो । (व्यवधान) मैं इस सदन की गरिमा को जानता हूं, मैं चुप सुनता रहा । मान्यवर, श्री शीतला प्रसाद पांडेय को इसलिये रखा कि वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे । वाराणसी के जिम्मेदार व्यक्ति थे । तीन का चयन करना था । खाद्य समिति में उनको रखा । (व्यवधान) मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि किसी से पूछा नहीं गया ।

मान्यवर, श्री जगदम्बा सिंह जी ने कहा शादी आदि के अवसर पर चीनी दिए जाने के बारे में । मैंने आदेश भेज दिए हैं । चीनी बहुत मात्रा में अब दी जा रही है, वितरण के बाद जो भी चीनी बचेगी, विवाह आदि अवसर पर पुत्र और पुत्री के विवाह के लिए 40 किलोग्रोम तक दी जाएगी जो पहले 20 किलोग्राम दी जाती थी ।

माननीय रामआसरे जी ने जो कहा, मैंने उनके लिए भी पोथा मंगा लिया, समय बहुत ही कम है, उनके भी नाम मेरे पास आए हैं । रामआसरे वर्मा जी ने जो नाम भेजे थे उनमें से जिला समिति में मैंने श्री लक्ष्मण प्रसाद हंस को रखा है और तहसील समिति में श्री सुन्दरलाल वर्मा को रखा है ।

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी से भी मैं निवेदन करना चाहुंगा कि एक दिन वह था जब इन्दिरा जी रेडियो पर बोलती थीं तो मोरारजी देसाई जी या अटलबिहारी बाजपेई जी को रेडियो पर बोलने का अवसर नही दिया जाता था । आज अगर अटल जी रेडियो पर बोल सकते हैं ती चव्हाण साहब भी उसी तरह बोल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है ।

मान्यवर, खाद्य का मामला ऐसा है जिसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए । मैंने माननीय सदस्यों को 3–3 रिमाइन्डर्स भेजें हैं । सदन में भी खड़े हो कर निवेदन किया है, हाथ जोड़ कर निवेदन किया है कि वे नाम भेजें । आज भी कुछ जगह खाली पड़ी हैं, द्वार अभी भी खुले हैं वे नाम भेज सकते हैं ।

राजनैतिक आरोपों का तो उत्तर देने के लिए समय नहीं है, किन्तु मैं कोशिश यह करूंगा कि कोई आवश्यक प्रश्न जबाब देने से रह न जांय । माननीय नाथूराम जी ने हरिजनों को दुकाने एलाट करने के सम्बन्ध में कहा, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हरिजनो को दुकानों के एलाटमेंट म भी प्राथमिकता दी गयी है ।

तो मेरे सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि हरिजनों को इसमें प्राथमिकता दी जाय । लेकिन वह 16 हजार कहां से लाएगा । मेरे सामने यह प्रश्न है, मैं विचार कर रहा हूं कि अगर हरिजनों को दुकानों में प्राथमिकता देनी है तो 16 हजार रुपए लाने की व्यवस्था करने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा । तभी हरिजनों के हाथों में दुकाने आ पाएगी, नहीं तो पैसे वाले लोग ही दूकाने लेकर लाभ उठाएगे ।

मान्यवर, भाई सत्यपाल जी ने मूल्य के सम्बन्ध में कहा था तो मैंने निवेदन किया है कि मूल्यों में गिरावट आई है । इसी तरह से 2 हजार यूनिट के बीच एक दूकान खोलने की बात है । तो मैं इस रास्ते पर चल रहा हुं । उत्तर प्रदेश में 4 ब्लाक लिए गए हैं, वहां पर प्रयोग चल रहा है कि हर गांव में दूकान हो । वह जिले हैं बस्ती, बाराबंकी

[श्री हरिश्चन्द्र]

पीलीभीत, मुरादाबाद, इन जिलों के जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि एक–एक ब्लाक को लिया जाया जिसके हर गांव में दुकान रहेगी, और ब्लाक से सप्लाई की जाएगी। उद्योग मन्त्री जी नें कहा उस तरह से जो शासन का खर्च बढ़ जाएगा तो मैंने कहा कि गांव–गांव में उद्योग धंधें खुलेगें और माल तैयार होगा तो मार्केटिग की व्यवस्था हल हो जाएगी तो हम 2 हजार यूनिट के बीच में दूकान हो, इसमें प्रयोग कर रहे हैं यदि हर गांव में य दुकाने सफल हो जायेंगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भाई राम आसरे जीने कहा कि मिटा तो नहीं है लेकिन कम हो गया है। तो मैं उनका सम्मान करता हूं और कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप करीब करीब सब प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र—

मैं एक बात को और कह कर खत्म करूंगा। तो उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। गर गांव में दुकान सफल हो गई तो जो भ्रष्टाचार रह गया वह भी समाप्त हो जायगा। मान्यवर, मैं समझता हूं कि ज्यादा समय नहीं है। श्याम धर जी ने सहकारी समितियों की बात कही तो श्यामधर जी और हम इसमें साथ बैठकर बात कर लेंगे। सहकारी समितियों को दिया जाय या नहीं तो यह दोनों देखे जायेंगे। मैं समझता हूं कि जितने स्वस्थ वातावरण में यह विचार हुआ है और जिन्होंने सराहना की है, मैं उसका स्वागत करता हूं आलोचना करके हमको कुछ करने की प्रेरणा दी मैं उसके लिये उनका आभार प्रकट करता और जिन्होंने हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि कटौती के जो प्रस्ताव आये हैं उनको माननीय सदस्य वापस ले लेंगे और सर्व-सम्मति से इस राष्ट्रीय महत्व के, मानवीय दृष्टिकोण से देखें जाने वाले प्रश्न के लिये मांगी गई तीनों मांगों को सर्व-सम्मति से समर्थन करेंगे।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती, के प्रस्ताव की मंशा ही थी नीति गत आलोचना करना। कुछ माननीय सदस्यों नें कहा कि मंत्री जी के अच्छे कामों की तारीफ नहीं की गयी है तो मैंने पहले ही कहा है कि नीतिगत समालोचना करना इस प्रस्तावकी मंशा है। श्रीमन्, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने अभी कहा कि खाद्यान्न के दाम घटे हैं। उन्होंने कहा कि 120–130 रुपये क्विटल के दाम पर गेहूं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं पंजाब की तरफ गया था, वहां गेहूं की सारी फसल हरी है और खेतों में खड़ी है खलिहानों में नहीं आई है। तो इस कारण से तो दाम 120–130 हो सकते हैं। अनुभव बतलाता है कि पिछली बार जब 110 रुपये दाम तय हुआ था तो हम लोगों के पास किसान आते थे और कहते थे कि इस दाम से हमारा गेहूं बेचवा दीजिये। 80–90 रुपये क्विटल गेहूं कोई पूछता नहीं था। अब थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जन वितरण की संजीदगी के बारे में। आप सोचें कि यह प्रणाली बड़ी संजीदी है। इसकी हम मांग करते हैं। लेकिन आप बतायें कि गेहूं की खरीद आप कर रहे हैं, किन्तु सिफारिश हमारी हो रही है कि बिकवा दें। कोई खरीदने वाला नहीं है। वही हालत इस बार भी होगी कि जब तक किसानों के घर में अनाज होगा तब तक खरीदने वाला कोई नहीं होगा।

मान्यवर, सीमेन्ट के वितरण का जो सवाल है उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक बी0 डी0 ओ0 सर्व सत्ता सम्पन्न है, श्री सुरेश जो कि 15

साल से वहीं है । सारी सीमेन्ट पता नहीं वह क्या करता है । उसका ट्रांसफर भी नहीं होता है । यह बड़ी भयावह स्थिति है। यही कपड़े की स्थिति है । कपड़ा पहले मिल जाता था लेकिन अब कंट्रोल के कपड़े का दाम इतना बढ़ गया है जैसे खुले बाजार में किन्तु जो सस्ता है वह नहीं मिलता है । इस लिये मेरी आपसे प्रार्थना है, जो अब तक परम्परा थी, कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है और मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30, वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30– वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,51,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52––खाद्य में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52––खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की शर्त के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,80,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82––खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82––खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,97,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों तथा पुलिस में मारपीट की घटना के संबंध में जानकारी

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने आप से आज्ञा मांगी है कि और विषय यह है कि आज ही अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में लड़के और लड़कियों की पुलिस द्वारा पिटाई हुई है। सैकड़ों लड़के पीटे गये हैं यहां तक कि लड़कियों के कपड़े भी फाड़े, यहां तक कि हमें मालूम हुआ है कि फोटो ग्राफर, पत्रकारों को भी पीटा, उनको चोट लगी। मैं नहीं जानता घटना क्या है, उसका क्या विवरण है। अभी मैंने यह थोड़ा सा सुना। मैं जानना चाहता हूं कि (व्यवधान) फो टो ग्राफर का कैमरा छीन लिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्योरा है? क्या यह सही है? मिनट-मिनट में हर जगह अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार हमें कुछ तो बताये, यहां की घटना है।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में इसको लाया था कि इस संबंध में वह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर के सदन में सूचना देंगे। श्री खान ने भी मुझे इसी तरीके की सूचना दी थी, श्री राजनाथ सिंह ने भी लिख कर दिया था। स्वायत्त शासन मंत्री जी इस संबंध में आप कोई सूचना दे सकेंगे।

(स्वायत्त शासन मंत्री) श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है उसे दे सकता हूं।

दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को अपराह्न लखनऊ विश्वविद्यालय रोड पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की नगर बस में कुछ छात्र बिना टिकट चले जिसको ले कर छात्रों व परिवहन निगम के कर्मचारियों में कहा-सुनी हो गयी तथा परिवहन निगम की सम्बन्धित बस कर्मचारी टेड़ी कोठी ले गये जहां से छात्र भाग गये। इसके उपरान्त नगर बस सेवा के कर्मचारियों ने एक बस में जा कर चेकिंग की तथा रायल होटल के पास एक बस को चेक कर उसके यात्रियों के साथ हाथापायी की। यह आरोप कुछ छात्रों व एक अध्यापक द्वारा थाना हजरतगंज में लिखायी गयी रिपोर्ट में लगाया गया है। नगर बस सेवा दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को सायंकाल बन्द रही।

दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को नगर बस सेवा चली परन्तु विश्वविद्यालय रोड पर बसें नहीं चलीं। लगभग 11.30 बजे दिन में फैजाबाद से आ रही एक रोडवेज बस को कालविन तालुकेदार कालेज के पास विश्वविद्यालय रोड पर छात्रों ने पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर मामले को शान्त किया। इसके उपरान्त छात्रों ने विश्वविद्यालय के अन्दर एक मीटिंग की जिस में आरक्षण विरोधी मामलों के अतिरिक्त अन्य बातें भी कही गयीं। इस पर कुछ छात्रों ने पुलिस पर विभिन्न दिशाओं से भारी पथराव प्रारम्भ कर दिया। पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर किया। कक्षायें बन्द हो गयीं तथा अधिकांश छात्र, छात्रायें विश्वविद्यालय से बाहर धीरे-धीरे चले गये। जाते समय कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय रोड पर एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा पुलिस पार्टी पर कई स्थानों पर पथराव किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग 1–00 बजे 4–5 छात्रों ने निराला नगर पोस्ट आफिस में जा कर जलते हुये कपड़ों को फेंक दिया जिससे कुछ डाक जल गयी तथा दो कर्मचारी भी जलने से घायल हो गये। एक कर्मचारी को भगदड़ में चोट आयी। आग तुरन्त बुझा दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी घटना-स्थल परप हुंचा। आग लगाने वाले उपद्रवी छात्र कपड़ा फेंक कर तुरन्त भाग गये।

लगभग 1–15 बजे 20–25 छात्रों ने आरटीफिशियल लिम्ब सेन्टर, डालीगंज पुल के नीचे रोडवेज की एक बस को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे उसके शीशे टूट गये तथा छात्रों ने बस में आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच कर नियंत्रण पा लिया।

वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है तथा छात्रों को होस्टल खाली करने को कहा जा रहा है।

श्री एच0 के0 कपूर फोटोग्राफर पायनियर का कहना है कि उनको कुछ पी0 ए0 सी0 वालों ने मारा पीटा तथा उनका कैमरा तोड़ दिया। इस घटना की जांच करायी जा रही है।

प्राप्त सूचना के अनुसार घायल व्यक्तियों की सख्या 40 है जिसमें 4 को छोड़ कर बाकी फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज हो गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)––

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है कि कितने पुलिस वालों को चोट लगी और कितने विद्यार्थियों को चोट आयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जो सूचना घायलों के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि घायलों की कुल संख्या 40 है और इन 40 में से 4 को छोड़ कर बाकी सभी डिस्चार्ज किये जा चुके हैं। इन 40 में कितने पुलिस वाले हैं या अन्य हैं इसकी अलग–अलग कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

माननीय मंत्री जी ने बहुत मासूम वक्तव्य यहां दे दिया और कहीं नहीं कहा कि पुलिस ने लाठी ही लहराई लेकिन लोग घायल हो गये और पुलिस केवल उनको समझाती रही।

श्री अध्यक्ष––

अब इस पर कोई प्रश्न करना उचित नहीं होगा। जैसे ही मंत्री जी से कहा गया उन्होंने सूचना मंगा ली। अब जब तक पूरी सूचना उनको न हो तब तक कोई प्रश्न करना उचित नहीं होगा।

श्री मैनेजर सिंह––

मुझे अफसोस है कि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का उत्तर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष––

जब आप कोई बहस इस पर करेंगे उस समय, समय दिया जायगा। यह बहस करने का कोई अवसर नहीं है। मैंने एक अनुरोध पर माननीय मंत्री को निर्देश दिया था। उन्होंने उस पर सूचना मंगा दी। अब उस पर बहस करना किसी नियम में नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

एक जानकारी चाहता हूं। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनमें एक प्रो0 आर0 के0 त्रिपाठी तथा भदोड़िया हैं जो कक्षाओं को पढ़ा रहे थे। छात्रों ने मान लिया जाय कि पथराव

[श्री शतरुद्ध प्रकाश--]

किया, बस में आग लगा दी लेकिन जो अध्यापक हैं और कक्षा में पढ़ा रहे हैं थे उनको क्योंकर मारा गया, उनकी क्या गलती थी जो उनके चोट आई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्री श्याम धर ने आपको इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिख कर दी और आपने 4-35 पर निर्देश दिया और अब 5-10 हुआ है। इस दर्मियान जितनी अधिक से अधिक सूचना प्राप्त हो सकती थी वह मैंने मंगा कर सुना दी, इसके अतिरिक्त और कोई सूचना मेरे पास नहीं है, यह माननीय सदस्यों को समझना चाहिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मुझे यह निवेदन करना ....

श्री अध्यक्ष--

अब आप इस सम्बन्ध में नियम 51 में सूचना दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक फोटोग्राफर श्री कपूर थे उनको चोट किस तरह से आई ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि इतनी शीघ्रता में जितनी सूचना प्राप्त हो सकी वह उन्होंने दे दी। इसके आगे तो यही हो सकता है कि आप अपना मत प्रकट करें। जब तक सरकार को कोई सूचना न हो तब तक वह कैसे कोई उत्तर दे सकती है ? फिर किसी नियम के अनुसार आपने पूछा नहीं है।

(श्री खान गुफरान जाहिदी के खड़े होने पर)

गुफरान साहब आप बैठें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट में लेक्चरार हूं। पिछले 10-15 दिन से वहां की हालत अच्छी नहीं है। स्टूडेंट किसी भी विचारधारा को मानते हों वे हमारे बच्चे हैं और सियासी इस्तिलाफात के कारण उनके साथ ज्यादती करना किसी भी सरकार के लिये उचित नहीं है। जिस तरह लड़कों को घेर कर प्रांगण में मारा जाता है वह भी अच्छा नहीं है। आज भी लाठी चार्ज किया गया खदेड़-खदेड़ कर लड़के तथा लड़कियों दोनों को मारा गया। होस्टल में घुस कर मारा गया। ऐसी सरकार के लिये जो जनता की सरकार कहलाती है यह किसी तरह से अच्छा नहीं है। हमें यूनिवर्सिटी की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिये।

एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के हादसे पेश न आएं यह हम सब की जिम्मेदारी है। पोलिटिकल पार्टीज भी इसे बरगलाती हैं। हम इस मसले को अम्न के साथ निपटें किसी लड़के के साथ ज्यादती न हो मुझे यही उम्मीद सरकार से है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब मैं किसी तरह की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने कहा कि किसी प्रश्न पर नियमों के अनुसार ही विचार हो सकता है। यह न नियम 51 है और न कोई और है। जितनी

सूचना थी वह माननीय मंत्री जी ने दी । मंत्री जी आप पुनः इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके 17 तारीख को सदन में सूचना दे दें । इस वक्त सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । वे कह चुके हैं कि मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इस पर वे सोमवार को बयान देंगे · · · · ।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी आप यह बतलाइये कि आखिर सदन के अन्दर कोई टेलीविजन तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जो हो रहा हो उसे माननीय मंत्री जी आपको देखकर बतला दें । जैसे ही मुझे माननीय राजनाथ सिंह, माननीय श्यामधर तथा श्री आतिफ खां का पत्र प्राप्त हुआ मैंने उसी समय माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से अनुरोध किया कि वे सूचना प्राप्त कर लें और जितनी सूचना उन्हें मिल सकती थी वह उन्होंने सदन को दे दी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, क्या कारण है कि हम लोगों को जानकारी हो जाती है और माननीय मंत्री जी को नहीं हो पाती ? पंतनगर के बारे में भी मंत्री जी को सुबह 8 बजे तक सूचना नहीं मिल सकी । नैनी में 12 बजे घटना होती है और सुबह 6 बजे तक मंत्री जी को जानकारी नहीं हो पाती । तो इसका क्या कारण है—

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि हमको इसके अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है । तो मैं किसी मंत्री को कोई सूचना देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । आपने कहा कि नैनी में हुई घटना की उन्हें सूचना नहीं मिली तो आपका मतलब यह है कि सरकार सक्षम नहीं है । अगर आप इस पर वाद-विवाद करना चाहें तो नियमानुसार विधिवत् उसे किया जाय, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है । उन्होंने कह दिया है कि सूचना नहीं है तो फिर कौन सा नियम है जिसके द्वारा हम उन्हें बाध्य कर सकें कि सूचना लाकर दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मालवीय जी ने जानकारी की बात कही है वह ठीक है और आपने उसमें व्यवस्था भी दी । यह वक्तव्य नियम 51 में नहीं हो रहा है इसलिये स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति नहीं मिली । जो आपने निर्देश दिया कि सोमवार को मंत्री जी वक्तव्य देंगे तो क्या उस समय हमको प्रश्न पूछने की अनुमति होगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब उनका वक्तव्य आ जायेगा तो मैं आपको स्पष्टीकरण का अवसर दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंतनगर की घटना एक बड़ी भयावह घटना हो गयी । संयोग से कल और परसों दो दिन छुट्टी हो गयी । सोमवार को आपने चर्चा या वक्तव्य के लिये सरकार से कहा है । कुछ माननीय सदस्य विधान सभा मौके पर जाना चाहते हैं जैसे शतरुद्ध प्रकाश जी हैं और लोग भी कह रहे हैं, तो क्या सरकार वहां लोगों की जानकारी दिलाने के लिये इस बात की व्यवस्था कर देगी जिससे उन माननीय सदस्यों को वहां जानकारी करने में कठिनाई न उत्पन्न हो ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कठिनाई ही नहीं, पिटाई न हो ।

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मान सिंह जी, आप बैठिए ।

श्री मानसिंह आजाद—

सरकार द्वारा जो उसकी सूचना मिली वह दे दी गई है । हम लोग खुद दुखी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए बिना पोर्टफोलियो के मंत्री आप बनना चाहते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

नेगी जी अगर पिटाई से डरते हों तो वह मत जायं क्योंकि बहुत कुछ करामात शायद उनको मालूम है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जब जनता पार्टी के लोगों की पिटाई हो रही है तो हम लोगों का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न किया है यह सदन में मेरे माध्यम से करना उचित नहीं था । यह प्रशासनिक प्रश्न है ।

स्वायत शासन मंत्री या कोई और मंत्री को जो मौजूद हैं सदन उठने के बाद मेरे कक्ष में बुला लिया जायगा वह कुछ इसकी व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं । क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों से भी उनको बात करना आवश्यक होगा । इसलिये यह इस समय उचित नहीं होगा ।

1978--79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 42--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें, अनुदान संख्या 56--वन तथा अनुदान संख्या 84--वनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, अब इस डिमांड (वन विभाग) पर कब तक चर्चा होगी?

श्री अध्यक्ष—

साढ़े 6 बजे तक ।

*वन मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,21,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,31,93,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84--वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वन मंत्री, समय, बचाने के लिये यह उचित होगा कि पहले लोगों के सुझाव सुन लें और बाद में आप उत्तर दे दें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--वन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84--वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, समय निःसंदेह बहुत कम है । मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में ही अपनी बात आपके सामने रख सकूं । मान्यवर, आज न केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर बल्कि पूरे देश के अन्दर एक भयंकर प्राकृतिक संकट आने वाला है । तमाम आपके हिमालय इसका जो जियोलोजिकल बैलेंस है उसके अन्दर असंतुलन हो रहा है । यही गति रही तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह इस प्रदेश और देश में क्या करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, पहाड़ों के अन्दर आप जायं तो जहां घने हरे भरे जंगल दिखाई देते थे आज वहां पहाड़ नंगे नजर आते हैं, चाहे मंसूरी जायं या नैनीताल जायं । अल्मोड़ा कुमायूं की पहाड़ियों को देखें तो वहां जंगल हैं ही नहीं । वनों का कटान होता जा रहा है । और वन विभाग को कोई चिन्ता नहीं । सबसे पहले बेलाकूपी की भयंकर बाढ़ आयी तो विद्वानों की आंख खुलीं कि हिमालय के अन्दर जियोलाजिकल बैलेन्स डिस्टर्ब हो गया है । पानी के स्रोत सूख गये हैं । जंगल के जंगल कट गये । मंसूरी के अन्दर जहां हरे भरे जंगल थे वहां जैसे कोढ़ लग गया है । राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार साढ़े 33 प्रतिशत भूभाग के अन्दर जंगल होने चाहिये जब कि आज 17.4 प्रतिशत है । इसमें 60 प्रतिशत अकेले पहाड़ों के अन्दर और 20 प्रतिशत जंगल मैदान के अन्दर हैं । आज अब नये-नये उद्योग लग रहे हैं, वन आधारित उद्योग लग रहे हैं तो कच्चे माल की मांग बढ़ रही है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

एक तरफ तो वनों के ऊपर ज्यादा मांग बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ वनों का कटाव होता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि वह इसका क्या हल करने जा रहे हैं। वन विभाग की तरफ से प्रचार किया जा रहा है वन विभाग के जंगलों का कटान नहीं हो रहा है लेकिन जो जंगलात विभाग में नहीं हैं वहां कटान होता जा रहा है। वन विभाग की तरफ से यह भी प्रचार किया जा रहा है कि वह वनों की सुरक्षा के लिये चिन्तित हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वन विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और स्थिति क्या है वह मैं इनकी पुस्तिका से कुछ आंकड़े देकर स्पष्ट करना चाहता हूं।

पांचवी योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने 44 करोड़ 33 लाख 44 हजार की योजनायें अनुमोदित की थीं। चार साल हो गये। इन 4 साल में कितना धन उपलब्ध कराया वह भी देखें। यह धन उपलब्ध कराया 20 करोड़ 72 लाख 46 हजार। यानी चार साल बीत गये। जो धन आपने अनुमोदित किया था उसका 50 प्रतिशत भी नहीं दिया फिर भी यह कहते हैं कि वनों के प्रति चिन्ता है। यही नहीं एक और बात देखिए। 1978-79 में जो आवंटन किया है वह इस प्रकार है—20 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में जंगल हैं वहां के लिये 3 करोड़ 16 लाख और पर्वत के लिये जहां 60 प्रतिशत जंगल हैं वहां के लिये 3.63 करोड़, इनकी कौन सी गणित है, कौन सी लाजिक है। यही नहीं आपकी सिफारिश से जो केन्द्र घोषित योजनायें हैं उनमें भी आपने क्या किया ?

मान्यवर, मैदानी क्षेत्र के लिये 4 करोड़ 56 लाख अगर पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 4 करोड़ 13 लाख है। यह है आपका वन विज्ञान, यह है आपकी वनों के बारे में चिन्ता, यह है आपकी वनों के बारे में उत्सुकता। मान्यवर, हकीकत क्या है ? हकीकत है कि इनकी वन विभाग की कोई नीति नहीं है। आमतौर से जो नीति रही है, यह रही है कमर्शियलाइजेशन। केवल व्यापारिक नीति रही है कि जिससे लाभ होता रहे। बस इतनी ही चिन्ता रही है जंगलों के बारे में। आपकी नीति रही है कि किस तरीके से जंगलात विभाग से अधिक से अधिक रेवेन्यू मिले यानी रेवेन्यू ओरियन्टेड पालिसी रही है। कमर्शियल फारेस्ट पर जोर दिया। इसी का कारण है कि लगातार जंगल कटते जा रहे हैं। आपका कहना है कि जहां तक देवदार का सवाल है, जहां तक चीड़ का सवाल है, रोयर, मोरेठ और हड़ का सवाल है, उसके लिये कहा गया कि जंगल मौजूद हैं लेकिन बांस और दूसरी चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल किसान करते हैं, जिससे उनको घास-पत्ती मिली है, पानी के स्रोत मिले हैं, उनके लिये ध्यान नहीं दिया। अब उनके लिये बहाना जरूर है कि चूंकि हमारे अधिकार में नहीं है, इसलिये ध्यान नहीं दिया। टेहरी गढ़वाल के रहने वालों, रियासत के राजाओं ने तो उनको अपना अधिकार जंगल विभाग को दे दिया आप कानून के अन्दर परिवर्तन कर सकते थे। नये कानून बना सकते थे। जिन जंगलों से गांव की जनता का जीवन जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

मान्यवर, यही हाल वन पूंजी के बारे में भी हुआ है। वन पूंजी के बारे में आप तो समाजवाद की बात नहीं करते, लेकिन बहुत से भाई आपके बीच में समाजवाद की बात करते हैं। हकीकत यह है कि अब तक जो नीति रही है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी साहब, आप कृपया 10 मिनट में खत्म कर दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ठीक है, मान्यवर, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार अब तक की सरकारों की नीति रही है। अब वह चाहे इनकी सरकार रही हो, या चाहे आपकी रही है, चाहे चौधरी चरण सिंह की एस0बी0डी0की सरकार रहीहो, या टी0एन0सिंह की सरकार रहीहो, जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जंगलों की वन उपज की बड़े-बड़े पूंजीपतियों से लूट कराई है। हमारे समाजवादी मित्र उधर बैठे हैं, वे क्या सलाह देते हैं श्रीचन्द जी को। मान्यवर, लगातार लूट हो रही है। कच्चा माल पहाड़ के अन्दर, 'विमको' कारखाना बरेली के अन्दर, प्लायी वुड पहाड़ के अन्दर, कारखाना लगा है सीतापुर के अन्दर, लीसा निकल रहा है पहाड़ों पर, कारखाना लगा रहे हैं बरेली के अन्दर। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्यों हो रहा है लगातार ? मंत्री जी पहाड़ों पर जाते हैं तो भाषण देते हैं कि पहाड़ों की वन उपज का इस्तेमाल पहाड़ की जनता के लिये करेंगे। पहाड़ों पर बेरोजगारी की समस्या दूर करेंगे। तो एक तरफ को यह कहते हैं और दूसरी तरफ वहां की खुली लूट करा रहे हैं।

मान्यवर, जो छोटी-मोटी इण्डस्ट्रीज लगायी हैं पहाड़ों पर, उनको आप कच्चा माल नहीं दे रहे हैं। आई0टी0आर0, बरेली को लीसा दिया जा सकता है, क्यों ? क्योंकि आपकी सरकार का कहना है कि आई0टी0आर0 से वचनबद्ध हैं। आप विकास निगम को लीसा दे रहे हैं, हालांकि गढ़वाल में विकास निगम का जो कारखाना लग रहा है, वह अभी साल भर तक तैयार नहीं होगा और मेरी सूचना है कि आपने जो लीसा वहां दिया है, वह इस गर्मी में बरबाद होने जा रहा है। तो वहां के लिये दे सकते हैं, लेकिन उन छोटी-छोटी यूनिट्स को, जिनको आपने आश्वासन दिया है कि इतने साल तक लीसा मिलता रहेगा और उन्होंने उसी आश्वासन के आधार पर कर्ज लेकर छोटी-छोटी यूनिट्स भी लगा ली हैं, उनको लीसा देने के लिये तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, एक समिति बनायी। उस समिति में अपने दल के लोगों को रखा है, इसी माननीय सदन के वे सदस्य हैं। उस समिति के सदस्यों को मजबूर हो कर वाक आउट करना पड़ा उस कमेटी से जिसमें उनको रखा था इसलिये कि आप नाम लेते हैं, गांवों की ओर चलो, जनता पार्टी का नारा है, गांवों की ओर चलो। फिर याद आता है कि शहरों में घूम-घूम कर बरेली, सहारनपुर, सीतापुर नजर आता है, गांवों को भूल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह से छोटी-छोटी इकाइयां आपके विभाग की संस्तुति पर लगी थीं। मेरा निवेदन है, उन इकाइयों को खत्म न होने दीजिए। एक नयी नीति तय करने की कोशिश की गयी है। मैं आपके अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ईमानदारी के साथ आपके सचिवालय में अनुसरण करने की भी कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने बताया हाफ हार्टेड तरीके से कोई नीति नहीं चल सकती। प्रश्न यह था कि जंगलों का आपरेशन बड़े-बड़े मालदार करते हैं, ऊंची बोलियां बोलते हैं उसके बाद अपनी रकम वसूल करने के लिये अवैध कटान करते हैं। लिहाजा इनको बन्द कर दिया जाय और छोटे-छोटे लाट बनाये गये और वादा किया गया कि कोआपरेटिव्ज को ठेके दिये जायेंगे।

इसके अलावा फारेस्ट कार्पोरेशन आपने बनाया। लेकिन तजुरबा क्या है ? जो बड़े-बड़े मालिक थे वे छोटे-छोटे लाट्स में घुस गये। पूरे गढ़वाल के अन्दर इस समय तीन देहरादून के खान्दान हैं जिनकी जंगलों पर मानोपली बन गयी है। छोटे-छोटे लाट जिनके लिये बनाये गये थे वे वैसे ही रह गये। हर विभाग, चाहे वह वन विभाग हो, पी0डब्ल्यू0डी0 हो, सिंचाई विभाग हो, कहना है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन कहीं प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अगर किसी समिति को प्राथमिकता दी जा रही है तो उन्हीं को जिनमें तिकड़मबाज लोग मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के अन्दर वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं। वह नहीं चाहते हैं कि बड़े-बड़े मालदारों के मुकाबले में छोटी-छोटी समितियों को ठेके दिये जायं।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी--]

कार्पोरेशन का आयडिया क्या था ? उस समय दिमाग में यह था कि मालदारों की जगह छोटे-छोटे लाट बिकेंगे और सहकारी समितियों को दिये जायेंगे, मार्केटिंग और फाइनेनसिंग का काम कार्पोरेशन करेगा । इस तरह से जो काम बड़े-बड़े पूंजीपति कर रहे हैं, यह आपरेशन कार्पोरेशन करेगा । जैसी पुराने कांग्रेसियों की आदत थी, उसी परम्परा पर चल रहे हैं । नाम ले लिया समाजवाद का कोआपरेटिव फार्मिग का । फारेस्ट कार्पोरेशन को कितना ऋण दिया ? 17 लाख रुपया । एक जंगल को आपरेट करने के लिये कम से कम 1 करोड़ रुपया लगता है । आप समझते हैं कि 17 लाख रुपया देकर जंगल का आपरेशन करा सकेंगे । केवल जनता की आंखों में धूल झोंकना है । मेरा निवेदन यह था कि कार्पोरेशन के फाइनेन्स को दुरुस्त कीजिये । बजाय इसके कि ठेकेदारी का काम करें, यह मार्केटिंग और फाइनेंसिंग का काम करे ।

दूसरी बात वन विभाग के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं । पुलिस वाले और दूसरे लोग काम कर लेते हैं लेकिन बेचारे जंगल के फारेस्ट गार्ड और मुहर्रिर के बच्चों के पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है । जिस बेचारे ने शहर को 6 महीने बाद देखा हो और वह भी जब कि बड़े साहब की डाक लेकर जायगा । उनके लिये आप कुछ कीजिए । मैं मैदानी इलाके की तो बात नहीं जानता लेकिन पहाड़ के क्षेत्र की तो मैं जानता हूं कि जितना बड़ा उसका बीट होता है असम्भव है कि वह उसकी चौकीदारी कर सके । कृपया उसके बीट को न बढ़ाइये ।

मान्यवर, इसी विभाग में एक खूंट मुहर्रिर होता है । वह डेली वेजेज पर रखा जाता है । वर्षों तक वह काम करता होता है लेकिन उसकी नौकरियों को पक्का नहीं किया गया । मेरा निवेदन है कि आपका विभाग रेवेन्यू अर्निंग विभाग है । आप इस आमदनी में से कुछ इन फारेस्ट गार्ड्स को दे दीजिए और इन चौकीदारों को दे दीजिए । आज आपके यहां पर उल्टा हो रहा है । एक कन्जर्वेटर के स्थान पर 6-6 कन्जर्वेटर हो रहे हैं । ऊपर के लोगों के पद तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन नीचे वालों के लिये आप कुछ नहीं कर रहे हैं । मेहरबानी करके आप ऊपर के पदों को कम कीजिए, कुछ असली काम कीजिए । इस विभाग में जो फारेस्ट गार्ड्स हैं उनकी दशा को सुधारिए ।

जंगलों में रिंगाल एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे टोकरियां और चटाइयां बनायी जाती हैं, वह भी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है । उसको लेना मुश्किल हो रहा है ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनमें और गूजरों में क्लैश हो जाते हैं । जब उनकी भैंस चरने के लिये जंगलों में जाती हैं और जब वापस आती है तो वे खेतों को नष्ट कर देती हैं । मेरे क्षेत्र में बड़ा संघर्ष इन गूजरों और वहां के कृषकों में होने जा रहा है ।

मान्यवर, चूंकि इस बिल के पास होने का 7 बजे तक का समय है मैं आखिर तक नहीं रुक पाऊंगा । चूंकि मुझे जाना है, इसलिये आपसे क्षमा चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

आपको तो रहना चाहिये था ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, गाड़ी जा रही है ।

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग की मतदानों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं ।

हर काम में कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं जिससे उनका निराकरण किया जाता है । माननीय नेगी जी ने यह बात कही कि जंगलों को बुरी तरह से काटा जाता है । वास्तव में यह बात नहीं है । खास प्लान के अनुसार ही पेड़ काटे जाते हैं । 10 या 15 वर्षीय प्लान के अनुसार जो पेड़ निकाले जा सकते हैं, उनको ही निकाला जाता है । उनकी अननेसेसरी सेक्रिफाइस नहीं होती है । इतना अवश्य कहूंगा कि हैवी कटान की परिपाटी चली आ रही है । पहले वे पेड़ काटे जायें जो मेच्योर या ओवर मैच्योर हो गये हैं । मेरी भी प्रार्थना है कि जवान व कम उम्र हों उनको कुर्बान कम किया जाय । उससे हमारा भूमि कटाव भी कम होगा, इरोजन भी कम होगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि खूटें मुहर्रिर का जो स्टाफ होता है वह टेम्पोरेरी स्टाफ होता है, जो लोग पुराने हो जाते हैं, उनको फारेस्ट गार्ड कर दिया जाता है लेकिन हर एक को फारेस्ट गार्ड नहीं बनाया जा सकता है । जो इस बारे में नियम चले आ रहे हैं, वे ठीक हैं ।

हमारे यहां जमुना व चम्बल के किनारे बड़े-बड़े बीहड़ इलाके हैं जिनमें नित्य प्रति कटाव होता रहता है । अगर वहां पर कटाव को बन्द न किया गया तो जो हमारे बड़े-बड़े शहर व कस्बे हैं, एक दिन वे भी इन कटावों में शामिल हो जायेंगे । लिहाजा यह जरूरी है कि वहां पर वृक्षारोपण किया जाय। जो कटाव होते चले जा रहे हैं, उनमें स्वायल कंजरवेशन किया जाय, बंध बनाये जायं, पेड़ लगाये जायं, जिससे कटाव कम हो। वाटर लेविल जो दिन प्रति दिन घटता चला जा रहा है वह कम हो। पुराने जंगल जो कट गये हैं, उसकी रोक-थाम अगर सरकार ने नहीं की, तो वह भी कभी नंगे पहाड़, बीहड़ बन जायेंगे । वृक्षारोपण के लिये स्टाफ की जरूरत होती है, फारेस्ट गार्ड की व रेन्जरों आदि की जरुरत होती है । इस समय वन विभाग में स्टाफ की बहुत कमी है, जिसका परिणाम यह होता है कि पहाड़ी व मैदानी जंगलों की देख भाल नहीं हो पाती है। इस विभाग में अधिकतर स्टाफ बढ़ाने की बहुत जरुरत है । इस विभाग में वही पुराने केडर का स्टाफ है जो पहले से चला आ रहा है ।

अरण्यपाल इस वक्त केवल 9-10 ही हैं, उप अरण्यपाल भी कम हैं । जब तक इन जंगलों में स्टाफ की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उसका कंट्रोल कभी अच्छा नहीं हो सकता जैसे पुलिस विभाग में पहले आई० जी० केवल एक ही होता था, अब उसमें आई० जी० 4-5 हैं । आई० जी० पुलिस, आई० जी० विजीलेंस, आई० जी०, पी० ए० सी० आदि अब पुलिस विभाग के अन्दर हो गये हैं । उसी तरह से इस जंगलात विभाग में भी 2 मुख्य अरण्यपाल होने चाहिये । मेरा आपसे, आपके माध्यम से मान्यवर, वित्त मंत्री व मुख्य मंत्री व मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 2 मुख्य अरण्यपाल होने चाहिये, अगर ऐसा नहीं होगा तो इस विभाग पर कंट्रोल ठीक नहीं होगा । इसलिये आप उसका प्राविधान करें । एक मुझे जरूरी बात और कहनी है, वह यह है कि जब तक आप रेंजर्स वगैरह नहीं बढ़ायेंगे, तब तक वन विभाग में कंट्रोल होना असंभव होगा । साथ ही साथ यह जरूरी है कि वनों के प्रोटेक्शन के लिये स्टाफ की जो कमी है, उस कमी को पूरा किया जाय। जैसा कि मैंने अपने पहले बजट वक्तव्य में भी कहा था कि 4-5 फारेस्ट गार्ड मारे गये या किसी ने मार डाला, उनकी रक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ।

[श्री गंगा सहाय यादव---]

जब तक इन फारेस्ट गार्डों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था न की जायगी, तब तक पहाडों में या मैदानों में जंगलों का संरक्षण नहीं हो सकता। अकेले फारेस्ट गार्ड जंगल में जाता है, बदमाश पेड़ काटते हैं। अगर वह कुछ इंटरफियर करता है तो उसको जान से हाथ धोना पड़ता है। अभी इस साल के अन्दर 9 मृत्युयें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी अभी तक फारेस्ट गार्डों की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, मेरा एक निवदन यह है कि जिस प्रकार से, सब-इन्पैक्टर के मार जाने पर या पुलिस के सिपाही आदि के मारे जाने पर, उसके आश्रितों को पेंशन भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार से इस विभाग के फारेस्ट गार्ड या फारेस्टर के मारे जाने पर उनके आश्रितों को पेशन भत्ता दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, जिस प्रकार से सर्विस पूरा करने के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन भत्ता मिलता है, उसी प्रकार से ऐसी मृत्यु पर, मृतक के आश्रित को भी सुविधा मिलनी चाहिये। मान्यवर, एक बात मुझे और कहनी है कि जो स्थाई भत्ते इन जंगलात के कर्मचारियों को पहले मिलता था, वही भत्ता आज भी उनको मिल रहा है, जब कि मंहगाई अब बीसगुनी हो गयी है। अब तक सरकार ने उनके लिये कुछ ख्याल नहीं किया। सरकार को उनके लिये ख्याल करना चाहिये। जैसा नेगी जी ने कहा था कि जो बच्चे उनके पढ़ते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी पढाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उनके बच्चों की पढाई की व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि इसमें समय कम है, अब आप समाप्त करें।

श्री गंगा सहाय यादव--

हमारे यहां पर कुछ अधिकारी वर्ग ऐसे हैं जो कि कभी बरेली, कभी आगरा, कभी फिर बरेली और कभी फिर आगरा, हर अधिकारी को मौका होना चाहिये कि सूबे की अन्य जगह भी जाय एक ही जगह नियंत्रित न रहे, कि वहीं घूमता रहे। दूसरे को मौका न मिले, यह ठीक नहीं है,। एक वन अधिकारी ऐसे हैं नाम नहीं लूंगा कि कभी बरेली में, कभी आगरे में व कभी मेरठ में ही रहे हैं। लेकिन यह पता नहीं कि वह कभी पूरब या पहाड़ों में भी गये हों। मैं आग्रह करूंगा कि इसका ख्याल रखा जाय। मान्यवर, एक अन्य बात यह है कि पहले अफेक्टिवटूर्स हुआ करते थे। पुराने अधिकारी किया करते थे। जब से नये आफिसर्स आये हैं तो प्रोटेक्शन में कमी होती जा रही है। अन्त में वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री छोटे लाल निर्भय (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री का ध्यान मजदूरों की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बीड़ी बनाने वाले कारीगर लभग 5 लाख के करीब हैं, लेकिन वे पूंजीपतियों के कारखाने में जाकर के बीडी बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि सोसाइटी के माध्यम से उन कारीगरों को बीड़ी का पत्ता दिया जाय।

दूसरी बात, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव में हमारी पार्टी का मिशन है 'गांव की तरफ बढ़ो'। हमारे गांव में लोहार, बढ़ई तथा अन्य किस्म के कारीगर हैं जो फर्नीचर का कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में यह रवैया रहा कि बड़े बड़े पूंजीपति जंगल का ठीका लेते हैं और लेकर के दुकान लगाते हैं, उस पर ग्रामीण मजदूर कारीगरों को मेहनत का पूरा पैसा नहीं देते, वे अपना पेट जैसे-तैसे पालते हैं। मेरा सुझाव है कि उन कारीगरों को सोसाइटी के माध्यम से लकड़ी का काम दिया जाय ताकि अच्छे ढंग का फर्नीचर बनाकर जीविकोपार्जन कर सकें। (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट और टाइम दें। 30 साल के कांग्रेस का शासन बीत गया। लेकिन आज जनता पार्टी का शासन है 14 अप्रैल का दिन है, जिस दिन देश के महामानव का जन्म हुआ था जिन्होंने करोड़ों-करोड़ों लोगों को मार्ग दिखाया। जो करोड़ों-करोड़ों लोगों के मसीहा थे--बाबा साहब अम्बेदकर। आज तो सदन बन्द होना चाहिये था लेकिन कांग्रेस शासन में उनके जीवन की कोई बातास्तिका में नहीं आयी, उनका कहीं नाम नहीं आया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छुट्टी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि के लिये दो मिनट सदन का टाइम लेकर मौन रहना चाहिये ताकि उन की आत्मा को शांति मिले। इससे करोड़ों लोगों को यह बात मालूम रहेगी कि जनता सरकार ने हमारे पैगम्बर, हमारे मसीहा का खयाल किया है। सरकार इस बात को आगे चलकर सोचेगी--छुट्टी के बारे में और कांग्रेस के शासन में जो उनकी अवहेलना हुई है उसका निराकरण होगा और लोग समझेंगे कि वास्तव में जनता पार्टी की सरकार हमारे हित में कुछ सोचती है। आज 14 अप्रैल को एक जलूस बहुत बड़ा निकाल करके ....

श्री अध्यक्ष--

देखिये आप....

श्री छोटे लाल 'निर्भय'--

मैं अब अपना विचार समाप्त करता हूं, माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय नेगी साहब के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह मेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, इधर भी ख्याल कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम अवार जी, इस पर बम्पर अधिकार उनका होता है जो वनों में रहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

मान्यवर, मैं माननीय वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं संक्षेप में 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि पर्वतीय ग्राम वासियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मैं वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनके अधिकारों को बढ़ाने की कृपा करें। अगर री-सेटिलमेन्ट संभव नहीं है तो कोई ऐसी चीज होना चाहिये कि जिन ग्रामों को अधिकार नहीं है उनको अधिकार दिये जायें।

चिपको आन्दोलन की बात कही जा रही है। पर्वतीय अंचल का इससे बहुत बड़ा अहित हुआ है। पहले जो आक्शन हुआ करता था और एक वैज्ञानिक ढंग से ड़ों को निकलवाया जाता था वह तरीका फिर से चालू किया जाये क्योंकि आ

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा--]

वनों में काम करने वाले हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। आक्शन समय से न होने केकारण हजारों मजदूर आज रोटी-रोजी के लिये तरस रहे हैं। उसके लिये वे परेशान हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन बेकार मजदूरों को काम पर लगाने की व्यवस्था करें चाहे टेन्डर सिस्टम लागू करें या आक्शन की व्यवस्था करें। जो हमारा पुराना सिस्टम था उसकी ही व्यवस्था की जाये।

मैं माननीय वन मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है कुछ कार्यों में विशेष गति आयी है। अगर आप पहाड़ों पर जायेंगे तो देखेंगे कि जगह-जगह पथ-वन बन गये हैं, रास्ते में खाली जगहों पर पेड़ लगाये गये हैं। चूंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी उनके मेन्टीनेन्स की भी व्यवस्था करायें वरना सारा पैसा जो उन पेड़ों को लगाने में व्यय हुआ है व्यर्थ चला जायेगा।

एक बात नेगी जी ने कही, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। पूर्व के अन्य वक्ताओं ने भी कहा है, फारेस्ट गार्ड्स की हमारे यहां बहुत कमी है। वन रक्षकों की नियुक्ति पर भी माननीय मन्त्री जी को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

कुछ लोगों ने एक्सचेंज के रूप में प्लान्टेशन के लिए जंगलात की भूमि लेने के लिए आवेदन किया है। इसमें वन विभाग की कोई क्षति नहीं है, जिन लोगों ने एक्सचेंज में भूमि लेने के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

एक बात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में कहूंगा। दोगड्डा में कुछ मौतें हुई हैं। मेरे अपने क्षेत्र रानीखेत में भी मौतें हुई हैं। जिन लोगों की मौतें हो गई हैं उनकी सरकार को कुछ मदद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं वन ही प्रदेश और राष्ट्र की सुख-समृद्धि के साधन हैं। परन्तु आज जो वन हैं वह चन्द लोगों के सुख-समृद्धि का साधन बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकता है उसको देखते हुए हमको वनों का निर्माण और उत्पादन करना है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि यदि गाय को पूरी खुराक न दी जाय और लगातार दूध निकाला जाय तो गाय नहीं रहेगी और दूध भी नहीं देगी। आज वनों की स्थिति ठीक इसी प्रकार से है, दोहन हो रहा है और वनों का विनाश हो रहा है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 70 प्रतिशत वन हैं लेकिन यह वन नंगे हो रहे हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र के वन नंगे हो गए और पहाड़ नंगे हो गए तो बड़ी-बड़ी नदियां सूख जायेंगी और उनके सूखने से बड़े-बड़े डैम चाहे कालागढ़ डैम हो, चाहे टेहरी डैम हो या मनेरी व जमुना स्कीम हो, तो यह डैम सूख जायेंगे और देश के सामन एक बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी। इसके साथ-साथ वनों के न रहने से जो बड़े-बड़े कारखाने और उद्योग-धंधे खड़े हुए हैं उनको अपार क्षति पहुंचेगी। इसलिए उद्योगों को पनपाने और सुख-समृद्धि के लिए वनों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

आज आरक्षण की मांग होती है। इस आधार पर कई हजार वर्ष पूर्व सही मानों में आरक्षण किया गया था और कहा गया था कि बट और पीपल के जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। यह मानव-कल्याण के लिए था। लेकिन अब जिस तरह से वन विभाग द्वारा वनों का कटान हो रहा ह, वह ठीक नहीं ह। वन विभाग के सम्बन्ध में एक बठक हुई थी

उसमें हम सब विधायक गए थे। कहा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर वनों का कटान हो रहा है। मैं कहता हूं कि वनों का दोहन वैज्ञानिक आधार पर नहीं हो रहा है और वनों का निर्माण और उत्पादन भी वैज्ञानिक आधार पर नहीं हो रहा है। वन मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक विभाग को व्यवस्था का काम दिया जाय और दूसरे विभाग को वनों की रक्षा, निर्माण और उत्पादन का काम दिया जाना चाहिए। वनों का दोहन अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विभाग को दो हिस्सों में कर देना चाहिए। साथ ही साथ जैसा गोविन्द सिंह नेगी जी ने कहा है मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वन उगे हैं वह चन्द पैसे वाले हैं उनकी सुख-समृद्धि का साधन बने हुए हैं। और इस तरह से वनों की एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वनों से वन सम्पदा प्राप्त होती है। तमाम जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं। लेकिन हिमालिया ड्रग कम्पनी, बम्बई में है जो दवायें बनाकर बाहर भेजती है और करोड़ों रुपए पैदा करती है। मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में जो वन सम्पदा पैदा होती है उसके छोटे-छोटे कारखाने उस क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए।

आज लकड़ी तो पहाड़ पर पैदा होती है लेकिन फर्नीचर कानपुर में बनता है और वह फिर यहां से जाकर गढ़वाल में सप्लाई होता है। इस तरह से उस फर्नीचर की कीमत अधिक हो जाती है और उपभोक्ता को उसके ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। जिस क्षेत्र में जो वन सम्पदा हो उस क्षेत्र में उसके उद्योग-धंधे स्थापित करने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र में दारहल्दी जिसको किलमोड़ा कहते हैं उस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। लेकिन देहरादून की सड़कों पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी किलमोड़ा के ट्रक के ट्रक चोरी से जाते हैं और पहाड़ नंगे हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक ढंग से जितने प्रतिशत वन होने चाहिए आज उतने प्रतिशत वन नहीं हैं। वनों की वैज्ञानिक ढंग से निर्माण, उत्पादन और रक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि वन विभाग के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनकी सुख-सुविधा का बड़ा ध्यान दिया जाता है। छोटे कर्मचारियों की उपेक्षा ही,। अभी हमारे देहरादून में एक फारेस्ट गार्ड मारा गया। उसके 8 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि छोटे कर्मचारियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखें। दुर्घटना ग्रस्त छोटे कर्मचारियों को दस हजार रुपया मुआवजा दिया जाय। जो करोड़ों रुपए की सम्पत्ति वन विभाग कमाता है वह अपने छोटे कर्मचारियों की उपेक्षा करता है इससे वनों की रक्षा नहीं हो रही है।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस किताब में कहा गया है कि जंगल के ठेकेदार ऊंची बोली बोलकर ठेका लेते थे। वह नाजायज कमाते थे। इसलिए वन निगम को यह काम सौंपा गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या उसको सौंपने से नाजायज कटान रुक गई है? जो क्षेत्रीय और प्रभावशाली वहां के लोग थे वही यह करते थे और वह आज भी कर रहे हैं। लाखों रुपए का जंगल आज भी कट रहा है। वन निगम द्वारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उसका मान्यवर, मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अभी इस किताब में यह बताया गया है कि रायलिटी जो वन निगम को दी जाती है वह 12 प्रतिशत-10 प्रतिशत जंगल से कम दी जाती है। मेरे पास आंकड़े हैं।

गोंडा में नार्थ और साउथ दो डिवीजन हैं। साउथ डिवीजन में वन निगम काम करता है, नार्थ डिवीजन में नीलाम होता है। उसके आंकड़े मेरे हिसाब से 1976-77 में साउथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिन्दू लाल—]

गोंडा में वन निगम को साखू की लकड़ी दी गई 238 रु0 क्यूबिक सेन्टीमीटर। उसी का नीलाम जो नार्थ गोंडा में हुआ उसकी रायलिटी 1,074 रु0 क्यूबिक सेन्टीमीटर आई है। तो 10–12 प्रतिशत की बात करते हैं लेकिन जंगल वालों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 70 प्रतिशत रायलिटी कम वन निगम को दे रहे हैं। लाभ 9 लाख रुपया 1974–75 में और 15 लाख रु0 1976–77 में दिया गया है। साउथ गोंडा में इस प्रकार 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

मान्यवर, जंगल के ठेकेदार चोरी करते हैं यह कहा जाता है। मैं मानता हूं कि कुछ ठेकेदार चोरी करते हैं। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि आप करोड़ों रुपए का नुकसान करायें। इसलिए चोरी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम आप उठायें। मैं समझता हूं कि इसके लिए जंगल के कानून में कुछ कमी है। चोरी में पकड़े गए व्यक्ति से समझौता करके जुर्माना करते हैं। यदि एक लाख का जंगल काटा तो पकड़ने पर 10 हजार रुपए जुर्माना दे दिया। इससे उन्हीं को फायदा होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो चोरी करते पकड़े जायं उनसे जुर्माना ज्यादा से ज्यादा लिया जाय और जेल में भी बन्द होना चाहिए तथा मुकदमा चलाना चाहिए। इससे चोरी आप रोक सकते हैं अन्यथा निगम बनायें या ठेकेदार को दें लेकिन चोरी नहीं रोक सकते हैं।

मान्यवर, आज भी नार्थ गोंडा में जन जाति के कुछ लोग रहते हैं तो उनसे जंगल विभाग के लोग बेगार लेते हैं। हर घर से एक आदमी बेगार करता है। नाम पूछे जायं तो वह लोग नाम बता देंगे। उस बेगार की डेली बन जाती है और विभाग से चार्ज किया जाता है। थारू लोग जिसके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है और वह साखू के बीज खाकर रहते हैं। एक आदमी से साल भर बेगार कराई जाती है। यदि वे नहीं करते हैं तो जंगल में रहने के नाते उनको हर ढंग से परेशान किया जाता है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस तरफ से ध्यान दें गरीब लोगों से बेगार अभी तक ली जा रही है। आप चले जायं और पूछ लें कि थारुओं में बैधरिया कौन है इसी नाम से उनको कहा जाता है तो मालूम हो जाएगा कि बैधरिया कौन हैं। 30 साल के बाद भी आज उन जन जातियों के लोगों से थारु लोगों से जिनकी हम दुहाई देते हैं बेगार ली जाती हैं। मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे।

हमारे यहां जंगल में कुछ गांव ऐसे हैं जोकि बिल्कुल जंगल के अन्दर बसे हुए हैं और उनकी जितनी फसल होती है वह जानवर बरबाद कर देते हैं। चारो तरफ से जंगल है और बीच में गांव हैं दो तरफ जंगल है दो तरफ खुला है। मैं चाहूंगा कि उनको जंगल से बाहर निकाल कर जितनी जमीनें उनकी है उसको बरबाद होने से बचाया जाय।

हमारे वन निगम में नार्थ–साउथ गोंडा में दो–तीन लाख का काम हुआ। सभी जानते हैं कि जितने भी निगम हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार है। वन निगम में भी भ्रष्चाचार है। वन निगम में भ्रष्टाचार का उदाहरण दूं। तुलसीपुर से बरेली जो ट्रक जाते है, ट्रक का किराया 800 रुपया 100 कुन्तल के लिए है लेकिन वन विभाग इसके लिए 1800 रुपए दे रहा है। 1800 रुपए में माल बरेली जा रहा है। करोड़ों रुपयों का इस तरह से नुकसान हो रहा है। मेरे विचार से सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो जंगलों मे चोरी होती है, प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है उस तरफ ध्यान दे।

*श्री श्रीचन्द्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेगी जी ने कुछ जंगलों के बारे में जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में 27,000 वर्ग किलोमीटर जंगल है जिनमें से 17,000 वर्ग किलोमीटर जंगल विभाग के नियंत्रण में हैं। उसमें से 10,000 वर्ग किलोमीटर जंगल सिविल, स्वयं और फारेस्ट पंचायत में है। 10,000 वर्ग किलोमीटर जो जंगल सिविल पंचायत में है स्वयं के हैं वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। यह बात उनको अच्छी तरह मालूम हैं। 9,800 वर्ग किलोमीटर में कोई कटान नहीं होता है। जो आरक्षित वन हैं उनमें सिर्फ 7,200 वर्ग किलोमीटर वैज्ञानिक ढंग से कटान किया जाता है। अब सवाल यह है कि जितनी भी बातें पर्वतीय क्षेत्र की चली थीं और जो सुझाव लोगों के थे उसके सबन्ध में 22 जनवरी को सभी संसद सदस्यों और विधायकों को बुलाया गया और उनके जो मसले थे उन मसलों पर विचार किया गया। जहां तक जंगल का सवाल है सड़कें बनती हैं तो पेड़ कटते हैं और जहां नहरें बन रहीं है वहां भी पेड़ कटते हैं, दूसरी तरफ लोगों को बसाने का सवाल है। जहां तक टिहरी डैम का सम्बन्ध है, 92 गांवों को बसाना है और 613 एकड़ जमीन आज से 7,8 साल पहले जंगलात की ले ली गई थी, पेड़ काट दिए गये थे और टेहरी डैम के लोगों को नहीं बसाया गया। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी लोगों की जमीनें टेहरी डैम में आ गयी थी उनको बसाया जाय।

पिछली बार 2,100 एकड़ जमीन का प्रस्ताव किया गया, वह हरा-भरा जंगल है, उसके पेड़ काटे जायेंगे और उस में उनको बसाया जायगा। दूसरी तरफ लीसा का सवाल है। जो इकाइयां हमारे पर्वतीय प्रदेश में हैं उनको यह लीसा देने का सवाल है। पिछले साल बारिस हो जाने से उनको लीसा नहीं मिला जिसकी वजह से यह कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में गढ़वाल मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में विधायकों की एक समिति गठित की गई है संतोषजनक हल निकालने के लिए और हल निकलने पर जो इकाइयां हैं उनको लीसा दिया जायगा।

लोगों ने यह भी कहा था कि पहाड़ों में जंगलों का वैज्ञानिक कटान जारी रखा जाय और इस बिन्दु पर यही तय भी हुआ है कि उसे जारी रखा जाय। इसमें पूर्ण सहमति गढ़वाल और कुमायूं के विधायक तथा संसद सदस्यों की है। उनकी यह भी राय है कि जो कैशमेंट एरिया है जहां भूमि संरक्षण है और पानी का स्रोत सूख जाता है उस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय लेकर कटान किया जायगा। जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है यह कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उसे दिया जाय ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके। बड़े ठेकेदारों को ही काम मिलता है यह बहुत से विधायकों ने कही थी। इस पर भी विचार–विमर्श किया गया जो जंगल सड़कों के किनारे हैं और जिनको आसानी से छोटे-छोटे लाटों में दिया जा सकता है उसके लिए प्रबन्ध किया जा रहा है और जो शेष हैं जिनमें लकड़ी का लाना असंभव है, जहां सड़क बनानी होगी, अन्दर जंगलों से लाना होगा उन जगहों पर पैसेवाले ठेकेदार ही काम कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में डिटेल्स के लिए एक कमेटी बना दी गयी है जिसमें 6 विधायक हैं, वह समिति डिटेल्स वर्क आउट करेगी कि किस तरह से हम समितियों को और छोटे ठेकेदारों को काम दे सकते हैं और शीघ्र ही वह समिति अपना निर्णय ले लेगी।

तीसरे, जो श्रम समतियां है, सहकारी समितियां है जो असली होंगी उनको ही काम देंगे, यह भी तय कर दिया है। आमतौर से शिकायत यह है जैसा कि श्री गोविन्द सिंह मेहरा ने कहा कि उनके हुकूकों की बात है। उसको भी हमने रेशनलाइज कर दिया है। नजदीक के वनों से ही लकड़ी उन लोगों की दी जाएगी जिनको हक नहीं पहुंचता था। साथ ही साथ वनों से सम्बन्ध रखने के लिए स्थानीय व्यक्तियों की एक वन विकास समिति भी बनाई जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीचन्द्र—]

इसके अलावा विधायकों ने एक बात यह कही है कि पहाड़ों में लम्बी-लम्बी लाटें होती हैं। फारेस्ट गार्ड्स उनमें अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। इसके लिए 100 नई बीटें बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अच्छी तरह से वे देखभाल कर सकते हैं और जो दूर के स्थान हैं उनमें अच्छी तरह से देखरेख हो सकेगी।

जहां तक जंगली जानवरों का सवाल है यह भी हमने तय कर दिया है कि सुअरों और स्याहियों द्वारा किसानों को जो नुकसान होता है उसको भी काश्तकार, किसान अपने खेतों पर मार सकते हैं। उनको मारने की इजाजत दे दी है। तीसरी बात यह है कि जैसा कुछ लोगों ने कहा (कुछ सदस्यों के कुछ कहने पर) माननीय सदस्य आग्रह कर रहे ह कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। इस लिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जिन्होंने कटमोशन पेश किया है वे ही चले गए हैं।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वहां के जो वनवासी, आदिवासी लोग हैं उनको मकान बनाने और जलाने के लिए कौन सी सुविधा आप उन्हें दे रहे हैं?

श्री श्रीचन्द—

माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वे मुझसे अलग से बात कर लें और उनकी शंका का समाधान कर देंगे।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक वैज्ञानिकों का मत है उनकी स्पष्ट राय है कि यूक्लिप्टिस के जो पेड़ हैं वे पहाड़ों या मैदान में एक बड़ी शक्ति को खींच लेते हैं और उनका यह भी कहना है कि जहां दल-दल है वहां ये पेड़ हो ही नहीं सकते हैं। जहां दूसरे पेड़ों के साथ इन यूक्लिप्टिस पेड़ों को लगाया जाता है तो वहां पर भी ये एक बड़ी शक्ति को खींच लेते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर इन पेड़ों को तेजी के साथ लगाया जा रहा है, उस पर रोक लगायेंगे?

श्री श्रीचन्द्र

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यूक्लिप्टिस के पेड़ पहाड़ों पर लगाए ही नहीं जा सकते। मैदान में ही उसकी उपज होती है। साढ़े तीन हजार फिट के ऊपर तो ये हो ही नहीं सकते। वैज्ञानिकों की राय का जहां तक सवाल है, उससे जमीन का नुकसान नहीं होता है। इसमें विशेषज्ञों की राय ले ली गई है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल में भी ये यूक्लिप्टिस के पेड़ लगाए जाते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ये जो जंगली जानवर तेंदुए आदि हैं ये नरभक्षी के रूप में हम लोगों के यहां आ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

वन मंत्री को मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के लिये इंचार्ज श्यामधर मिश्र जी को बना दिया जाय।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० की सड़कों के किनारे लगे हुए जो पेड़ वन विभाग के सुपुर्द हुए थे उस समय उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी लेकिन वन विभाग ने उनको काटने का काम किया है। किन्तु नये पेड़ लगाने का काम नहीं किया है।

दूसरी बात वन विभाग के पास तमाम जमीन है गांवों में और वह बेकार पड़ी हुई है। मैं हरदोई की बात विशेष रूप से जानता हूं। किसानों के पास जमीन नहीं है तो क्या उसका सदुपयोग करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीचन्द्र---

आपने जो इत्तला दी है उस संबंध में आप मेरे से बात कर लें मैं अवश्य विचार करूंगा।

श्री ईश्वर प्रसाद ---

मान्यवर, यह जो वृक्षारोपण की योजना चल रही है वह संजय गांधी की लाई हुई योजना है। जब मंत्रिगण दौरे पर जाते थे और वृक्षारोपण का इनोगरेशन करते थे तो कोई पेड़ की हरी टहनी लाकर लगा दी जाती थी और वृक्षारोपण हो जाता था, वही अधिकारी अब भी हैं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपने सुझाव दिया है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42---अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 के समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42---अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,21,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56---वन के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 56---वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,31,93,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84--वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, पंतनगर के बारे में कोई सूचना आई हो तो मंत्री जी बता दें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

और कोई सूचना नहीं आई है । माननीय सदन के उठने तक कोई सूचना आयेगी तो बता दूंगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 51 के अन्तर्गत सूचना लेता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री अशफाक, श्री बिन्दू लाल, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री मित्र सेन यादव, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री रामनरेश पांडेय, श्री सोहनबीर सिंह तोमर, श्री जयराम, श्री राम सजीवन, श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी इन सब लोगों ने पृथक्-पृथक् दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला नैनीताल के परिसर में पुलिस द्वारा मजदूरों के जुलूस पर गोली चलाये जाने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तथा 60 व्यक्तियों के घायल होने के विषय में दिया है । जैसा सुबह बताया था, इसपर 17 तारीख को मुख्य मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देना तय हुआ है, तभी इस पर प्रश्न किए जा सकेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

17 तारीख के लिये कहना है कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा रामनवमी है और विन्ध्याचल में मेला होता है। अतः माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस दिन सदन न रहे, तो ठीक है उस दिन सदन न रहे ।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री को इस पर कुछ कहना है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

ऐसा है कि विधान परिषद् में, यहां कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो कार्य नियत होता है, वह चला जाता है । अतः उन्होंने भी 17 तारीख को कार्यक्रम रख दिया है और जैसा माननीय मिश्रा जी ने कहा था मैं उनकी राय से सहमत हूं और 17 तारीख को सदन का कार्य रहने दिया जाए (17 तारीख को सदन हो) ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने सूचना दी है जिसका विषय यह है कि अमरीकन गुप्तचर संगठन सी0 आई0 ए0 द्वारा नन्दा देवी क्षेत्र का जासूसी के लिये इस्तेमाल किया जाना एवं उनके द्वारा शक्तिशाली परमाणु उपकरण के छोड़ दिये जाने से गंगा के पानी का अनेकों वर्षों तक रेडियोधर्मी किरणों के कारण विषाक्त होने का खतरा। इसमें श्री गुलाब सेहरा और अरुण कुमार का भी नाम जोड़ दिया गया है, जिन्होंने और सूचना दी है। नियम 56 में भी इस पर सूचनायें आयीं थीं। जिस पर सुबह ही निर्देश दिया था कि इस संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त करके यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों और दिल्ली से भी इसमें परामर्श लेकर इस पर सरकार सदन में वक्तव्य दे, केवल वक्तव्य होगा।

अब हम उठते हैं और 17 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 36 मिनट पर सोमवार, 17 अप्रैल, 1978 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

14 अप्रैल, 1978

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 893 . .पर।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 18 में उल्लिखित मामलों की अद्यावधिक प्रगति

(1) मजीठिया परिवार गोरखपुर का मामला—

जांच समिति के प्रतिवेदन में मजीठिया परिवार, जिला गोरखपुर के 4 सदस्यों की जोत भूमि के विषय में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। मख्य रूप से यह दिखाया गया है कि इस परिवार को भूमि, बाग, डेरी व अन्य छूटों की मदों का लाभ दिया गया है जिससे इस परिवार ने लगभग अपनी सम्पूर्ण जोत को अतिरिक्त घोषित होने से बचा लिया है। सीलिंग अधिनियम के पुराने प्राविधानों के अन्तर्गत इस परिवार के 4 सदस्यों की कुल भूमि 3, 131. 71 एकड़ भूमि में से 29. 26 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हो पाई इसके अलावा अधिनियम में निर्धारित कई छूट की मदों से लाभ बहुत से बड़े खातेदारों ने उठाया है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु सीलिंग अधिनियम में वर्ष 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन कर के छूट की कुछ मदों को समाप्त किया गया है और कुछ को नियंत्रित किया गया है।

सीलिंग अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत मजीठिया परिवार के 7 सदस्यों की जोत के विषय में कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस परिवार की जोतों का कुल क्षेत्रफल 3,569. 65 एकड़ है जिसमें से 2,933. 08 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित होने के लिये प्रस्तावित है। इसका निर्णय अदालतों द्वारा यथासमय होगा।

(2) गणेश शुगर मिल्स, आनन्द नगर, गोरखपुर—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया था कि इस चीनी मिल की कुल जोत 808. 19 एकड़ थी और लम्बी मुकदमेबाजी के बाद अप्रैल, 1971 में मामले का अन्तिम निस्तारण हो सका। जिसके अनुसार 676. 77 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई। समिति द्वारा जांच के समय तक भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका।

इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—676. 77 एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि में से 341. 08 एकड़ भूमि पर कब्जा 31–1–76 को लिया गया, गणेश शुगर मिल्स की ओर से दायर एक रिट याचिका में पारित स्थगनादेश दिनांक 9 अप्रैल, 1974 के अनुसार इस भूमि का एलाटमेंट नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को देखते हुए शासन ने यह निश्चय किया कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश समाप्त नहीं होता तब तक के लिये कृषि विभाग द्वारा इस भूमि की व्यवस्था की जाय। जिले से अन्तिम रिपोर्ट यह प्राप्त हुई है कि खातेदार ने अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में एक मिस्लेनियस अपील दायर कर दी है जिस कारण शासन के कृषि विभाग द्वारा भूमि की व्यवस्था करने में कठिनाई हो गई है। शेष 326. 04 एकड़ अतिरिक्त भूमि के विषय में मुकदमा जिला जज, गोरखपुर के न्यायालय में चल रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इन दोनों मामलों में मुकदमेबाजी का अन्तिम निस्तारण शीघ्रतापूर्वक हो जाय।

सीलिंग अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत गणेश शुगर मिल्स की जोत के विषय में कार्यवाही विहित प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 8–6–1973 को इनके नाम कुल जोत 831. 87 एकड़ थी जिसमें 770. 96 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) बहेड़ी शुगर वर्क्स, बरेली—

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस चीनी मिल की कुल जोत 2,029 एकड़ थी और जांच के दिनांक तक कई अदालतों में मुकदमेबाजी के फलस्वरूप इसका अन्तिम निस्तारण नहीं हो पाया।

चूंकि उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियिम, 1972 के लागू होने के दिनांक 8–6–73 तक इस मामले का कोई अन्तिम निस्तारण नहीं हो सका था इसलिये यह मामला अवेट हो गया। संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत खातेदार की जोत के विषय में कार्यवाही पुन: प्रारम्भ की गई है। दिनांक 8 जून, 1973 को उनकी कुल जोत 2,242.73 एकड़ थी। इस वाद का निर्णय 20–10–75 को किया गया था जिसके अनुसार 856.34 हेक्टेयर भूमि (2136 एकड़) अतिरिक्त घोषित की गई। खातेदार द्वारा इस आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की गई और वाद रिमाण्ड कर दिया गया। विहित प्राधिकारी ने वाद का फसला पुन: निस्तारण 5–7–76 को किया और अन्तिम सूचना के अनुसार इस फैसले के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में दायर अपील खारिज हो गई है तथा इस निर्णय के विरुद्ध खातेदार ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

(4) अपर गैन्जेस शुगर मिल, सेवहरा, बिजनौर—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह कहा है कि इस चीनी मिल की जोत का कुल क्षेत्रफल 3,336 एकड़ था। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मामले में एक अन्य व्यक्ति ने फरीक प्रार्थनापत्र बनने का प्रस्तुत किया जो मुकदमेबाजी का बहुत बड़ा बिन्दु बन गया। अन्त में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा जिसका निस्तारण जांच के समय तक नहीं हो सका।

सीलिंग अधिनियम में वर्ष 1973 के संशोधनो के प्रारम्भ होने के दिनांक तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका इसलिए यह मामला अवेट हो गया। संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। कुल जोत 3,195.18 एकड़ पाई गई है जिसमें से 3,130.85 एकड़ अतिरिक्त होने के लिये प्रस्तावित है। इस मामले में वागर सहकारी समिति लि0 ने फरीक बनने का प्रार्थना–पत्र दिया है जो 30–8–76 को निरस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके दिनांक 6 सितम्बर, 1976 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।

(5) रामगढ़ फार्म एण्ड इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता—

जांच समिति के प्रतिवेदन से यह विदित हो गया कि इस खातेदार की जोत में से जो भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है उसे या तो वन विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है या हस्तान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है। बाद में यह बात नोटिस में आई कि यह सम्पूर्ण भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही शासन में निहित हो चुकी थी और रामगढ़ फार्म एण्ड इण्डस्ट्रीज के पक्ष में इंदराज गलत हो गया था। जांच से यह मालूम हुआ कि 6 गांवों की भूमि एसी थी जो जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही शासन म निहित हो चुकी थी और जिसका पट्टा भूतपूर्व जमींदारों ने रामगढ़ फार्म एण्ड इण्डस्ट्रीज को गलत तरीके से कर दिया था। इसे देखते हुए शासन की ओर से रेव्न्यू का प्रार्थना-पत्र दिया गया जो स्वीकार कर लिया गया है। खातेदार के नाम के पक्ष में दो ग्रामों को 1628.34 एकड़ भूमि रह गई है जिसके विषय में अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें नियत प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध खातेदार द्वारा जिला जज के न्यायालय में दायर की गई अपील खारिज कर दी गई है। विवादित भूमि अब शासन के कब्जे में है।

(6) सर्वश्री मोहन लाल, ब्रज भूषण लाल, जीतेन्द्र लाल, सतेन्द्र लाल पुत्रगण श्री बनारसी दास, ग्राम भीरूवाला, जिला बिजनौर :—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इन चारों भाइयों के पास प्रत्येक के खाते में 634 एकड़ भूमि थी। इनकी भूमि के विषय में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई किन्तु काफी भूमि को छूट बाग के निमित्त देने के फलस्वरूप इनकी जोत को अधिकतम जोत सीमा के अन्दर मानते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी गई। बाद में यह मालूम हुआ कि अधिकांश भूमि मौके पर बाग नहीं है इसलिए कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई।

संशोधित अधिनियम 1972 के लागू होने तक उपरोक्त कार्यवाही का फैसला नहीं हो सका था। अतः यह कार्यवाही अवेट हो गई। संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत पुनः नोटिस जारी की गई। इस पर खातेदारों की ओर से रिट याचिकायें दायर की गईं और माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेशों के अधीन कार्यवाही लम्बित है।

(7) एग्रीकल्चरल फार्म, शुगर मिल, धामपुर, जिला बिजनौर—

जांच समिति के प्रतिवेदन में इस चीनी मिल की जोत से सम्बन्धित कार्यवाही के विषय में वही विवरण दिया गया है जो अपर गैन्जेस शुगर मिल्स, सेवहरा के विषय में दिया गया है। इसमें भी एक कोआपरेटिव सोसायटी ने मामले में फरीक बनने का प्रार्थना-पत्र दिया और यह विवाद माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा। रिट याचिका का निस्तारण जांच के समय तक नहीं हुआ था।

संशोधन अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस चीनी मिल से सम्बन्धित पुराना मामला अवेट हो चुका है। संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत पुनः नोटिस जारी की गई। कुल 1257 एकड़ भूमि में से 1192 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित होने के लिये प्रस्तावित है। बाद की सुनवाई के बाद शकुन्तला शिशु लोक की ओर से फरीक बनने का प्रार्थना–पत्र दिया गया जो 30–8–76 को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की गई है और माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 10–9–76 के अधीन अग्रिम कार्यवाही स्थगित है।

(8) राजा भगवती प्रसाद सिंह, रामगढ़, जिला इलाहाबाद—

(9) कु0 चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह, इलाहाबाद—

जांच समिति के प्रतिवेदन में उक्त दो बड़े खातेदारों की जोत से सम्बन्धित सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि एक बार मामलों का फैसला होने के बाद कालबाधित आपत्तियों को बिना ठोस आधार के स्वीकार करने के फलस्वरूप अतिरिक्त घोषित भूमि में अत्यधिक कमी हुई। इन विषयों में जांच करने के उपरान्त यह पाया गया कि दो विहित प्राधिकारियों ने विशेष रूप से असावधानी दिखाई है और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की जा रही है। सीलिंग अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह की जोत के विषय में कार्यवाही की जा रही है। जिसमें इनकी कुल जोत 2695.34 एकड़ में से 2655.75 एकड़ अतिरिक्त घोषित होने हेतु प्रस्तावित है। मामला अभी अपील में विचाराधीन है।

(10) राजा युवराज दत्त सिंह, ओयल, जिला खीरी—

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इनकी कुल जोत 2510.96 एकड़ थी जिसमें से दिनांक 13–7–64 के आदेश द्वारा 2317.77 एकड़ भमि अतिरिक्त घोषित की गई।

इस निर्णय के विरुद्ध अपील 21–4–66 को खारिज की गई। खातेदार की ओर से रिट याचिका दायर की गई जिसका निस्तारण 8–12–67 को किया गया जिसके अनुसार मामला रिमाण्ड किया गया। इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में राज्य की ओर से अपील दायर करने की अनुमति का प्रार्थना–पत्र दिया गया जो खारिज कर दिया गया। इस मामले से सम्बन्धित आदेश की प्रति जनवरी, 1973 में प्राप्त हो सकी। इस प्रकार जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय तक इस मामले का अन्तिम निस्तारण नहीं हो पाया था।

संशोधन अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार मामला अबेट हो चुका है। खातेदार को नवीन प्राविधानों के अन्तर्गत नोटिस दी गई जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर की गई और स्थगनादेश के फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही रुकी हुई है।

(11) हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरननाथ, खीरी—

जांच समिति के प्रतिवेदन में इस चीनी मिल के फार्म के विषय में यह कहा गया है कि 2561.36 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी और वर्ष 1967 में 5 वर्ष के लिये इस भूमि का अस्थायी बन्दोबस्त चीनी मिल के साथ ही कर दिया गया और यह मियाद समाप्त होने पर अतिरिक्त घोषित भूमि को कृषि विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार इसका कोई लाभ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को नहीं मिल पाया।

जहां तक अतिरिक्त घोषित भूमि का उपयोग कृषि विभाग के फार्म के लिये करने का प्रश्न है ऐसा शासन के आदेशों के अधीन किया गया है। सीलिंग अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है। अतः इसमें कोई अनियमितता नहीं की गई।

(12) कलेक्टिव फार्म एण्ड फारेस्ट लिमिटेड, खीरी—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह विवरण दिया गया है कि इस कम्पनी के खातों की कुल जोत 3956.05 एकड़ में से 3854.25 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी। परन्तु समिति द्वारा जांच करने के समय तक अतिरिक्त घोषित भूमि की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी।

जांच कराने पर यह मालूम हुआ कि इस कम्पनी की कुल 3900.78 एकड़ भूमि मूल अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई थी इसमें से रास्ते, पानी, आबादी व झाड़ों के अधीन 700.97 एकड़ भूमि रही जिसका बन्दोबस्त सम्भव नहीं था। 1981.36 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया गया और शेष 1218.45 एकड़ विवादों में फंसी है। शासन की ओर से इन विवादों में पैरवी की जा रही है।

(13) स0 जोगेन्द्र सिंह, निवासी भंगहा, जिला बहराइच—

इस सम्बन्ध में जांच कराने पर यह तथ्य सामने आये कि इनकी कुल जोत 2,244.147 एकड़ थी जिसमें से अधिनियम के पुराने प्राविधानों के अन्तर्गत 2180.263 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी। कुछ लेखन की त्रुटि तथा पैमाइश के फलस्वरूप अतिरिक्त घोषित भूमि का रकबा घटकर 2,128.883 एकड़ रह गया जो बन्दोबस्त के लिये उपलब्ध था। इसमें से 1,308.475 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया और 133.703 एकड़ भूमि खेतों के लिये अनुपयुक्त पाई गई। शेष भूमि में से 501–308 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जे पाये गये और 185.397 एकड़ भूमि बांटने के लिये उपलब्ध पाई गई। जिलाधिकारी, बहराइच को शासन द्वारा निर्देश भेजे गये थे कि अनधिकृत कब्जों को हटाने तथा समस्त शेष भूमि को पात्र व्यक्तियों में आवंटित करने की कार्यवाही तुरन्त करायें।

स० जोगेन्द्र सिंह के खाते में पुराने प्राविधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि के शासन में निहित हो जाने के बाद जो भूमि बची उसके सम्बन्ध में अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही विहित प्राधिकारी के न्यायालय में चल रही है ।

(14) रानी चन्द्रावती देवी, निवासी कोट, पयागपुर—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह विवरण दिया गया है कि इनकी कुल जोत 1242.47 एकड़ में से अन्तिम रूप से 583 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है जिसमें से केवल 71.43 एकड़ भूमि के स्थायी बन्दोबस्त भूमिहीनों में किया गया । शेष 512.12 एकड़ भूमि ताल बधेल में हो के कारण उठाने योग्य नहीं थी ।

जांच कराने पर यह विदित हुआ कि इनकी जोत में से कुल 694.79 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसमें से 226.92 एकड़ भूमि कृषि के लिये अनुपयुक्त पाई गई और 85.98 एकड़ भूमि का स्थायी बन्दोबस्त किया गया । 364.25 एकड़ भूमि अनधिकृत कब्जों में पाई गई और शेष 17.64 एकड़ भूमि आवंटन योग्य बची थी । अनधिकृत कब्जों के अधीन भूमि पर से काबिजान को बेदखल करने के आदेश जिलाधिकारी को भेजे जा चुके हैं । बेदखली के उपरान्त प्राप्त भूमि का आवंटन भूमिहीनों में किया जायगा ।

(15) एस्कोर्ट फार्म, लिमिटेड, काशीपुर, जिला नैनीताल—

जांच समिति के प्रतिबेदन में छूट की गई मदों का उल्लेख करते हुये यह कहा गया है कि इस कम्पनी की जोत में से अन्तिम रूप से केवल 156.03 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा सकी । इसमें से 23.49 एकड़ भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि एस्कोर्ट कम्पनी ने इस भूमि को बलसुरा कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया था ।

जहां तक छूट की मदों के अन्तर्गत इस खातेदार द्वारा लाभ उठाने का प्रश्न है अधिनियम में संशोधन करके छूट की मदों को नियंत्रित किया गया है और भविष्य में यह लाभ बड़े पैमाने पर नहीं मिल सकेगा । जिस अतिरिक्त भूमि को बलसुरा कम्पनी को हस्तान्तरित करन के फलस्वरूप कब्जा मिलने में कठिनाई का उल्लेख किया गया है यह समस्या अब हल हो चुकी ह । इस भूमि के बदले में खातेदार ने अन्य भूमि शासन को दे दी है और सम्पूर्ण अतिरिक्त घोषित भूमि की व्यवस्था नियमानुसार की जा चुकी है ।

अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अनुसार मेसर्स एस्कोर्ट फार्म की जोत के सम्बन्ध में सीलिंग क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जा रही है । इनकी जोत 1,229.25 एकड़ थी और इसमें से 1,205.33 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित होने के लिये प्रस्तावित है । अन्तिम सूचना के अनसार जिला जज के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट दिनांक 17 नवम्बर, 1977 को खारिज हो गई है और शासन द्वारा सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही प्रारम्भ के आदेश जिलाधिकारी को भेजे जा चुके हैं ।

(16) राजा दिनेश सिंह, काला कांकर, प्रतापगढ़—

जांच समिति के प्रतिवेदन में बाग के निमित्त 561 एकड़ की छूट का उल्लेख किया गया है । इनकी जोत 760 एकड़ भूमि में से 125 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई । अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत कई आपत्तियां दायर हुई जिनके निस्तारण के फलस्वरूप अतिरिक्त भूमि घटकर 92 एकड़ रह गई । समिति की सूचना के अनुसार केवल 50 एकड़ भूमि का ही प्रबन्ध किया जा सका था ।

चूंकि बाग भूमि को नियमों के अन्तर्गत छूट थी, अतः इसका लाभ खातेदार को दिये जाने से कोई अनियमितता नहीं हुई । वर्ष 1972 के संशोधन अधिनियमों द्वारा अब इस छूट को नियंत्रित किया जा चका है ।

अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अनुसार राजा दिनेश सिंह की जोत के विषय में कार्यवाही की जा रही है। जो अपील स्तर पर लम्बित है। इनकी कुल जोत 565.38 एकड़ में से 446.69 एकड़ भूमि अतिरिक्त होने के लिये प्रस्तावित है।

(17) कुं0 उदय सिंह, भदरी, प्रतापगढ़—

जांच समिति के प्रतिवेदन में इस मामले में भी छूट की मदों और नियत तिथि से पूर्व हस्तान्तरण के आधार पर काफी भूमि अतिरिक्त होने से बचाने की बात कही गई है। कुल जोत 994 एकड़ में से अन्तिम रूप में 130 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हो पाई।

छूट की मदों का लाभ उस समय प्रचलित अधिनियम के अनुसार दिया गया। अब 1972 के संशोधन अधिनियम के अनसार बाग भूमि की छूट समाप्त कर दी गई है और भविष्य में इसका लाभ नहीं हो सकेगा।

संशोधित अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री उदय सिंह की जोत के विषय में कार्यवाही की गई है। इनके खाते की 291.20 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। इस भूमि में से 221.88 एकड़ भूमि की व्यवस्था अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत सरकारी योजनाओं में 35.48 एकड़ का नियतन धारा 27 (7) के अन्तर्गत गांव सभा में तथा 15.56 एकड़ भूमि का आवंटन भूमिहीनों में किया गया है। शेष 18.28 एकड़ भूमि व्यवस्था करने हेतु बची हुई है।

(18) राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मनकापुर, गोण्डा—

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कई अदालतों में मुकदमे बाजी के बाद 2,128 एकड़ में से 1,098 एकड़ भूमि दिनांक 30 नवम्बर, 1971 को अतिरिक्त घोषित हुई। इस भूमि के विषय में अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत 218 आपत्तियां दायर हुई जिनमें से कुछ का फैसला समिति द्वारा की गई जांच के समय तक नहीं हुआ था और इस कारण भूमि पर कब्जा भी नहीं लिया जा सका। अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत आपत्तियों के निस्तारण में अवश्य ही विलम्ब हुआ है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही राजस्व परिषद् के माध्यम से की जा रही है। शेष बची सभी आपत्तियों का निस्तारण अब किया जा चुका है और भूमि पर कब्जा लेकर भूमि की व्यवस्था की जा रही है।

(19) महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बलरामपुर—

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इनकी कुल जोत का क्षेत्रफल 2,853.44 एकड़ था जिसका फैसला मार्च, 1966 में हुआ परन्तु वर्ष 1969 में अपील द्वारा मामला रिमाण्ड कर दिया गया। समिति द्वारा की गई जांच के समय तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया था।

संशोधन अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अधीन यह मामला अवेट हो चुका है। नवीन प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मामला 28 सितम्बर, 1977 को नियत प्राधिकारी द्वारा निर्णीत हुआ परन्तु अग्रिम कार्यवाही अपीलीय न्यायालय के आदेश से स्थगित है।

(20) गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर—

जांच समिति के प्रतिवेदन में यह विवरण दिया गया है कि इस फार्म का कुल क्षेत्रफल 4,532 एकड़ है जो 14 नामों में अंकित है परन्तु मूल सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत इस फार्म के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि कोई सहकारी समिति बनाई गई थी तो भी जांच समिति के अनुसार सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी।

जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर के दो गांवों में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 4,531 एकड़ है, जिसके विषय में मूल सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई थी । लार्ज लण्ड्स होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट के अधीन कार्यवाहियां की गई जिसमें खातेदारों की ओर से कहा गया कि यह फार्म सहकारी समिति की सम्पत्ति है जिसके 105 हिस्सेदार हैं कुछ अदालतों द्वारा इस बात को स्वीकार करते हुये फैसले किये गये । भू-अभिलेखों में यह भूमि 14 व्यक्तियों के नाम ही दर्ज है और कभी भी समिति की या किसी अन्य व्यक्ति की ओर भू-अभिलेखों की इन्दराज को दुरुस्त कराने की कार्यवाही नहीं की गई । अन्तिम सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1974-75 के संशोधनों के अधीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने यह पाया कि इस भूमि के असल खातेदार केवल दो ही व्यक्ति सर्वश्री लोकपति त्रिपाठी व करुणा पति त्रिपाठी हैं और शेष व्यक्तियों के नाम केवल दिखावा मात्र ही है । गोपालपुर फार्म की जोत को इन दोनों खातेदारों की मानते हुये सीलिंग क्षत्र अवधारण की कार्यवाही जिला वाराणसी में चल रही है । इस मामले के कुछ फरीक अन्य प्रदेशों के निवासी हैं जिसमें नोटिस तामील होने में कठिनाई हो रही थी । जिलाधिकारी, वाराणसी को समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस के समाचार-पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करान विषयक आदेश भजे गये ह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 903 पर)

भूमि आवंटन सूची ग्राम सभा अन्टहवा, परगना व तहसील नानपारा, जिला बहराइच

क्रम-संख्या	आवंटी का नाम व पता		आवंटित क्षेत्रफल	आवंटन की तिथि
1	2		3	4
1	सर्वश्री ढोडे पुत्र गैली, नि0	अन्टहवा	3.000	25-8-77
2	पुत्ती पुत्र घसीटे	,,	3.000	25-8-77
3	मु0 लखराजा वि0 ज्वाला	,,	3.000	25-8-77
4	श्री छेदा पुत्र औतार	,,	3.000	25-8-77
5	बराती पुत्र सहदुल्ला	,,	1.276	25-8-77
6	खलील पुत्र महबूब	,,	1.276	25-8-77
7	मु0 खतून वि0 वारिस	,,	1.263	25-8-77
8	ननकऊ पुत्र ओरी	,,	1.276	25-8-77
9	राम लाल पुत्र अधीन	,,	1.276	25-8-77
10	खिलावन व राधे पुत्रगण रामलाल	,,	1.276	25-8-77
11	नन्हें पुत्र मोहम्मद अली	,,	1.276	25-8-77
12	इहस्तत अली पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
13	बौरमेन्ट पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
14	जलील पुत्र महबूब	,,	1.276	25-8-77
15	तलिब शेरन वा0 पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
16	महबूब पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
17	उस्मान पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
18	रहमत अली पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
19	मोहर अली पुत्र नौरंग	,,	1.276	25-8-77
20	भूरे पुत्र नकछेद	,,	1.298	25-8-77
21	गोबरे पुत्र नकछेद	,,	1.276	25-8-77
22	मासूम अली पुत्र वजीर	,,	1.276	25-8-77
23	राम धनी पुत्र तूफानी	,,	1.235	25-8-77

1	2		3	4
24	सर्वश्री राम प्यारे पुत्र धन्नी नि0	अन्टहुवा	1.276	25-8-77
25	दूध नाथ वह हरी किशुन पुत्रगण मदन	,,	1.275	25-8-77
26	शीतल पुत्र गोप्तार	,,	1.276	25-8-77
27	श्यामा पुत्र राम अवध	,,	1.276	25-8-77
28	बाबादीन पुत्र सरजू	,,	2.000	25-8-77
29	गया प्रसाद पुत्र सरजू	,,	1.478	25-8-77
30	मंगल पुत्र बाऊर	,,	3.000	25-8-77
31	छेद्दू पुत्र बाऊर	,,	2.927	25-8-77
32	राजा राम पुत्र सुकई	,,	1.000	25-8-77
33	मल्लर पुत्र सुकई	,,	1.000	25-8-77
34	दुलारे पुत्र गेली	,,	1.000	25-8-77
35	फल्ली पुत्र गोली	,,	2.000	25-8-77
36	जंगली पुत्र बाऊर	,,	1.990	25-8-77
37	राजाराम पुत्र राम आसरे	,,	2.968	25-8-77
38	राम आसरे पुत्र राम सरन	,,	2.000	25-8-77
39	बिहारी पुत्र मगरे नि0	,,	2.015	25-8-77
40	छेदन पुत्र बूधन नि0	,,	1.000	25-8-77
41	मोती लाल पुत्र गूधन	,,	1.002	25-8-77
42	होली पुत्र गोबरे	,,	2.000	25-8-77
43	सल्लू पुत्र गोबरे	,,	2.000	25-8-77
44	शंकर पुत्र लोटन	,,	1.000	25-8-77
45	नकुन्ना पुत्र मुमताज	,,	1.000	25-8-77
46	बदलू पुत्र मंसूर	,,	1.000	25-8-77
47	झुर्रा पुत्र रफायत	,,	1.000	35-8-77
48	फीद्दर, चतुर, छंगा पुत्रगण हमीद	,,	1.000	25-8-77
49	आल्हे पुत्र बेचन	,,	1.000	25-8-77
50	मंगल पुत्र काली	,,	1.000	25-8-77
51	धनराज पुत्र सूरत	,,	1.000	25-8-77
52	वंश राज पुत्र सूरत	,,	1.000	25-8-77
53	ममराज पुत्र रामदास	,,	1.000	25-8-77
54	समशेर पुत्र रियायत	,,	1.000	25-8-77
55	ननकऊ पुत्र रोशन	,,	1.007	25-8-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4
56	सर्वश्री हंशराज पुत्र सन्द लालन f0	मरहा	3.000	25–8–77
57	राम राज पुत्र कुमार	,,	1.290	25–8–77
58	राम बदन पुत्र खूब लाल	,,	1.256	25–8–77
59	हंस राज पुत्र मेड़ई	,,	1.290	25–8–77
60	राम सरन पुत्र परदेशी, नि0	अन्टवाह	1.290	25–8–77
61	राम मिलन पुत्र जगन्नाथ	,,	1.290	25–8–77
62	झरु पुत्र पराग	,,	1.290	25–8–77
63	राम चन्दर पुत्र सिद्धू	,,	1.290	25–8–77
64	कैलाश पुत्र श्यामलाल	,,	1.290	25–8–77
65	राजपति पुत्र श्यामलाल	,,	1.290	25–8–77
66	लीलापति पुत्र श्यामलाल	,,	1.290	25–8–77

ग्राम मरहा (ग्राम समाज अन्टहवा)

1	सर्वश्री जमुना पुत्र मंगरे, नि0	मरहा	3.000	25–8–77
2	श्याम लाल पुत्र चिखुरी	,,	3.000	25–8–77
3	पितम्बर पुत्र मैकू	,,	3.000	25–8–77
4	दशू पुत्र ससती	,,	3.000	25–8–77
5	जगधार पुत्र गजाधर	,,	3.000	25–8–77
6	लाल जी पुत्र महादेव कुल्लू	,,	3.000	25–8–77
7	लाल जी पुत्र महादेव	,,	3.000	25–8–77
8	बलराम दास पुत्र जोखन	,,	3.000	25–8–77
9	रामदीन पुत्र शंकर	,,	3.000	25–8–77
10	रामानन्द पुत्र शंकर	,,	3.000	25–8–77
11	ठगई पुत्र बिहारी	,,	3.000	25–8–77
12	जनकधारी पुत्र बुधई	,,	3.000	25–8–77
13	जगमोहन पुत्र भरथू	,,	3.000	25–8–77
14	पलकी पुत्र गजाधर	,,	3.000	25–8–77
15	रघुनाथ पुत्र रामधारी	,,	3.000	25–8–77
16	मुदिरकी पुत्र रामदास	,,	3.000	25–8–77
17	बंगेद पुत्र सहदेव	,,	3.000	25–8–77
18	राम निवासी पुत्र राम गोविन्द	,,	3.000	25–8–77
19	बाबू लाला पुत्र मुन्नी लाला	,,	3.000	25–8–77

1	2		3	4
20	श्री नन्हे पुत्र गोली नि0	मरहा	1.290	25-8-77
21	विन्ध्याचल पुत्र बहादुर	,,	1.290	25-8-77
22	कोल देव पुत्र कन्धई	,,	1.255	25-8-77
23	लक्ष्मी देवी विधवा रामधनी	,,	1.290	25-8-77
24	बरसाती पुत्र सीता	,,	1.290	25-8-77
25	श्रीपति पुत्र सीता	,,	1.290	25-8-77
26	शिव प्रसाद पुत्र हीरा	,,	1.195	25-8-77
27	बिरजा पुत्र निरंजन	,,	1.250	25-8-77
28	मुख्तार पुत्र अयोध्या	,,	1.290	25-8-77
29	महबूब शाह पुत्र रहमत अली	,,	1.290	25-8-77

योग ग्राम मरहा	..	69.730
योग ग्राम अन्टहवा	..	96.570
सम्पूर्ण योग	..	166.300

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 911 पर)

अन्जुमन चपरासियान द्वारा की गई मांगे

1—केन्द्रीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान सुविधा दिया जाना।

2—माल विभाग के चतुर्थ श्रेणी क समस्त कर्मचारियों को वर्दी दिया जाना।

3—अधिकारियों द्वारा चपरासियों से बेगार लिया जाना बन्द किया जाना।

4—तीन वर्ष से पुराने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना।

5—कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी सुविधायें बीमारी के अनुसार दी जायें।

शासन द्वारा की गई कार्यवाही

1—असमानता किये जाने का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है। अस्तु, कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

2—वर्तमान समय में शासनादेश संग्रह पुस्तिका के अनुच्छेद 800 जो एपेन्डिक्स 35 के साथ पठित है, के अनुसार माल विभाग के चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों को ही गर्मी व जाड़े की वर्दियां दिये जाने का प्राविधान है तथा इस नीति का पालन किया जाता है सभी चपरासियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत वर्दियां नहीं दी जा सकती हैं।

3—सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 30 में चपरासियों से बेगार न लिये जाने के स्पष्ट आदेश हैं। किसी विवरण विशेष के अभाव में किसी अधिकारी के प्रति कार्यवाही करना संभव नहीं है।

4—अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के संबंध में परिषद् द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वे 1 जुलाई, 1977 तक उपलब्ध स्थायी रिक्त पदों पर नियमानुसार कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें

5—यह एक सामान्य मांग है, जिस पर चिकित्सा विभाग में विचार किया जा रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 917 पर)

रफी अहमद ट्रस्ट में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं—

1—श्री काजी जलील अब्बासी, भूतपूर्व विधायक .. अध्यक्ष

2—श्री के0 डी0 मालवीय, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री .. सदस्य

3—श्री त्रिलोकी सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य .. सदस्य

4—श्री सुमित्रा नन्दन श्रीवास्तव, एडवोकेट .. सदस्य

5—श्री शिव हर्ष उपाध्याय, एम0 एल0 सी0 .. सदस्य

6—श्री अष्ट भुजा प्रसाद, एडवोकेट .. सदस्य

7—श्री संकटा प्रसाद श्रीवास्तव .. सदस्य

8—श्री इकबाल अहमद .. सदस्य

9—श्री रोशन रिजवी .. सदस्य

10—श्री काजी मोहम्मद शकील, एडवोकेट .. सेक्रेटरी

11—श्री कुतुबुल्लाह .. ट्रेजरार

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है—

1—एक डिग्री कालेज श्री रफी अहमद किदवई के नाम पर अथवा उर्दू माध्यम से एक संस्था स्थापित करना ।

2—योग्य विद्यार्थियों तथा शोध छात्रों को विशेषतया उर्दू भाषा के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना ।

3—उर्दू लाइब्रेरी की स्थापना ।

4—उर्दू के विशिष्ट छात्रों को सहायता देना ।

5—उर्दू की तरक्की के लिये ट्रस्ट निधि बढ़ाने हेतु उत्सव का आयोजन करना ।

6—जूनियर हाई स्कूल चाचई (रफी नगर) के बढ़ोत्तरी के लिये सहायता प्रदान करना ।

7—केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा सहकारिता या स्थानीय निकायों से सहायता प्राप्त करना ।

उक्त कान्फ्रेन्स में श्रीमती नरगिस, श्री जानीवाकर, कुमारी शबाना आजमी के अतिरिक्त और बहुत से लोगों ने भाग लिया था ।

अनुपम विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 919 पर)

संलग्नक

जनवरी, 1977 से अगस्त, 1977 तक बाढ़, सूखा एवं घाघरा कटान में दी गई सहायता का तहसीलवार विवरण

नाम तहसील	अहेतुक सहायता रु0	गृह निर्माण अनुदान रु0	गेहूं	नमक	विशेष सहायता टेस्ट वर्क	कम्बल	मोटा कपड़ा	राहत कार्यों में में लगाई गई नावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1—बस्ती	2270.00	6200.00	150 कुन्तल	..	..	..	..	..	21
2—बांसी	2000.00	..	..	..	..	..	28	308 मीटर	14
3—खलीलाबाद	45.00	100.00	..	681.14	..	..	..	..	2
4—हरैया	..	4250.00	..	..	..	..	..	..	..
5—नौगढ़	20.00	1800.00	..	..	480.00	15253.00	..	..	82
6—डुमरियागंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 920 पर)

चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सुरक्षित की गयी भूमि

ग्राम—कुर्री कूपा परगना व तहसील — जिला—आगरा

क्रम-संख्या	योजना का नाम	आधार वर्ष में क्षेत्रफल	चकों में प्रदिष्ट क्षेत्रफल	आधार वर्ष का अवशेष क्षेत्रफल	चकबन्दी में सुरक्षित क्षेत्रफल	वर्तमान क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
		बी0बि0 बि0	बी0 बि0 बि0	बी0 बि0 बि0	बी0 बि0 बि0	बी0 बि0 बि0	
1	सामान्य आबादी	16–13–0	..	16–13–0	14–10–0	31–10–0	
2	हरिजन आबादी	..	..	..	1–10–0	1–10–0	
3	रास्ता	24–16–15	7–16–10	17–0–15	रास्ता 1–10–0 परिक्रमामार्ग 3–19–0 मुख्य चक मार्ग 15–3–0 चक मार्ग 9–9–10 30–1–10	47–1–15	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		बी० वि० वि०	बी० वि० वि०	बी० वि० वि०	बी० वि० वि०	बी० वि० वि०
4	खलिहान	..	..	..	0—5—3	0—5—3
5	खाद के गड्ढे	..	..	..	2—1—0	2—1—0
6	प्राइमरी पाठशाला	0—6—0	..	0—6—0	0–10—0	0–16—0
7	जूनियर हाईस्कूल	..	..	..	1–12—0	1–12—0
8	कुम्हार गढ़े	..	..	..	0—5—0	0—5—0
9	हड़वार	..	..	..	0—2—0	0—2—0
10	कब्रिस्तान	..	..	..	0–10—0	0–10—0
11	मरघट ..	..	..	..	0—6—0	0—6—0
12	नाली	0–11—0	..	0–11—0	0—4—0	0–15—0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्राम गढ़ी फतह में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित भूमि की तुलनात्मक सूची :

क्रमांक	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	चकबन्दी से से पूर्वनिहित क्षेत्रफल	चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रदिष्टित फल	प्रयोजनार्थ कुल क्षेत्र	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		बी0 बि0 बि0	बी0 बि0 बि0	बी0 बि0 बि0		
1	सामान्य आबादी	6—8—0	2—8—0	8—16—0		
2	आबादी हरिजन		1—7—0	1—7—0		
3	खाद के गड्ढे	..	0—19—0	0—19—0		
4	प्राइमरी स्कूल	..	2—0—0	2—0—0		
5	पीली मिटटी	..	0—7—0	0—7—0		
6	कुम्हार के लिये मिटटी खोदने का स्थान	..	0—8—0	0—8—0		
7	मरघट	0—2—0	1—0—0	1—2—0		
8	रास्ता	5—11—0	6—5—13	11—16—13		
9	नाली	..	2—9—11	2—9—11		
10	खलियान	..	..	..	सुरक्षित करना आवश्यक नहीं बताया गया ।	

पी0एस0 यू0 पी0—20 वि0 सभा 21-7-78—843—(हिन्दी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा